Notes

Bachelor of Arts (B.A)

Semester -2nd

SEC- Political Science

United Nations:An Introduction

Paper Code- 24POL402SE01

Syllabus

Theory Marks -50

Unit 1: Evolution and growth of International Organization, league of Nations and UN System, Comparison Between League of Nations and UN System

Unit 2: Organs of the United Nations

Unit 3: Working of UN towards Peace: Peace Making, Peace Enforcement, Peace Building and Peace Keeping.

Unit 4: UN and Disarmament, Democratization of UN and India's claim for Permanent Seat, Assessment of UN.

Index

	Page No.
Unit-I	3-18
Unit-II	18-38
Unit-III	39-48
Unit-IV	48-65

Important Questions - In Last pages of the Document (1)

Unit-I

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं (Meaning and Definitions of International Organisation)–

साधारण शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्वतन्त्र व संप्रभुत्ता सम्पन्न राज्यों का एक औपचारिक (Formal) समूह होता है जिसका निर्माण कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

1. चार्ल्स लर्च (Charles Lurch, Junior) के शब्दों में, "कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए राष्ट्रों के औपचारिक समूह को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। स्वरूप में मित्रता के बावजूद उनका जन्म समान प्रेरक-तत्त्वों से होता है तथा उनके दर्शन और संगठन में महत्त्वपूर्ण समानता पाई जाती है।"

2. ईगलटन (Eagleton) के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्वतन्त्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है, जिसको विश्व में शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समान कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्थापित होता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अभिप्राय सम्प्रभुत्ता प्राप्त राज्यों के एक ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण राज्यों की इच्छानुसार होता है। यद्यपि इन राज्यों के दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, परन्तु वे अपने सामान्य हितों की रक्षा करने के लिए अपना एक संगठन बना लेते हैं। इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक एकता, सुरक्षा प्राप्ति और संचार व्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा देना है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति या विशेषताएं (NATURE OR CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL ORGANISATION)

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं :-

(1) सम्प्रभु राज्य सदस्य के रूप में (Sovereign States as members) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता प्रायः सम्प्रभु राज्यों को प्राप्त होती है, न कि व्यक्तियों को। प्रतिनिधि सदस्य राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे अपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्प्रभु राज्य ही शामिल किए जाते हैं,

(2) सदस्यों की समानता (Equality of members) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की दूसरी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें सभी सदस्य राज्यों को क्षेत्र, जनसंख्या, शक्ति व सम्पन्नता के भेदभाव के बिना, समान समझा जाता है। सभी सदस्यों को समानाधिकार व समान लाभ प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु सुरक्षा परिषद् में समानता के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। सुरक्षा परिषद् में पांच शक्तिशाली राज्यों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है और इन पांच सदस्यों को सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर वीटो (Veto) का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

(3) बाध्यकारी शक्ति का अभाव (Lack of Binding Force) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के पास प्रायः वैधानिक और कार्यकारिणी शक्तियों का अभाव होता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कार्य विधियों का वर्णन चार्टर में स्पष्ट तौर पर किया जाता है। वर्णित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी सदस्य राज्यों को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। वे सदस्य सरकारों को सिफ़ारिश कर सकती है न कि आदेश दे सकती है। अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या तो राज्यों के हितों पर निर्भर करते हैं या फिर जनमत पर निर्भर करते हैं।

(4) अन्तः सरकारी सहयोग (Inter-Governmental Collaboration) – अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अन्तः सरकारी सहयोग को उत्साहित करते हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य लक्ष्य-सहयोग उत्पन्न करना होता है।

(5) सामान्य हितों की प्राप्ति (Realisation of Common Interests) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सदस्य राज्यों के द्वारा अपने सामान्य हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। उदाहरणस्वरूप विश्व शान्ति, सुरक्षा, सांस्कृतिक एकता सुव्यवस्था संचार व्यवस्था में प्रगति इत्यादि। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप, आकार, उद्देश्यों आदि में भिन्नता देखने को मिलती है, परन्तु उनके जन्म के मूल में यही भावना काम करती है कि मानव सभी प्रकार के संघर्षों से दूर होकर एक बने रहे।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन (Conduct of International Relations) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी अभिकरणों तथा प्रक्रियाओं के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को संचालित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने स्थायी अभिकरणों की सहायता से ही

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को संचालित करता है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व और प्राधिकार उसके सदस्यों राज्यों के द्वारा सौंपे जाते हैं।

(7) राष्ट्रीय हितों की वृद्धि (Promotion of National Interests) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रत्येक सदस्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने के लिए अपनी नीतियों तथा योजनाओं का समर्थन करता है। प्रभुसत्ता सम्पन्न तथा स्वतन्त्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने के लिए अपनी-अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। वे उन नीतियों का समर्थन करने के लिए अनेक प्रकार के संगठनों को स्थापित करते हैं। उदाहरणस्वरूप भारत जैसे सामान्य उद्देश्यों वाले राज्यों के द्वारा असंलग्नता के समर्थन में निर्गुट राज्यों का एक संगठन बनाया हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का क्षेत्र (SCOPE OF INTERNATIONAL ORGANISATION)

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है-

1. राज्य का अध्ययन (Study of State) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय राज्य है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पाए जाने वाले विभिन्न संगठनों के सदस्य राज्य ही होते हैं, अतः राज्य का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में राज्य को स्थिति, व्यवहार , स्थिति इत्यादि के विषय में अध्ययन किया जाता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन (Study of International Relation) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक अथवा सम्बन्ध द्वारा हमारा यह जानने का उद्देश्य पूरा होता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और इस ज्ञान के आधार पर हम यह मालूम कर सकते हैं कि वांछित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहित करना उचित है और किनको नहीं।

3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन (Study of International Organisation)- अन्तर्राष्ट्रीय सगंठन का महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाए जाने वाले संगठन हैं। अतः यह विषय मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन से सम्बन्धित है। यह विषय राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन से हमें पता चलता है, कि इन संगठनों का निर्माण क्यों और कैसे किया गया था, इनका उद्देश्य क्या था? क्या ये अपने उद्देश्यों में सफल हुआ या नहीं, इनकी सफलता या असफलता का क्या कारण है, इत्यादि।

4. आर्थिक संगठनों का अध्ययन (Study of Economic Organisation)- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन के साथ-साथ विश्व में पाए जाने वाले आर्थिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे संगठनों का अध्ययन किया जाता है।

5. क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन (Study of Regional Organisation) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में क्षेत्रीय संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें आसियान, यूरोपीयन यूनियन, सार्क तथा औपक जैसे संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है।

6. विशिष्ट एजेन्सियों का अध्ययन (Study of Specialised Agencies) - अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में स्थापित विशिष्ट एजेन्सियों का भी अध्ययन किया जाता है, उदाहरण के लिए इसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, एवं सांस्कृति संगठन (यूनेस्को), विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व डाक संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात् कोष, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण तथा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का अध्ययन किया जाता है।

7. सैनिक संगठनों का अध्ययन (Study of Military Organisation)- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, आर्थिक संगठनों एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ-साथ सैनिक गठबन्धनों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें नाटो, सीटो, सैन्टो तथा वारसा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं समझौतों का अध्ययन (Study of International Treaties and Agreements)-अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं समझौतों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे वियाना कांग्रेस (1815), पवित्र मैरी (1815), यूरोप की संयुक्त व्यवस्था (1815), हेग सम्मेलन (1899, 1907), एक्स एला चैपल कांग्रेस (1818), स्टाक होम सम्मेलन (1972), पृथ्वी सम्मेलन (1992) एवं रियो 20 सम्मेलन (2012) इत्यादि का अध्ययन शामिल है।

9. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का अध्ययन (Study of International Activities)- यह विषय हर उस अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि का अध्ययन करता है जिसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति एवं विकास

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनो का स्वरूप अचानक स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनो का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति एवं विकास को निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं—

1. प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक

2. 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक

1. प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक (प्राचीन काल में

प्राचीन भारत (Ancient India) - प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठन तो नहीं थे, परंतु दूत प्रथा विद्यमान थी। महाभारत और रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में विवादों को हल करने के लिए दूत भेजे जाते थे और उनको राजनीतिज्ञों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Privileges and Immunities) प्राप्त थीं। रामायण काल में अंगद, रावण के पास श्री राम के दूत बन कर और महाभारत काल में श्रीकृष्ण, पांडवों के दूत बन कर कौरवों के पास गए थे। सम्राट् अशोक ने धर्म विजय (Dharma Vijaya) का विचार देकर अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन का विकास किया। कलिंग के युद्ध के विनाश ने सम्राट् अशोक की आत्मा को बदल डाला और शस्त्र छोड़कर वह बौद्ध धर्म का उपासक बन गया।

यहूदी (Jews)- यहूदियों में उनके प्रदेश में निवास करने वाले विदेशियों के लिए वही कानून हुआ करते थे, जो उनके अपने लिए हुआ करते थे। यहूदियों में यह बात प्रसिद्ध थी कि "Love........the stranger : for Ye were strangers in the land of Egypt." हमें Old Testament के अध्ययन से पता चलता है कि यहूदियों में युद्ध के नियमों का पालन किया जाता था। वे युद्ध करने से पूर्व शान्तिपूर्वक साधनों द्वारा विवादों को हल करने का प्रयत्न करते थे। मैत्रीपूर्ण देशों के साथ यहूदियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध थे। वे राजदूतों का आदान-प्रदान किया करते थे और विदेशों के साथ की गई सन्धियों का पालन करते थे।

यूनानी (Greeks) - यूनान के आरम्भिक काल में शांति, कल्याण और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संगठन और सन्धियों की प्रथा चालू थी। पामर एवं परकिन्स (Palmer and Perkins) के शब्दों में, "सन्धियां, संगठन, कूटनीतिक व्यवहार और सेवाएं, पंच निर्णय तथा झगड़ों के शान्तिपूर्ण निपटारे के उपाय, युद्ध और शान्ति के नियम, संघ (Leagues) और परिसंघ (Confederation) तथा अन्तर-राज्यीय सम्बन्धों के नियमन के अन्य साधन उस समय अज्ञात नहीं थे यद्यपि उनका पर्याप्त प्रयोग होता था।"

यूनान में वाणिज्यिक सेवाओं (Consuler Services) का विकास हो चुका था और वाणिज्यिक तथा कूटनीतिक अधिकारियों (Consuler and Diplomatic Officers) को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती थीं।

अपने विवादों तथा मतभेदों को निपटाने के लिए यूनानी पंच निर्णय या विवाचन (Arbitration) का प्रयोग करते थे। ईसा से छठी शताब्दी पूर्व यूनानियों की एम्फिटायोनिक संघ (Amphityonic League) की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने व युद्धों को रोकने हेतु की गई थी। इस संघ ने इस नियम का निर्माण किया कि युद्ध में घृणित साधनों का प्रयोग न किया जाए। एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिसंघ (Confederation) , जो कि Achacan League of the Hellenese नाम से प्रसिद्ध है, यूनानियों ने स्थापना की। इस परिसंघ के लगभग 70 सदस्य राज्य थे जोकि पूर्ण रूप से स्वायत्त थे।

रोमन (Rommans) — रोमनों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में भिन्न प्रकार का योगदान दिया था। यद्यपि रौमनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विचार अपरिचित या विदेशी ही था तथापि उन्होंने वैधानिक, सैनिक और प्रशासनिक तकनीकी की दिशा में योगदान दिया और 'Jus-gentium' का वह आधार स्थापित किया जो आने वाली शताब्दियों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक उपजाऊ स्त्रोत बन गया। रोम में दो प्रकार के कानून थे। एक प्रकार के कानून केवल रोमनों पर लागू होते थे, जिन्हें 'Jus Circle' कहा जाता था और जो कानून विदेशियों पर लागू होते थे, उन्हें Jus-gentium कहा जाता था। Jus-gentium को बाद में Jus Naturale के विकास द्वारा मजबूत बनाया गया। रोमन सन्धियों का बड़ा आदर किया करते थे और सन्धियों को नोटिस द्वारा स्थगित किया जाता था। रोमन साम्राज्य की स्थापना के

साथ अन्य पड़ोसी राज्य इसमें सम्मिलित हो गए और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए कोई स्थान न रहा।

वैस्टफेलिया-कांग्रेस (The Congress of Westphalia) - 1648 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में बड़ा महत्त्वपूर्ण कदम था। यद्यपि इससे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना नहीं हुई तथापि इसका महत्त्व इस दृष्टि में था कि इस कांग्रेस में सैंकड़ों कूटनीतिज्ञ आए थे जो यूरोप के प्रत्येक राजनीतिक हित का प्रतिनिधित्व करते थे। इस कांग्रेस में विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए गए न कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमज़ोर राष्ट्र पर थोपे गए।

वियाना कांग्रेस 1815 (Congress of Vienna 1815) - वियाना कांग्रेस जिसका सम्मेलन सितम्बर, 1814 से जून, 1815 के बीच हुए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में महत्त्वपूर्ण कदम है। यह प्रथम अवसर था जबकि यूरोप में इतने बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें यूरोप के प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भाग लिया। वेस्फेलिया व यूटेक्ट्र सम्मेलनों के विपरीत वियना कांग्रेस महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्मेलन शान्ति के समय हुआ ताकि यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र के दावे पर विचार किया जा सके। यद्यपि यह सम्मेलन यूरोप के भविष्य का निर्माण करने के लिए हुआ था। तथापि इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे।

फ्रांस की सीमा को निर्धारित करने के अतिरिक्त विभिन्न देशों को उनके भू-भाग वापस कर दिए गए जिन पर कि नेपोलियन ने कब्ज़ा कर लिया था। स्विट्ज़रलैंड की तटस्था को बनाए रखा गया। सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में विभिन्न राज्यों के जहाज़ों के आवागमन, समुद्रों के उपयोग, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार आदि का नियमन करने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यकों व मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी प्रयास किया गए। इसके लिए जर्मनी को कहा गया कि वह यहूदियों का सिविल स्तर ऊंचा उठाए। वियाना कांग्रेस के महत्त्व को बताते हुए एलिसन फिलिप्स ने लिखा है कि, "इसके निर्णयों से सन् 1815 से 19वीं शताब्दी का राजनीतिक प्रभाव आरम्भ हुआ और सम्पूर्ण यूरोप के प्रमुख शासकों का नवीन समाज के निर्माण के लिए एकत्रित होना नवीन परम्परा का द्योतक था।" पामर और पर्किन्स (Palmer and Perkins) ने राय दी है कि "वियाना कांग्रेस में प्रतिनिधियों ने राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रखी जिसने एक शताब्दी के लिए यूरोपीय और कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित किया।"

हेग सम्मेलन (Hague Conferences) - यूरोप की संयुक्त व्यवस्था ने एक अत्यधिक व्यापक व्यवस्था के रूप में हेग-व्यवस्था को जन्म दिया। प्रथम हेग सम्मेलन 1899 ई० में और द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 ई० में हुआ।

(1) 1899 का हेग सम्मेलन (Hague Conference of 1899) - प्रथम हेग सम्मेलन 18 मई, 1899 को बुलाया गया। यह सम्मेलन रूस के ज़ार, सम्राट्, निकोलस द्वितीय के प्रयासों के फलस्वरूप बुलाया गया। इस सम्मेलन में 26 राष्ट्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य तनावों को दूर करना तथा शस्त्रों को सामान्य रूप से सीमित करना था।

प्रथम हेग सम्मेलन अपने प्राथमिक उद्देश्य-शस्त्रों को सामान्य रूप से सीमित करने में सफल नहीं रहा, फिर भी इस सम्मेलन में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए-

(क) इस सम्मेलन में सदस्य राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पंच निर्णय की पद्धति पर जोर दिया। सम्मेलन में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सबसे प्रभावशाली तथा न्यायापूर्ण साधन पंच निर्णय है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए पंच निर्णय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना की गई।

(ख) हेग सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध के संचालन के लिए नियम और विनियम (Rules and Regulations) बनाए जाए।

(ग) स्थल युद्ध के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए।

(घ) समुद्री युद्ध के सम्बन्ध में जेनेवा अभिसमय को स्वीकार किया गया।

यद्यपि हेग सम्मेलन युद्ध करने के प्रत्येक राज्य के अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सका तथापि स्थल युद्ध के नियम निर्धारित करके इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रों के सहयोग व सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाए जा सकते हैं। फैन्विक (Fenwick) के शब्दों में, "यद्यपि यह सम्मेलन सामान्य सहमति द्वारा कानून निर्माण की सम्भावनाएं प्रदर्शित करने के मामले में महत्त्वपूर्ण था तथापि यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने में असफल रहा।"

2. 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक

(2) द्वितीय हेग सम्मेलन, 1907 (Second Hague Conference, 1907) - द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 में हुआ। इस सम्मेलन में लैटिन अमेरिका के राज्यों को भी बुलाया गया। अतः द्वितीय हेग सम्मेलन में 44 राष्ट्रों ने भाग लिया, जबकि प्रथम हेग सम्मेलन में केवल 26 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय हेग सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा था कि, "यह पहला अवसर है जब सभी सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधि सामान्य हित तथा मानवता की भलाई के लिए विषयों पर विचार तरने के लिए इकट्ठे हुए हैं।" इस सम्मेलन में 13 अभिसमयों (Conventions) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते थे-स्थल युद्ध के नियम, तटस्थ राज्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य, युद्ध आरम्भ करने के नियम, युद्ध छिड़ने पर शत्रु के व्यापारिक जहाजों की स्थिति, व्यापारिक जहाजों को सशत्र जहाजों में परिणित करना, समुद्र के अन्दर सुरंगें बिष्ठछाना, युद्ध के समय युद्धपोतों द्वारा गोलाबारी के नियम, समुद्री युद्ध के नियम, अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय (International Prize Court) इत्यादि। इस सम्मेलन में 1899 में बनाई गई थल-युद्ध सम्बन्धी संहिता को संशोधन किया गया। यद्यपि इस सम्मेलन में एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, परन्तु इस सम्मेलन में यह निश्चित नहीं किया जा सका कि अधिग्रहण न्यायालय कानून के कौन-से सिद्धान्त लागू करेगा।

राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) (League of Nations) - प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मिस्र तथा सम्बद्ध राष्ट्रों और जर्मनी के बीच वर्साय की सन्धि 1919 को हुई। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिए लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन्स की संविदा के अनुच्छेद 14 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन् 1921 में स्थापित किया गया। लीग ऑफ नेशन्स विश्व शान्ति को बनाए रखने में असफल रही और द्वितीय युद्ध के साथी ही व्यावहारिक रूप से इसका अंत हो गया, परन्तु सैद्धान्तिक रूप में इसकी अन्तिम बैठक अप्रैल, 1946 में हुई।

संयुक्त राष्ट्र संघ (The United Nations Organisation) - द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ ही व्यावहारिक रूप से राष्ट्र संघ का अंत हो गया और अभी युद्ध चल ही रहा था कि राजनीतिज्ञों ने इस बात पर बल देना शुरू कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय शन्ति को बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को (San-Francisco) में 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सम्मेलन चला जिसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 26 जून, 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त राष्ट्र का जन्म 24 अक्तूबर, 1945 को हुआ अब इसका चार्टर पांच मूल सदस्यों तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षर करने वालों द्वारा सत्यांकित (Ratified) किया गया। आज मानव जाति की आशा संयुक्त राष्ट्र पर लगी हुई है और संयुक्त राष्ट्र के आजकल 193 सदस्य हैं।

राष्ट्र (LEAGUE OF NATIONS)

राष्ट्र संघ राष्ट्रसंघ के उद्देश्य (OBJECTIVES OF THE LEAGUE OF NATIONS)

10 जनवरी, 1920 ई० को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई थी।

राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना और 26 धाराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ के **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित थे-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित तथा विकसित करना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाना।

(4) राष्ट्रों के मध्य सद्भावना की उत्पत्ति करना तथा राष्ट्रों में मेल-जोल बढ़ाना।

(5) विभिन्न देशों को निःश्स्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रसंघ की सदस्यता (MEMBERSHIP OF THE LEAUGE OF NATIONS)

राष्ट्रसंघ की संविदा की प्रथम धारा सदस्यता से सम्बन्धित है। इसके अनुसार राष्ट्रसंघ के सदस्य वे राष्ट्र होंगे जो संविदा के अनुबंधन में तो प्रारम्भिक सदस्य के रूप में वर्णित हों अथवा ऐसे राष्ट्र होंगे जिन्हें सदस्यता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया हो। इन दोनों प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की सभा किसी भी स्वतन्त्र राज्य, डोमिनियम या उपनिवेश को दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रसंघ की सदस्य बना सकती थी जिन्हें प्रविष्ट सदस्य कहा जाता था।

जिस समय राष्ट्रसंघ की प्रथम बैठक हुई उस समय केवल 42 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। धीरे-धीरे राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या बढ़ती गई और 1935 में इसकी संख्या अधिकतम राष्ट्रसंघ की 62 थी। 1926 में जर्मनी तथा 1934 में रूस को प्रतिनिधित्व दिया गया था। परन्तु जब अप्रैल, 1946 में राष्ट्रसंघ की अन्तिम बैठक हुई तो उस समय इसके केवल 43 सदस्य रह गए थे और इनमें से केवल 34 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। संसार के केवल 6 राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने के लिए कभी प्रार्थना-पत्र नहीं भेजे। इनके नाम हैं-सऊदी अरब, यमन, ओमान, नेपाल, मंचूको और अमेरिका।

राष्ट्रसंघ का मुख्यालय (HEAD-QUARTER OF THE LEAGUE OF NATIONS)

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद-7 के अनुसार राष्ट्रसंघ का मुख्यालय **स्विट्ज़रलैण्ड की राजधानी जेनेवा** में निश्चित किया गया।

राष्ट्रसंघ का संगठन (ORGANISATION OF LEAGUE OF NATIONS)

राष्ट्र संघ की संविदा (Convenant) की धारा 2 से लेकर धारा 7 तक इसके संगठन का उल्लेख किया गया है जिसमें राष्ट्रसंघ के तीन अंगों का वर्णन है-

(1) सभा (The Assembly), (2) परिषद् (The Council), (3) सचिवालय (The Secretariat) उपर्युक्त अंगों के अतिरिक्त कुछ सहायक अंगों की स्थापना की गई जो, इसलिए थे-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) (ii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation)

1. राष्ट्र संघ की सभा (THE ASSEMBLY OF LEAGUE OF NATIONS)

राष्ट्रसंघ की संविदा की धारा 3 तथा 5 में सभा के उद्देश्य, संगठन और कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।

सदस्यता (Membership)- सभा में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्रों को शामिल किया जाता था। 1935 में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की कुल संख्या 62 थी। इस तरह सभा के सदस्य भी 62 थे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने तीन प्रतिनिधि सभा में भेजने का अधिकार था, परन्तु किसी विषय पर मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार था।

सभापति एवं उप-सभापति (President and Vice-President) - सभा की बैठकों की कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए सभा की बैठक आरम्भ होने से पूर्व ही सभा अपना अध्यक्ष चुनती थी। अध्यक्ष प्रायः छोटे राष्ट्र के प्रतिनिधियों में से चुना जाता था। सभापति एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था और उसके चुनाव में उसकी योग्यता और उसकी राजनीतिक सूझबूझ को सामने रखा जाता था। सभापति के अतिरिक्त सभा अपने सदस्यों में से ही आठ उप-सभापतियों का चुनाव भी करती थी। सभा के प्रमुख अधिकारियों में एक सभापति, आठ उप-सभापतियों के अतिरिक्त प्रमुख समितियों के साथ सभापति (Chairmen) होते थे जो स्वतः उपाध्यक्ष कहे जाते थे।

अधिवेशन (Session)- सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष जेनेवा में तीन सप्ताह के लिए सितम्बर माह में होती थी। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन कभी भी बुलाए जा सकते थे। सभा का प्रथम अधिवेशन 15 नवम्बर, 1920 को आरम्भ हुआ और सभा का अन्तिम अधिवेशन 6 से 18 अप्रैल, 1946 तक चला था जिसमें यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रसंघ को समाप्त किया जाए।

सभा की समितियां (Committees of Assembly) - जिस प्रकार सभी देशों के विधानमण्डल अपना अधिकतर कार्य विभिन्न समितियों की सहायता से करते हैं उसी प्रकार राष्ट्रसंघ की सभा भी अपना अधिकतर कार्य अपनी समितियों की सहायता से करती थीं। सभा की **मुख्यतः छः समितियां** थीं, जोकि निम्नलिखित हैं-

1. राजनीतिक मामलों सम्बन्धी समिति, 2. तकनीकी संगठनों सम्बन्धी समिति,

3. सामाजिक मामलों सम्बन्धी समिति,   4. बजट व आन्तरिक शासन समिति,

5. निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी समिति,   6. संवैधानिक और कानूनी मामलों की समिति।

मतदान पद्धति (Procedure of Voting)- संविदा के अनुसार सभा का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को आम राय से लिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि सभी सदस्य यदि किसी विषय पर एकमत है तब ही सभा कोई निर्णय ले सकती थी। दूसरे शब्दों में, सभा में मतैक्य के सिद्धान्त (Principle of Universality) को अपनाया गया था। इस तरह से सभा के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को निषेधाधिकार प्रदान किया गया था। यदि किसी विषय पर कोई छोटा सा भी राज्य सहमत नहीं होता था तो निर्णय लेने में बहुत कठिनाई आती थीं।

सभा में मतदान की चार पद्धतियां प्रचलित थीं-

1. कुछ विषयों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे।

2. कुछ विषयों पर 2/3 मत से निर्णय होता था।

3. कुछ विषयों पर निर्णय पूर्ण बहुमत से किया जाता था।

4. कुछ विषयों पर निर्णय साधारण बहुमत से हो सकता था।

भाषाएं (Languages)- सभा का कार्य केवल अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा में ही होता था जिसके लिए दोनों भाषाओं के द्विभाषिए यहां सदैव उपस्थित रहते थे।

राष्ट्र संघ सभा की शक्तियां एवं कार्य (POWERS AND FUNCTIONS OF THE ASSEMBLY)

सभा का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत था क्योंकि राष्ट्रसंघ की संविदा में कहा गया था कि सभा वह सभी कार्य करेगी जोकि राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार में आते हैं और वह विश्व शान्ति से सम्बन्धित हो। राष्ट्रसंघ की सभा को संविदा की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे-

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा (International Peace and Security)- राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखना था। राष्ट्र संघ की सभा विश्व संसद् की भान्ति कार्य करती थीं। सभा विश्व से युद्धों, मतभेदों तथा तनावों को दूर करने में मदद देती थी और विश्व शान्ति का मार्ग प्रशस्त करती थीं।

2. निरीक्षणात्मक कार्य (Supervisory Functions)- सभा को राष्ट्रसंघ की केन्द्रीय संस्था होने के कारण उसके कार्यों पर सामान्य निरीक्षण रखने का अधिकार प्राप्त था। सभा परिषद् के कार्यों की देखभाल करती थी, औद्योगिक संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करती थी, शासनादेश प्रदेशों तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करती थी। राष्ट्रसंघ का महासचिव अपना वार्षिक प्रतिवेदन सभा में ही पेश करता था। इससे सभा को राष्ट्रसंघ के अन्य अंगों के कार्यों का निरीक्षण करने व उनकी आलोचना का अधिकार मिल जाता था।

3. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य (Electoral Functions)- सभा कुछ निर्वाचन सम्बन्धी कार्य भी सम्पन्न करती थी। उसके निर्वाचन सम्बन्धी कार्य निम्नलिखित थे-

(i) नए सदस्यों को प्रवेश की अनुमति 2/3 मतों से देना।

(ii) परिषद् के 9 अस्थायी सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष करना।

(iii) प्रति 9 वर्ष के लिए परिषद् की सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के लिए 15 न्यायाधीशों का चुनाव करना।

(iv) राष्ट्रसंघ के महासचिव का नाम परिषद् द्वारा प्रस्तावित होता था, परन्तु सभा की सहमति मिलने पर ही उसकी नियुक्ति होती थी। इस तरह सभा को निर्वाचन सम्बन्धी काफ़ी अधिकार प्राप्त थे।

4. विचारात्मक कार्य (Deliberative Functions)- सभा को वास्तविक अर्थों में विचार-विमर्श करने वाली संस्था कहा जा सकता था। एक विचारात्मक संस्था के रूप में इसका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत था। सभा उन समस्त विषयों पर विचार कर सकती थी जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से था।

5. कानून निर्माण तथा संशोधन सम्बन्धी कार्य (Legislative and Constituent Functions) सभा राष्ट्रसंघ की विधान निर्मात्री संस्था थी। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 26 के अनुसार उसमें संशोधन करने का अधिकार इसे प्राप्त था। सभा राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के नियमों को इस ढंग से संशोधित करती थी कि वह परिषद् को सर्वसम्मति से स्वीकृत हो और प्रभावित सदस्य देशों की रुचि के अनुकूल हो सके। कानून निर्मात्री संस्था होने के कारण कई बार इसने अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों और समझौतों के निर्माण में रुचि ली।

6. वित्तीय कार्य (Financial Functions)- वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रसंघ के बजट को स्वीकृति देना सभा का प्रमुख कार्य था। राष्ट्रसंघ का महासचिव संघ के विभिन्न अंगों व उनके विभागों के प्रधानों से विचार-विमर्श करके वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करता था। सभा ही जनसंख्या, क्षेत्रफल और राष्ट्रीय आय के अनुपात से ही सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे की राशि को निर्धारित करती थी। महासचिव द्वारा प्रस्तुत बजट को सभा ही निर्धारित करती थी।

7. निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कार्य (Function regarding Disarmaments) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की स्थापना के लिए सामान्य सभा का एक कार्य युद्ध को भड़काने वाले तत्त्वों को दूर करना तथा हथियारों की होड़ को रोककर निःशस्त्रीकरण को दूर करना था। सभा द्वारा नियुक्त निःशस्त्रीकरण समिति का यह प्रमुख कार्य था।

8. संरक्षण पद्धति का संचालन व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा — राष्ट्रसंघ की सभा कुछ संरक्षण सम्बन्धी व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सम्बन्धी कार्य भी करती थी। राष्ट्रसंघ ने इसे यह अधिकार दिया हुआ था कि टर्की व जर्मनी के उपनिवेशों के आर्थिक सामाजिक विकास सम्बन्धी न्यासी कार्य सभा करेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अन्य प्रमुख समस्या 3 करोड़ यूरोपीय अल्पसंख्यकों की थी जिनके अधिकारों की रक्षा करना सभा का उत्तरदायित्व था। जर्मनी व पोलैण्ड पर यह शर्ते विशेष रूप से लागू की गई थीं क्योंकि यह देश अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार करते थे।

2. राष्ट्र संघ की परिषद् (THE COUNCIL OF LEAGUE OF NATIONS)

परिषद् राष्ट्रसंघ का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग थी। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 5 व 6 में परिषद् के संगठन तथा कार्यों का वर्णन किया गया था। यह राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी थी और राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने इसे अधिक-से-अधिक शक्तियां व अधिकार देने का प्रयास किया। यह संघ की छोटी, परन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था परिषद् की कुछ विशेषताएं थीं जोकि इसे सभा से अलग बनाती थी जैसे कि महान् शक्तियां इसकी स्थाई सदस्य थीं, इसकी सदस्य संख्या सीमित थी, इसके अधिवेशन समय-समय पर होते रहते थे आदि। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध पैदा हुए खतरों को रोकने के लिए कई उत्तरदायित्व सौंपे गए थे।

संगठन (Composition)- राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 4 में परिषद् के संगठन की व्यवस्था की गई थी। परिषद् में दो तरह के सदस्य होते थे स्थाई सदस्य व अस्थायी सदस्य। स्थाई सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व जापान को शामिल किया गया। इन पांच स्थाई सदस्यों के अतिरिक्त परिषद् में पांच अस्थाई सदस्यों की भी व्यवस्था की गई। इनका चुनाव निश्चित अवधि के लिए सभा द्वारा किया जाता था। सभा को यह अधिकार दिया गया था कि वह समय-समय पर परिषद् के लिए छोटे राष्ट्रों में से अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित करें। 1920 में यूनानी, ब्राजील, स्पेन और वैल्जियम को परिषद् का अस्थाई सदस्य बनाया गया। इस तरह मूलतः परिषद् में 5 स्थाई और 4 अस्थाई सदस्यों की व्यवस्था की गई।

मतदान प्रणाली (Voting Procedure)- परिषद् की मतदान प्रणाली का वर्णन संघ की प्रसंविदा की धारा 5 में किया गया था। प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रस्ताव पर सर्वसहमति होना आवश्यक था। अर्थात् परिषद् के किसी भी निर्णय पर उपस्थित सदस्यों की आम सहमति होना आवश्यक था। इस तरह से परिषद् के प्रत्येक सदस्य को निषेधाधिकार दिया गया था। उपस्थित न होने वाले सदस्य के मत को गिना नहीं जाता था। परिषद् में एक राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता था। अनुच्छेद 15 के अनुसार बहुमत से निर्णय लेने को व्यवस्था की गई थी।

अधिवेशन (Session)- परिषद् राष्ट्रसंघ की मन्त्रिपरिषद् के समान थी। प्रसंविदा के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि परिषद् की

बैठक समय-समय पर या साल में एक बार अवश्य हुआ करेगी। परन्तु व्यवहार में इसकी बैठकें चार बार अवश्य होती थीं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदा की पारा 11 के अनुसार संकट के समय महासचिव परिषद् की बैठक कभी भी बुला सकता था। परिषद् के प्रत्येक राष्ट्र को एक मत व एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। परिषद् के सभी सदस्य 24 घण्टे बैठक में उपस्थित होने के लिए तैयार रहते थे।

सभापति (Chairman)- परिषद् का सभापति प्रत्येक अधिवेशन के समय बदल जाता था। परिषद् के सभापति का चुनाव फ्रांसीसी वर्णमाला के पहले अक्षर के द्वारा प्रत्येक अधिवेशन में होता था। परन्तु कुछ मामलों में इस विधि का पालन नहीं किया जाता था।

परिषद् के कार्य व शक्तियां (POWERS AND FUNCTIONS OF THE COUNCIL)

परिषद् राष्ट्र संघ का महत्त्वपूर्ण अंग थी। परन्तु इसके कार्य स्पष्ट नहीं थे। इसका कार्य क्षेत्र भी उतना ही व्यापक था जितना कि सभा का। परिषद् को मुख्य रूप से दो कार्य करने पड़ते थे। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिए प्रशासकीय निकाय सम्बन्धी कार्य और द्वितीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल के लिए मध्यस्य सम्बन्धी कार्य। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-

1. प्रशासकीय कार्य (Administrative Functions)- राष्ट्रसंघ के सभी प्रशासकीय कार्य परिषद् ही करती थी। यह राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी थी। इसके प्रशासकीय कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) नियुक्तियां (Appointments)- परिषद्, सचिवालय की सभी तरह की नियुक्तियां करती थी। राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति सभा की सहायता से परिषद् करती थी। विभिन्न प्रकार की विशेष समितियों की नियुक्तियां परिषद् ही करती थी और विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व यह स्वयं निर्धारित करती थी।

(ii) प्रशासन सम्बन्धी कार्य (Functions regarding Administration)- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राष्ट्रसंघ को कुछ 'क्षेत्रों पर प्रशासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। राष्ट्रसंघ इन क्षेत्रों पर प्रशासन परिषद् के माध्यम से करती थीं, जिन क्षेत्रों पर प्रशासन का कार्य परिषद् को सौपा गया था उनमें सार घाटी व डैन्जिग नगर प्रमुख हैं। इसके लिए एक शासी आयोग की स्थापना की गई थी।

(iii) अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा (Security of Minorities Rights)- राष्ट्रसंघ ने जर्मनी, पोलैण्ड व यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का दायित्व परिषद् को सौंपा था। इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार परिषद् को प्राप्त था।

(iv) शासनादिष्ट आयोग (Mandate Commission)- राष्ट्रसंघ की परिषद् ही स्थाई शासनादिष्ट आयोग के सदस्यों का गठन करती थी। परिषद् आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर भी विचार करती थी। इसके लिए यह विभिन्न समितियों का गठन करती थी, परन्तु इस सम्बन्ध में वास्तविक शक्तियां सभी के पास थी।

(v) निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन (Composition of Disarmaments Commission)- राष्ट्रसंघ की धारा 8 के अन्तर्गत अस्त्रों-शस्त्रों को कम करने के लिए परिषद् विभिन्न देशों की सरकारों से विचार-विमर्श करती थीं। परिषद् की सहायता के लिए राष्ट्रसंघ में एक स्थाई निःशस्त्रीकरण समिति की भी व्यवस्था की गई थी। यह समिति सैनिक, नौ-सैनिक और हवाई युद्ध सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में परिषद् को सलाह देती थीं।

2. मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य (Mediatory Functions)- राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति व सुरक्षा की स्थापना करना था। इसके लिए वह कई कदम उठा सकती थी। इनमें प्रमुख थे-बातचीत द्वारा, मध्यस्थता, पंच निर्णय, सैनिक कार्यवाही आदि। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका अदा करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 10 से 17 तक में विश्व शान्ति और युद्ध से बचाव के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थीं जिनका वर्णन निम्नलिखित है-

(i) अनुच्छेद 12 के अनुसार, "राष्ट्रसंघ सदस्य या गैर-सदस्य राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होने वाले झगड़ों के हल के लिए परिषद् के माध्यम से कुछ कदम उठा सकता है। वह आपसी बातचीत, मध्यस्थता सम्मेलन या न्यायालय के द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से अपने विवादों का हल कर सकते हैं।"

(ii) अनुच्छेद 13 के अनुसार, "यदि सदस्य राष्ट्रों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाए जिससे आपसी सम्बन्धों में कटुता आ जाए और

न्यायिक निर्णयों की अवहेलना कर दी जाए तो ऐसे मामले को वह परिषद् को सौंप सकते हैं।"

(iii) कुछ विवादों का हल निकालने के लिए परिषद् सम्बन्धित विवाद को सभा के समक्ष पेश कर सकती थी।

(iv) अनुच्छेद 15 के अनुसार, "राष्ट्रसंघ की परिषद् आने वाले विवाद की पहले जांच पड़ताल करती है कि वह विवाद आन्तरिक है या बाहरी। यदि वह विवाद आन्तरिक है तो परिषद् कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।"

3. यदि कोई राष्ट्र, राष्ट्रसंघ के निर्णयों की अवहेलना करता था तो परिषद् में उस स्थिति में उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक पाबन्दी लगाने तथा आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई थी। परिषद् की यह कार्यवाही सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यवाही थीं।

3. सचिवालय (SECRETARIAT)

सचिवालय संघ की कार्यविधियों को संचालित करने वाला तीसरा महत्त्वपूर्ण अंग था। इसका स्थायी कार्यालय जेनेवा में था। इसका अध्यक्ष एक महासचिव होता था जिसकी नियुक्ति संघ की परिषद् द्वारा की जाती थी तथा परिषद् के परामर्श से अपने सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। इसका व्यय, राष्ट्रसंघ के व्यय में ही सम्मिलित किया जाता था। यद्यपि सचिवालय के कर्मचारी विभिन्न राज्यों से लिए जाते थे, परन्तु कार्य करते समय उन्हें राष्ट्रसंघ के सचिवालय के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था। इस प्रकार वे राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठकर अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationalism) की भावना से कार्य करते थे। सचिवालय के महासचिव के पद को तीन व्यक्तियों ने ही सुशोभित किया था। प्रथम थे- ब्रिटिश असैनिक सेवा के अधिकारी श्री जेम्स एरिक डूमण्ड (James Eric Drummond) जिसने अपनी योग्यता के आधार पर 13 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया। द्वितीय महासचिव जोसेफ एवेनेल (फ्रांस) थे, जिन्होंने 7 वर्ष (1933-40) तक कार्य किया तथा अन्तिम महासचिव सीनलेस्टरे (आयरलैण्ड) थे, जिन्होंने 6 वर्ष तक (1940-46) इस पद पर कार्य किया।

महासचिव के कार्य व उनकी भूमिका (Functions and Role of the Scretary General) — महासचिव सचिवालय की शक्ति का केन्द्र था। वह राष्ट्रसंघ के सभी कार्यों का संचालन करता था।

प्रो० लॉस्की (Prof. Laski) ने राष्ट्रसंघ के महासचिव के निम्नलिखित कार्य बताए हैं-

(1) महासचिव सभा और परिषद् की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों को लेखबद्ध करता था।

(2) वह विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद के अस्तित्व की सूचना प्राप्त करता था और उसकी पूरी जांच व विचार-विमर्श के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करता था।

(3) वह परिषद् की सहमति पर सचिवालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था।

(4) महासचिव राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता था।

(5) वह सचिवालय के सामान्य कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता था।

(6) वह परिषद् के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके सभा के सामने पेश करता था।

(7) विश्व शान्ति के भंग हो जाने की दशा में अथवा किसी भी आपात् स्थिति के पैदा होने पर वह किसी भी सदस्य राष्ट्र के अनुरोध पर परिषद् की बैठक बुला सकता था।

(8) वह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाली सन्धियों का वर्गीकरण करके उनको पंजीकृत करता था।

(9) राष्ट्रसंघ की प्रसविदा में होने वाले संशोधनों के विषय में वह सदस्य राज्यों को जानकारी देता था।

राष्ट्रसंघ के सचिवालय के कार्य (FUNCTIONS OF THE SECRETARIAT OF LEAGUE OF NATIONS)

सचिवालय का कार्य राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना था। सचिवालय सभा एवं परिषद् दोनों के लिए कार्य करता था। इसके कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है-

1. **सभा एवं परिषद् की बैठकें बुलाना व उनकी कार्यवाही का संचालन** सचिवालय का प्रमुख कार्य सभा और परिषद् की बैठकें बुलाना था।

2. **आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना**-सचिवालय का दूसरा मुख्य कार्य आंकड़े तथा सूचनाएं एकत्रित करना था।

3. **सूचना देने सम्बन्धी कार्य**-सभा और परिषद् की बैठकों के दौरान लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी सदस्य राष्ट्रों को देना और निर्णयों को कार्यरूप देना सचिवालय का कार्य था।

4. **रिकार्ड रखना**-सभा और परिषद् को जब किसी विवाद के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती थी तो वह इस सम्बन्ध में जानकारी सचिवालय से प्राप्त करता था। सचिवालय के कर्मचारी किसी भी समस्या की जानकारी के लिए तथ्य एकत्रित करते रहते थे और उन्हें रिकार्ड के रूप में रखते थे।

5. **सदस्य राष्ट्रों की समस्याओं की जांच करना**-सचिवालय राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्रों की सभी प्रकार की समस्याओं की जांच करता था और उसे सभा या परिषद् के सामने रखता था ताकि सम्बन्धित समस्या पर वह अपनी सलाह दे सकें।

6. **सामाजिक बुराइयों की रोकथाम** —सचिवालय सदस्य राष्ट्रों में विद्यमान सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए प्रभावशाली कदम उठाती थी। इन बुराइयों में दास प्रथा, अनपढ़ता, भुखमरी विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियां शामिल थीं।

7. **अनुवाद सम्बन्धी कार्य**-सचिवालय सभा और परिषद् में लिए गए निर्णयों को विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद करवाने और उन्हें सम्बन्धित राष्ट्रों तक पहुंचाना सचिवालय का कार्य था।

8. **सन्धियों का पंजीकरण**-सदस्य राज्यों के मध्य हुई सन्धियों को पंजीकृत (Registered) करना सचिवालय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य था।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (Permanent Court of International Justice)-

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा की धारा 14 के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। इस धारा के अनुसार एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए परिषद् को राष्ट्रसंघ के सदस्यों के समक्ष स्वीकार एक योजना प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। अतः परिषद् ने एक आयोग नियुक्त करके उसे न्यायालय के सविधान निर्माण का कार्यभार सौंपा, जिसके फलस्वरूप 15 फरवरी, 1922 को हेग (हॉलैंड) में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को स्थापना की गई। स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 1922 से 1940 तक कार्यशील रहा। 51 राज्यों ने इसकी संविधि को स्वीकार किया।

न्यायालय का संगठन (Organisation of the Court) — प्रारम्भ में स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ग्यारह न्यायाधीश तथा चार उप-न्यायाधीश थे। राष्ट्रसंघ की परिषद् की सिफ़ारिश पर सभा की न्यायाधीशों की संख्या 15 तथा उप-न्यायाधीशों की संख्या 6 तक बढ़ाने का अधिकार था। अत: 1929 में न्यायालय के संविधान में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या 15 कर दी गई और उप-न्यायाधीश का पद समाप्त कर दिया गया। न्यायाधीशों का चुनाव सभा तथा परिषद् द्वारा किया जाता था। जिन व्यक्तियों को सभा तथा परिषद् में स्पष्ट बहुमत (Absolute Majority) प्राप्त होता था उन्हें ही निर्वाचित घोषित किया जाता था।

स्थायी न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि 9 वर्ष थी। न्यायाधीश अपने में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे, जो 3 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते थे। गणपूर्ति (Corum) 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक होती थी जबकि निर्णय बहुमत से ही लिये जाते थे। परन्तु किसी विवाद पर पक्ष-विपक्ष में समान वोटों की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक वोट (Casting Vote) देने का अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court)

स्थायी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में बांटा गया था-

(1) ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction)

(2) अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Compulsory Jurisdiction)

(3) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

1. ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction)- जब दो या अधिक राज्यों में विवाद होता था तथा दोनों पक्ष अपनी इच्छा से विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय के सम्मुख लाते थे तो उसे न्यायालय का ऐच्छिक क्षेत्राधिकार कहा जाता था। न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी विवादों पर विचार कर सकता था जिनको सम्बन्धित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

2. अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Compulsory Jurisdiction) — न्यायालय की संविधि के साथ ही एक विशेष आज्ञापत्र के द्वारा कुछ मामलों में न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। कुछ राज्यों ने न्यायालय की संविधि के साथ संलग्न एक पत्र (Protocol) पर हस्ताक्षर किये थे। इस ऐच्छिक घारा (Optional Clause) 36 को स्वीकार करने वाले राज्यों के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य था। ये विषय निम्न प्रकार के थे-

(i) सन्धियों का स्पष्टीकरण (Interpretation of Treaties),

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बोधन प्रश्न,

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन।

3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) — स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। राष्ट्रसंघ विधान की धारा 14 के अनुसार, "न्यायालय परिषद् या सभा द्वारा इस को सुपुर्द किए गए किसी भी प्रश्न पर परामर्श दे सकता था।" राष्ट्रसंघ की सभा तथा परिषद् समय-समय पर विवादों के सम्बन्ध में परामर्श लेती रहती थी। न्यायालय के परामर्श बाध्यकारी नहीं होते थे। परन्तु व्यवहार में परिषद् और सभा ने ये मान लिया था कि कानून मामलों पर न्यायालय का परामर्श अन्तिम निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जिस प्रकार सभा और परिषद् न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे उसी तरह न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं था।

न्यायालय का मूल्यांकन (Evaluation of the Court of Justice)- स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सत्रह वर्षों तक (1922 से 1939 तक) सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। न्यायालय ने सत्रह वर्षों के काल में 65 मुकद्दमों की जांच की, 32 मुकद्दमों में निर्णय दिया, 27 परामर्श सम्बन्धी निर्णय दिए और लगभग 200 आदेश जारी किए। न्यायालय के निर्णयों को प्रकाशित किया गया और इन निर्णयों द्वारा जिन कानूनी सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया वे भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रशासन में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। प्रो० शूमां (Schuman) का कहना है कि, "अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सत्रह वर्ष के रिकार्ड बड़े मूल्यवान सिद्ध हुए क्योंकि राष्ट्रों के बीच के विवादों के निपटारे और परिषद् को परामर्श देने में इस संस्था ने नया मार्ग प्रदर्शित किया।"

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION)

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना पेरिस के शान्ति सम्मेलन के फलस्वरूप हो गई थी, परन्तु बाद में इसे राष्ट्रसंघ की व्यवस्था का ही एक अंग बना दिया गया। इसका संविधान वर्साय की सन्धि के 13वें अध्याय के अनुसार 25 जून, 1919 को निर्मित किया गया। इसकी स्थापना 11 अप्रैल, 1919 को जिनेवा में हुई थी। इसके निम्न उद्देश्य स्वीकार किए गए थे-

(i) सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना तथा स्थायी शान्ति में सहयोग देना,

(ii) श्रमिकों की हालत में सुधार करना,

(iii) श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा,

(iv) आर्थिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना;

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसके निम्न कार्य थे-

(i) काम के घण्टे निश्चित करना तथा अधिकतम कार्य के दिनों को निश्चित करना;

(ii) श्रमिक पूर्ति का संचालन करना ताकि बेरोजगारी न बढ़े;

(iii) पर्याप्त जीविका के साधनों का प्रबन्ध करना;

(iv) श्रमिकों को बीमारी तथा अन्य दुर्घटनाओं से बचाना।

(v) विदेशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करना :

(vi) सभी के लिए समान कार्य तथा समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करना:

(vii) श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतन्त्रता दिलाना तथा:

(viii) अविकसित राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना;

इस प्रकार इन कार्यों के द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य 'सामाजिक न्याय' के उद्देश्य को प्राप्त करके स्थायी शान्ति को प्राप्त करना था क्योकि वर्साय की सन्धि में यह कहा गया था कि "Universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice."

अपने कार्यों के सम्पादन हेतु इसके तीन अंग हैं- International Conference, The Governing Body and the International Labour Office.

प्रथम दोनों अंगों में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं-सदस्य राज्यों के, श्रमिकों के तथा रोजगार देने वालों (Employers) के।

संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था (UN System)

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) — एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है। संयुक्त राष्ट्र का प्रणाली बहुत जटिल है और इसमें कई प्रमुख अंग और संगठन शामिल हैं, जो अलग-अलग कार्य करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का संरचना (Structure of the UN)

संयुक्त राष्ट्र की संरचना कई प्रमुख अंगों से मिलकर बनी है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है:

1. साधारण सभा (General Assembly):

- यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सामान्य रूप से प्रतिनिधिक अंग है, जिसमें सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य को एक वोट मिलती है, और यहां पर देशों के बीच प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बहस और चर्चा की जाती है।
- यह अंग निर्णयों, संकल्पों और प्रस्तावों पर मतदान करता है।

2. सुरक्षा परिषद (Security Council):

- यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- इसमें 15 सदस्य होते हैं: 5 स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) और 10 अस्थायी सदस्य, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

- स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो शक्ति (veto power) होती है, यानी यदि इनमें से कोई भी देश प्रस्ताव पर आपत्ति जताता है तो प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है।

- सुरक्षा परिषद बाध्यताएं, शांति मिशन, और सैन्य कार्रवाई के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice):

- यह संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, जो देशों के बीच विवादों का समाधान करने का कार्य करता है।

- इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स) में स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं।

- यह अदालत देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय देती है।

4. सचिवालय (Secretariat):

- यह अंग संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक मशीनरी है, जो संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों और कार्यवाहियों को संचालित करता है।

- सचिवालय का प्रमुख "संयुक्त राष्ट्र महासचिव" (UN Secretary-General) होता है, जिसे महासभा द्वारा चुना जाता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र के संचालन और विश्व शांति के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

5. आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council - ECOSOC):

- इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, और मानवाधिकार मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

- इसमें 54 सदस्य होते हैं, जो तीन साल के लिए चुने जाते हैं। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों, और समितियों के साथ मिलकर काम करता है।

6. संयुक्त राष्ट्र के विशेष संगठन और एजेंसियाँ:

- संयुक्त राष्ट्र के तहत कई विशिष्ट एजेंसियाँ और संगठन काम करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  - UNICEF (यूनीसेफ) – बच्चों की कल्याण के लिए।

  - WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) – वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है।

  - UNHCR (संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी) – शरणार्थियों की मदद करता है।

  - ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) – श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य (Objectives of the UN)

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना:

- युद्ध और संघर्षों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काम करता है। इसके तहत सैन्य, राजनीतिक, और शांति मिशनों के माध्यम से शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

2. राष्ट्रों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना:

- संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने विवादों को शांतिपूर्वक हल कर सकें।

3. मानवाधिकारों की रक्षा करना:

- संयुक्त राष्ट्र ने "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा" को अपनाया, जो सभी मानवों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. वैश्विक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना:

- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दों पर काम करता है, ताकि दुनिया भर में बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके।

5. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।

संयुक्त राष्ट्र की सफलताएँ और चुनौतियाँ

सफलताएँ:

- संयुक्त राष्ट्र ने कई शांति प्रयासों में सफलता प्राप्त की है, जैसे कोरियाई युद्ध के बाद शांति स्थापना, सुएज़ संकट में मध्यस्थता, और विभिन्न देशों में शांति स्थापना मिशन।

- UN ने वैश्विक स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे एचआईवी/एड्स की रोकथाम और विकासशील देशों में मदद।

चुनौतियाँ:

- सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति(निषेधाधिकार) के कारण कभी-कभी निर्णय लेने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से जब प्रमुख देशों के हित प्रभावित होते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन हमेशा प्रभावी नहीं रही हैं, और कई बार युद्धों और संघर्षों को रोकने में असफल रही हैं।

निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो विश्व शांति, सुरक्षा, और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं, यह संगठन वैश्विक मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ की तुलना (Comparison of League of Nations and UN System)

राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संगठन थे जिनका उद्देश्य देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था, लेकिन उनकी संरचना, प्रभावशीलता और ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर थे। यहाँ एक **तुलना** दी गई है:

1. ऐतिहासिक संदर्भ और गठन:

- राष्ट्र संघ (League of Nations): प्रथम विश्व युद्ध (1919) के बाद वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य देशों के बीच कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देकर शांति बनाए रखना और भविष्य के संघर्षों को रोकना था।

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में राष्ट्र संघ की जगह लेने के लिए बनाया गया। यूएन का गठन लीग की कमियों को दूर करने और लीग की विफलता से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत प्रणाली प्रदान करने के लिए किया गया था।

2. सदस्यता:

- राष्ट्र संघ : शुरू में इसके 42 सदस्य थे, और अपने चरम पर, इसके 58 सदस्य थे। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख राष्ट्र कभी

इसमें शामिल नहीं हुए, और कुछ देश समय के साथ पीछे हट गए (जैसे, जर्मनी, इटली और जापान)।

- संयुक्त राष्ट्र : वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, जो इसे अधिक समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक संगठन बनाता है। संयुक्त राष्ट्र का दायरा भी व्यापक है, जिसमें अधिक विविध देश भाग लेते हैं।

3. संरचना और निर्णय लेना:

- राष्ट्र संघ: संघ का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय विधानसभा था, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल थे, और परिषद, जिसमें स्थायी सदस्य (फ्रांस, यूके, इटली, जापान) और अस्थायी सदस्य शामिल थे। निर्णयों के लिए सर्वसम्मति या बहुमत के मत की आवश्यकता होती थी, जिससे कभी-कभी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था।

- संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र की संरचना अधिक जटिल है, जिसमें महासभा (सभी सदस्य देश), सुरक्षा परिषद (वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) और विभिन्न विशेष एजेंसियां शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के पास शांति और सुरक्षा पर बाध्यकारी निर्णय लेने की अधिक शक्ति है, वीटो शक्ति के साथ पांच स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण प्रभाव मिलता है।

4. शांति स्थापना और संघर्ष समाधान:

- राष्ट्र संघ: संघ का उद्देश्य कूटनीति और सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से संघर्षों को हल करना था। इसके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी और यह अपने सदस्यों के सहयोग पर निर्भर था। यह अक्सर महत्वपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई करने में विफल रहा, खासकर नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली जैसे आक्रामक राज्यों के उदय के साथ।

- संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र के पास अधिक औपचारिक शांति व्यवस्था है। इसके पास शांति सेना भेजने का अधिकार है, और यह सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकता है या सैन्य हस्तक्षेप को अधिकृत कर सकता है। संघर्षों और शांति स्थापना में मध्यस्थता करने में संयुक्त राष्ट्र अधिक सफल रहा है, हालांकि चुनौतियों के बिना नहीं।

5. प्रवर्तन शक्ति: (Enforcement power) :

- राष्ट्र संघ : संघ के पास प्रवर्तन शक्ति का अभाव था। यह केवल प्रतिबंध लगा सकता था या आक्रामक राष्ट्रों की निंदा कर सकता था, लेकिन राज्यों को अपने निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य करने का कोई तरीका नहीं था।

- संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद, प्रतिबंधों या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति रखती है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अधिक प्रभावी हो जाती है।

6. सफलता और विफलताएँ:

- राष्ट्र संघ: संघ की अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थता के लिए आलोचना की जाती है। प्रमुख विफलताओं में फासीवादी शासनों के उदय को रोकने में असमर्थता, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण और अपने निर्णयों को लागू करने में विफलता शामिल थी। अमेरिका की अनुपस्थिति ने इसके प्रभाव को कमजोर कर दिया।

- संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र को संघर्ष समाधान और शांति स्थापना में अधिक सफलता मिली है, जैसे कि कोरियाई युद्ध, स्वेज संकट और हाल ही में अफ्रीका में शांति स्थापना मिशनों में। हालांकि, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति और प्रमुख शक्तियों द्वारा कार्रवाई करने की अनिच्छा के कारण इसकी प्रभावशीलता को चुनौती दी गई है।

7. मानवीय प्रयास:

- राष्ट्र संघ : संघ ने कुछ मानवीय प्रयास किए, जैसे शरणार्थियों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना, लेकिन इस संबंध में इसकी क्षमता सीमित थी।

- संयुक्त राष्ट्र : UN का UNICEF, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) जैसी एजेंसियों के माध्यम से मानवीय प्रयासों पर अधिक ध्यान है। यह गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकार जैसी वैश्विक चुनौतियों का

समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

जबकि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लक्ष्य को साझा किया है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अपनी विस्तारित सदस्यता, अधिक प्रवर्तन शक्तियों और अधिक समावेशी संरचना के कारण कहीं अधिक प्रभावी और लचीली साबित हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में संघ की विफलता ने इसके मॉडल की सीमाओं को प्रदर्शित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष समाधान और वैश्विक शासन के लिए अधिक मजबूत तंत्र के साथ सुधारने का लक्ष्य रखा।

Unit-II

संयुक्त राष्ट्र के अंग (organs of United Nations)

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य रूप से **6 अंग** माने जाते हैं। जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है:

(1) महासभा (2) सुरक्षा परिषद (3) आर्थिक और सामाजिक परिषद (4) न्यासिता परिषद (5) सचिवालय (6) न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।

महासभा (GENERAL ASSEMBLY)

रचना (Composition)- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में अपने पांच प्रतिनिधि भेज सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को पांच वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी है। परन्तु एक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार होता है।

महासभा अपने 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद् के बहुमत (जिसमें पांच स्थायी सदस्यों का होना आवश्यक है) से किसी भी राष्ट्र का अपना सदस्य बना सकती है।

अधिवेशन (Sessions)- महासभा का एक वर्ष में कम-से-कम एक अधिवेशन होना अनिवार्य है। प्रायः महासभा का यह अधिवेशन सितम्बर मास में अमेरिका के न्यूयार्क नगर में आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित किया जा सकता है।

महासभा का अध्यक्ष (President of General Assembly)- प्रति वर्ष सामान्य अधिवेशन के लिए महासभा अपना अध्यक्ष निर्वाचित करती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 देशों से उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए जाते हैं जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। महासभा के अध्यक्ष का निर्वाचन एक औपचारिकता मात्र होता है और प्रत्येक वर्ष किसी देश के प्रतिनिधि को साधारणतः निर्विरोध निर्वाचित कर लिया जाता है।

निर्णय (Decisions)- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित महत्त्वपूर्ण विषयों का निर्णय साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 17 के अनुसार महत्त्वपूर्ण विषय इस प्रकार है-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के विषय में सिफ़ारिश।

(ii) आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन।

(iii) न्यासिता परिषद् के सदस्य का निर्वाचन।

(iv) सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन।

(v) संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश।

(vi) संयुक्त राष्ट्र में से सदस्यों का निलम्बन।

(vii) सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का स्थगन।

महासभा की समितियां (COMMITTEES OF THE GENERAL ASSEMBLY)

यह सभा अपना कार्य समितियों द्वारा सम्पन्न करवाती है। इसलिए महासभा द्वारा समितियों का निर्माण किया जाता है। पहले प्रत्येक विषय पर समिति में विचार-विनिमय किया जाता है और फिर महासभा में समिति की रिपोर्ट के आधार पर विचार-विनिमय किया जाता है। महासभा की मुख्य समितियां इस प्रकार हैं :-

1. मुख्य समितियां (Main Committees)

2. प्रक्रियात्मक समितियां (Procedural Committees)

3. स्थायी समितियां (Standing Committees)

4. तदर्थ समितियां (Ad-hoc Committees)

मुख्य समितियों द्वारा मूल (Substantive) विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है। प्रक्रियात्मक समितियां कार्य संचालन के विषयों पर विचार-विमर्श करती हैं। स्थायी समितियों द्वारा अविरत (Continuing) विषयों पर विचार विनिमय किया जाता है। तदर्थ समितियों का गठन समय-समय पर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है और कार्य समाप्त हो जाने पर ये समितियां भंग हो जाती हैं।

मतदान प्रणाली (VOTING PROCEDURE)

महासभा में मतदान का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 18 में किया गया है। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित तीन व्यवस्थाएं की गई हैं-

(i) महासभा के प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार होगा।

(ii) महत्त्वपूर्ण प्रश्नों या विषयों के सम्बन्ध में महासभा के निर्णय उसके उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई सदस्यों द्वारा लिए जाएंगे। जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय दो तिहाई बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, उन प्रश्नों और विषयों को अनुच्छेद 18 में ही अंकित कर दिया गया।

(iii) अनुच्छेद 18 में अंकित विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के सम्बन्ध में निर्णय महासभा के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, यदि महासभा ने किसी विषय को 'महत्त्वपूर्ण विषय' का स्थान देना हो तो इस बात का निर्णय महासभा के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से किया जाता है। यदि महासभा द्वारा किसी विषय को 'महत्त्वपूर्ण विषय' की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तो ऐसे विषय के सम्बन्ध में निर्णय महासभा के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।

महासभा की शक्तियां और कार्य (POWERS AND FUNCTIONS OF THE GENERAL ASSEMBLY)

महासभा की शक्तियों का वर्णन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 तक किया गया है। इन अनुच्छेदों में अंकित व्यवस्थाओं के आधार पर हम महासभा के कार्यों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. विचारात्मक कार्य (Deleberative Functions) — महासभा को हम संयुक्त राष्ट्र की विधानपालिका की संज्ञा दे सकते हैं। महासभा विश्व शान्ति से सम्बद्ध सभी प्रश्नों पर विचार-विनिमय, वाद-विवाद तथा अध्ययन कर सकती है। महासभा के विचारात्मक कार्य इस प्रकार हैं-

(क) किसी विषय या प्रश्न के सम्बन्ध में विचार करना (To discuss any question or matter) - संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 10 में यह व्यवस्था की गई है कि महासभा अपने क्षेत्राधिकार में निहित किसी भी विषय पर विचार विनिमय कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग की शक्तियों एवं कार्यों से सम्बद्ध विषयों पर यह विचार-विनिमय कर सकती है। महासभा जिस विषय पर विचार-विनिमय करती है, वह उसके सम्बन्ध में सिफ़ारिशें प्रस्तुत करती हैं।

ख) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थिर रखने के विषय में कार्य (Function regarding the maintenance of International Peace and Security)- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को स्थिर रखना सुरक्षा परिषद् का प्रथम कर्त्तव्य है। परन्तु महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है। महासभा को यह शक्ति चार्टर के अनुच्छेद 11 द्वारा दी गई है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था भी है कि महासभा निरस्त्रीकरण को नियन्त्रित और शस्त्रीकरण को नियमित करने के विषय में सिद्धान्तों पर भी विचार-विनिमय कर सकती है।

(ग) सिफ़ारिशें करने से सम्बद्ध कार्य (Functions regarding recommendations) - अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत ऐसे मुख्य उद्देश्य अंकित किए गए हैं, जिन्हें सम्मुख रखकर महासभा किसी विषय का अध्ययन या विचार करने के पश्चात् अपनी सिफ़ारिशें करती हैं। ऐसे कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

(i) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून और इसके संहिताकरण को प्रोत्साहित करना।

(iii) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करना।

(iv) वंश, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति में सहायता करना।

2. निरीक्षणात्मक कार्य (Supervisory Functions) -संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कुछ निरीक्षणात्मक कार्य भी करती है। इसके निरीक्षणात्मक कार्यों का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 15 में किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि महासभा सुरक्षा परिषद् से वार्षिक और विशेष प्रतिवेदन प्राप्त करके उन पर विचार करेगी। सुरक्षा परिषद् के इन प्रतिवेदनों में उन सभी कार्यवाहियों का वर्णन होगा जो कार्यवाहियां सुरक्षा परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को स्थिर रखने के उद्देश्य से की है या करने के लिए निर्णय लिए हैं। इसी अनुच्छेद में यह व्यवस्था भी है कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग भी अपने प्रतिवेदन महासभा को प्रस्तुत करेंगे और महासभा उन प्रतिवेदनों पर विचार करेगी।

3. वित्तीय कार्य (Financial Functions) - महासभा की वित्तीय शक्तियों का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 17 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार महासभा की वित्तीय शक्तियां इस प्रकार हैं-

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

(ii) सदस्य राष्ट्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यय का अनुपात निर्धारित करना।

(iii) अनुच्छेद 57 में व्यवस्थित विशिष्ट अभिकरणों की वित्तीय या बजट के विषय में व्यवस्थाओं को स्वीकृति देना।

(iv) विशिष्ट अभिकरणों के बजट का निरीक्षण करना और उन्हें बजट सम्बन्धी सिफ़ारिश करना।

4. सदस्यता के विषय में कार्य (Functions regarding Membership)-

(i) अनुच्छेद चार के अनुसार सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत के निर्णय पर किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश की आज्ञा दे सकती है।

(ii) अनुच्छेद पांच की व्यवस्था के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य को, जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद् द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्यवाही की गई हो, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर सदस्य के अधिकारों या विशेषाधिकारों के प्रयोग से निलम्बित किया जा सकता है।

(iii) अनुच्छेद 6 में यह व्यवस्था है कि यदि संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य बार-बार चार्टर के सिद्धान्तों की अवहेलना कर रहा हो, तो सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा उसे संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर सकती है।

5. निर्वाचन के विषय में कार्य (Electoral Functions) — संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता

है। महासभा निम्नलिखित निर्वाचन कार्य करती है-

(i) यह सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है।

(ii) यह आर्थिक और सामाजिक परिषद् के 54 सदस्यों का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन करती है।

(iii) न्यास परिषद् के सदस्य तीन वर्ष के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

(iv) यह न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिए करती है।

6. संशोधन के विषय में कार्य (Constituent Amendment Functions)— महासभा के चार्टर में संशोधन करने की शक्ति का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसे महासभा की संवैधानिक शक्ति की संज्ञा भी दी जा सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार महासभा अपने दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित कर सकती है। पारित संशोधन प्रस्ताव तभी लागू किया जाएगा, यदि संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्य इसका अनुमोदन कर दें और इन अनुमोदन करने वाले सदस्यों में सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य अवश्य हों।

7. विविध कार्य (Miscellaneous Functions) - महासभा के कुछ महत्त्वपूर्ण विविध कार्य इस प्रकार हैं-

(i) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास और इसके संहिताकरण को प्रोत्साहित करना।

(iii) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना।

(iv) वंश, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति में सहायता करना।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कल्याण को प्रोत्साहित करना।

(vi) विश्व के समस्त लोगों को निर्धनता से बचाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।

(vii) उपनिवेशों के हितों की रक्षा करना।

सुरक्षा परिषद् (THE SECURITY COUNCIL)

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका की संज्ञा भी दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रथम कार्य विश्व शान्ति और सुरक्षा को स्थिर रखना है। विश्व शान्ति और सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद् पर ही डाला गया है। अतः इसे संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग माना जाता है। गुडसपीड का कथन है कि "सामान्य लोगों की राय में संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिप्राय ही सुरक्षा परिषद् है।"

सुरक्षा परिषद् की शक्तियों, कार्यों, रचना आदि का संक्षेप वर्णन इस प्रकार है-

सुरक्षा परिषद् की रचना (Composition of the Security Council)- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 23 " में सुरक्षा परिषद् की रचना के विषय में व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिषद् के कुल 15 सदस्य होंगे। इन 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होंगे। ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain), चीन (China), रूस (Russia), फ्रांस (France) और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पांच स्थायी सदस्य है।

सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों को स्थायी प्रतिनिधित्व देने के विशेष कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निर्माताओं का विचार था कि युद्ध तभी होगा, जब महाशक्तियां चाहेंगी। अतः युद्ध को रोकने के दायित्व इन महाशक्तियों पर डाल दिया जाए तो शान्ति को स्थापित

रखने में पर्याप्त सुगमता रहेगी।

अधिवेशन (Sessions)— संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 28 सुरक्षा परिषद् के सत्र से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद् का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि यह संस्था निरन्तर कार्य करने के योग्य हो। सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि परिषद् के मुख्य स्थान पर हर समय उपलब्ध रहेगा। व्यवहार में सुरक्षा परिषद् की नियमित बैठक दो सप्ताह के पश्चात् होती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी नियमित बैठकें भी होती रहती हैं।

सभापति (President)— संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 30 में यह व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद् के सभापति के चुनाव की पद्धति सुरक्षा परिषद् स्वयं निश्चित करेगी। अन्य शब्दों में, सुरक्षा परिषद् को अपने सभापति के चुनाव की विधि निश्चित करने का अधिकार सुरक्षा परिषद् को स्वयं प्राप्त है। व्यवहार में सुरक्षा परिषद् का सभापति प्रति मास सदस्य राष्ट्रों के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के क्रम के अनुसार परिवर्तित होता रहा है।

समितियां (Committees)— अनुच्छेद 29 में यह व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद् को अपने सहायक अंग स्थापित करने की शक्ति है। सुरक्षा परिषद् अपने कार्यों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहायक अंग स्थापित कर सकती है।

सुरक्षा परिषद् में निम्नलिखित समितियां हैं-

1. स्थायी समितियां (Standing Committees) - सुरक्षा परिषद् में दो स्थायी समितियां हैं-

(क) विशेषज्ञ समिति, और

(ख) प्रवेश समिति।

(क) विशेषज्ञ समिति (Committee of Experts)- इस समिति का गठन 1956 में किया गया था। जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इस समिति में विधि(कानून)-विशेषज्ञ होते हैं। इनका मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद् की कार्य विधि के नियमों का निर्माण करना है।

(ख) प्रवेश समिति (Committee relating to the admission of New Members)- इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए नए देशों द्वारा आए आवेदन पत्रों की जांच-पड़ताल करना है।

2. तदर्थ समितियां/निकाय (Ad-hoc Committees/Bodies)- जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये समितियां स्थायी स्वरूप की नहीं होतीं। अपना लक्ष्य पूर्ण होते ही ये समितियां भंग हो जाती हैं। सुरक्षा परिषद् द्वारा अनेक बार ऐसी समितियों का गठन किया गया था। उदाहरणस्वरूप-

(क) फिलस्तीन के लिए विकास सन्धि आयोग

(ख) इण्डोनेशिया समस्या हेतु समिति

(ग) भारत और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग।

3. निरस्रीकरण आयोग (Disarmament Commission)-1946 में महासभा ने अणु शक्ति आयोग की स्थापना की थी। परन्तु 11 जनवरी, 1952 को सुरक्षा परिषद् के अधीन एक निरस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया था। उस समय केवल सुरक्षा परिषद् के सदस्य ही इस आयोग के सदस्य होते थे। 1958 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस आयोग के सदस्य बना दिए गए थे। इस आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

(क) आण्विक शक्ति पर नियन्त्रण लगाना। (ख) विनाशकारी शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना।

(ग) सेनाओं और शस्त्रों में कटौती करना।

4. सैन्य स्टॉफ समिति (Military Staff Committee) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 47 में सुरक्षा

परिषद् की सहायतार्थ सैन्य स्टॉफ समिति की व्यवस्था की गई। इस समिति का मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा उपलब्ध करवाए सैन्य बलों को लगाने, शस्त्रीकरण को नियमित करने और निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सभी प्रश्नों के विषय में सुरक्षा परिषद् की सहायता करना है। इस सैन्य स्टॉफ समिति में सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों के सेनाध्यक्ष सम्मिलित हैं।

मतदान प्रक्रिया (Voting Procedure)- अनुच्छेद 27 के अनुसार सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक स्थायी सदस्य को एक ही मत का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद में सुरक्षा परिषद् द्वारा निर्णय लेने के विषय में मतदान विधि भी निश्चित की गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार, सुरक्षा परिषद् के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है-(1) कार्यविधि विषय (Procedural matters) और (ii) महत्त्वपूर्ण विषय (Substantive Matters)।

अनुच्छेद 27 के अनुसार सभी कार्यविधि विषयों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद् के 9 सदस्यों के मत उस विषय के पक्ष में होने अनिवार्य हैं। सुरक्षा परिषद् के 15 सदस्यों में से ये कोई भी 9 सदस्य हो सकते हैं। परन्तु यदि कार्य विधि विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में निर्णय लेना हो तो 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत में 5 स्थायी सदस्यों के मतों का होना अनिवार्य है। अर्थात स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त है। अर्थात किसी प्रस्ताव पर मतदान के समय यदि एक भी स्थायी सदस्य उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है।

सुरक्षा परिषद् के कार्य और शक्तियां (POWERS AND FUNCTIONS OF THE SECURITY COUNCIL)

सुरक्षा परिषद् की मुख्य शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना:

UNSC का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाली स्थितियों में कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य उपायों के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है।

2. संविधानिक प्रतिबंध लागू करना:

UNSC देशों पर आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य प्रतिबंध लागू करने का अधिकार रखती है यदि कोई देश शांति के लिए खतरा बनता है या युद्ध, मानवाधिकारों का उल्लंघन, या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। ये प्रतिबंध निम्नलिखित हो सकते हैं:

- व्यापार प्रतिबंध
- यात्रा प्रतिबंध
- संपत्तियों को फ्रीज करना
- हथियारों पर प्रतिबंध

3. सैन्य बल का प्राधिकरण:

यदि शांतिपूर्ण उपायों से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो UNSC सैन्य बल के उपयोग को स्वीकृति दे सकती है। यह अध्याय VII के तहत किया जा सकता है, जिसमें अगर वैश्विक शांति पर गंभीर खतरा हो, तो सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है।

4. शांति स्थापना मिशन:

UNSC शांति स्थापना मिशन की स्वीकृति दे सकती है, ताकि संघर्षों के बाद के क्षेत्रों में शांति को बहाल किया जा सके और हिंसा को रोकने के लिए उपाय किए जा सकें। इन मिशनों में UN सेना तैनात की जाती है जो शांति बनाए रखती है और संघर्ष विराम की निगरानी करती है।

5. स्थायी सदस्य देशों का वीटो अधिकार:

सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य (P5) – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका – को वीटो अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि यदि इनमें से कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो वह इसे रोक सकता है, भले ही अन्य सदस्य पक्ष में वोट करें। यह वीटो अधिकार P5 देशों को UNSC के निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति प्रदान करता है।

6. मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजना:

UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कानूनी विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भेज सकती है, ताकि वह किसी विवाद पर कानूनी निर्णय या परामर्श दे सके।

7. सदस्यता अधिकार निलंबित करना:

UNSC किसी देश के सदस्यता अधिकारों को निलंबित कर सकती है, यदि वह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 में कहा गया है।

8. नए सदस्य देशों को प्रवेश देना:

जबकि नए देशों को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने का कार्य सामान्य सभा का है, UNSC इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। UNSC को नए सदस्य के प्रवेश को मंजूरी देनी होती है, जिसे फिर सामान्य सभा में वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

9. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे से बचाना:

UNSC संघर्षों, आक्रामकता, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी स्थितियों में हस्तक्षेप करती है। UNSC संबंधित पक्षों से संघर्ष विराम करने का आह्वान करती है, और यदि आवश्यक हो, तो सैन्य बल की स्वीकृति भी देती है।

10. संघर्षों की रोकथाम और कूटनीतिक प्रयास:

UNSC संघर्षों के होने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। यह युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थता कर सकती है, संघर्ष विराम की मांग कर सकती है, या शांति वार्ता में सहायता के लिए विशेष दूत भेज सकती है। UNSC क्षेत्रीय संगठनों और देशों के साथ मिलकर संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए काम करती है।

11. शांति स्थापना और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण:

UNSC संघर्षों के बाद शांति स्थापना मिशनों को मंजूरी देती है, ताकि शांति बहाल की जा सके और आगे हिंसा से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण चरण में तकनीकी सहायता, मानवीय सहायता और दीर्घकालिक शांति समझौतों को लागू करने में मदद करती है।

12. मानवतावादी सहायता और नागरिकों की सुरक्षा:

UNSC युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप की स्वीकृति दे सकती है, जिसमें शरणार्थियों और नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। यह मानवीय सहायता, सुरक्षित क्षेत्र बनाने और अन्य सहायता उपायों के लिए समर्थन प्रदान कर सकती है।

13. सैन्य और गैर-सैन्य उपायों का प्राधिकरण:

UNSC अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं का समाधान करने के लिए सैन्य और गैर-सैन्य उपायों का चयन कर सकती है। इनमें कूटनीतिक प्रयास, प्रतिबंध, या तथ्यान्वेषण मिशन की स्वीकृति शामिल हो सकती है। यदि इन उपायों से समाधान नहीं होता, तो UNSC सैन्य हस्तक्षेप की स्वीकृति दे सकती है, जिसे अक्सर संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।

14. निगरानी और रिपोर्टिंग:

UNSC शांति मिशनों और संघर्ष क्षेत्रों में नियमित रिपोर्ट प्राप्त करती है और स्थिति की निगरानी करती है। यह अन्य UN निकायों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से भी रिपोर्ट प्राप्त करती है ताकि परमाणु प्रसार या अन्य सुरक्षा खतरों का आकलन किया जा

सके।

15. निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना :

UNSC विशेष रूप से विनाशकारी हथियारों जैसे परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। यह नॉन-प्रोलिफरेशन संधि (NPT) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन की निगरानी करती है और देशों को अपनी हथियार नीतियों में सुधार के लिए प्रेरित करती है।

16. . अन्य UN निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय :

UNSC अन्य UN अंगों, जैसे सामान्य सभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC), तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), और क्षेत्रीय संगठनों जैसे अफ्रीकी संघ (AU) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ मिलकर काम करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शांति और सुरक्षा प्रयास मानवाधिकार और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़े हों।

17. निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना :

UNSC द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों या सैन्य हस्तक्षेप के बाद यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित देश इन निर्णयों का पालन कर रहे हैं। यह स्थिति के आधार पर अपनी रणनीतियों को भी समायोजित कर सकती है।

निष्कर्ष : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी शक्तियाँ और कार्य संघर्षों की रोकथाम, शांति स्थापना, सैन्य हस्तक्षेप, प्रतिबंध लागू करने और अन्य वैश्विक सुरक्षा प्रयासों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, स्थायी सदस्य देशों के वीटो अधिकार के कारण आलोचना भी होती है, फिर भी UNSC वैश्विक संघर्षों के समाधान और शांति की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

निषेधाधिकार (VETO POWER)

सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य-संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। यहां यह वर्णनीय है कि पहले सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य था, परन्तु दिसम्बर, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इस कारण उसके स्थान पर रूस को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनाया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रूस पहले सोवियत संघ का ही एक गणराज्य था। इन पांचों स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto Power) प्रदान किया गया है। इस प्रकार यदि इनमें से एक देश भी किसी निर्णय/प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह निर्णय /प्रस्ताव प्रभावी नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद् में मतदान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् (THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL)

संयुक्त राष्ट्र के छः मुख्य अंगों में आर्थिक और सामाजिक परिषद् एक मुख्य अंग है। विश्व शान्ति की स्थापना के लिए राजनीतिक समस्याओं का समाधान ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान, करना भी विश्व शान्ति के लिए अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक परिषद् का गठन किया है। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा प्रदत्त आर्थिक और सामाजिक कार्य सम्पन्न करती है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् के उद्देश्य (Aims and Objectives of Economic and Social Council)-संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 55 आर्थिक और सामाजिक परिषद् के उद्देश्यों से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद में से आर्थिक और सामाजिक परिषद् के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए हैं:-

(i) जीवन के उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति और विकास की अवस्थाएं उत्पन्न करना।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्याओं के समाधान और अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सहयोग विकसित करना।

(iii) वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय में सार्वभौमिक

सम्मान और उनके पालन का विकास करना।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् की रचना (Composition of the Economic and Social Council) — चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 61 में आर्थिक और सामाजिक परिषद् की रचना का उल्लेख किया गया है। मूल रूप में इसके सदस्यों की कुल संख्या 18 थी। 1965 में चार्टर में संशोधन करके इसके सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई थी। इसी प्रकार 20 दिसम्बर, 1971 को एक अन्य संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई थी। इस प्रकार वर्तमान समय आर्थिक और सामाजिक परिषद् के कुल 54 सदस्य है।

निर्वाचन (Election)-आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके 1/3 सदस्य अर्थात् 18 सदस्य एक वर्ष के पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद् के सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।

अधिवेशन (Session)- इसके अधिवेशन साधारणतः इसके एक वर्ष में दो अधिवेशन होते हैं। ये अधिवेशन साधारणतः अप्रैल एवं जुलाई मास में क्रमशः न्यूयार्क और जनेवा में होते हैं, यदि सदस्यों का बहुमत चाहे तो इसके सम्मेलन किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित किए जा सकते हैं।

मतदान प्रक्रिया (Voting Procedure)- आर्थिक और सामाजिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। इसकी बैठकों में निर्णय इसके उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। यह किसी गैर-सदस्यों को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकती हैं। ऐसे गैर-सदस्य बैठक में वाद-विवाद में भाग तो ले सकते हैं, परन्तु मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। यह परिषद् आवश्यकता पड़ने पर गैर-सरकारी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी परामर्श ले सकती है, परन्तु ऐसे संगठनों को इसकी बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (President and Vice President) - संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 73 में यह व्यवस्था है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद् प्रतिवर्ष अपने एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन करेगी।

आयोग और समितियां (Commissions and Committees)- आर्थिक और सामाजिक परिषद् को अपने कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए चार्टर के अनुच्छेद 68 में आयोग और समितियां गठित करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकाराधीन इस परिषद् ने कई आयोग समितियां गठित की हैं। इस परिषद् के दो प्रकार के आयोग हैं- (1) कार्यात्मक आयोग और क्षेत्रीय आयोग।

1. कार्यात्मक आयोग (Functional Commissions)

ये आयोग इस प्रकार है-

(i) परिवहन एवं संचार आयोग (ii) सांख्यिकी आयोग

(iii) जनसंख्या आयोग (iv) सामाजिक आयोग

(v) मानव अधिकार आयोग. (vi) महिलाओं के लिए सामाजिक स्तर आयोग

(vii) मादक पदार्थ आयोग (viii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग

(ix) वित्त आयोग

2. क्षेत्रीय आयोग (Regional Commissions)- इन आयोगों की स्थापना किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और समाधान के उद्देश्य से की जाती है। ऐसे आयोगों को गठित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस आयोग के सदस्य सम्बद्ध क्षेत्र विशेष के देश ही हों। इन आयोगों के नाम इस प्रकार है-

(i) यूरोप सम्बन्धी आर्थिक आयोग (Economic Commission relating to Europe-1947).

(ii) एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के विषय में आर्थिक आयोग (Economic Commission relating to the Asia and Far East Asia-1947)

(iii) लेटिन अमेरिका के विषय में आर्थिक आयोग (Economic Commission relating to Latin America-1948)

(iv) अफ्रीका के विषय में आर्थिक आयोग (Economic Commission Relating to Africa-1958)

आर्थिक और सामाजिक परिषद् की स्थायी समितियां (Standing Committees of Economic and Social Council) उपर्युक्त आयोगों तथा उप आयोगों के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद् की निम्नलिखित स्थायी समितियां भी हैं-

(i) प्राविधिक सहायतार्थ समिति (Committee Relating to Technical Assistance)

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता समिति (Committee relating to Negotiations with Inter State Institution.)

(iii) गैर-सरकारी संस्थाओं से परामर्श लेने के लिए समिति (Council Committee relating to Non-Governmental Institution)

(iv) कार्यालयी समिति (Agenda Committee)

(v) बैठकों के कार्यक्रम के लिए अन्तरिम समिति (Interim Committee Relating to Programme of Meetings.)

आर्थिक और सामाजिक परिषद् के कार्य (FUNCTIONS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL)

आर्थिक और सुरक्षा परिषद् द्वारा अनेक कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। इस परिषद् के मुख्य कार्य इस प्रकार है-

1. अध्ययन और प्रतिवेदन (Study and Report) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62 (1) द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और इनसे सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन करने और इस विषय में अपनी सिफारिशें महासभा, संयुक्त राष्ट्रों के सदस्यों और सम्बन्धित विशिष्ट अभिकरणों को प्रतिवेदन के रूप में भेजने का दायित्व सौंपा गया है।

2. विचार विनिमय और सिफारिश (Delibration and Recommendation)- आर्थिक और सामाजिक परिषद् का दूसरा कार्य अपने क्षेत्राधिकार में निहित विषयों पर विचार विनिमय करके अपनी सिफारिशें करना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62 (1) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि "आर्थिक और सामाजिक परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और इनसे सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन करके इस विषय में अपनी सिफारिशें महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और सम्बद्ध विशिष्ट अभिकरणों को भेजेगी।" यहां यह वर्णनीय है कि इसकी सिफारिशों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। इसकी सिफ़ारिशों को मानना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य नहीं है।

3. आर्थिक और प्राविधिक सहायता कार्य (Economic and Technical Assistance Functions)- इसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य विश्व के अविकसित देशों का आर्थिक और प्राविधिक सहायता प्रदान करवाना है। सम्पूर्ण विश्व की लगभग 70% जनसंख्या अल्प विकसित और विकासशील देशों में निवास करती है। इनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। उन्हें सामाजिक रूप में ऊंचा उठाने के लिए इन देशों का आर्थिक विकास अनिवार्य है। अतः संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और प्राविधिक सहायता देने का दायित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद् पर डाला है। आर्थिक परिषद् यह सहायता प्राविधिक दक्षता (Technical Skill) एवं आवश्यक उपकरण, यन्त्र, मशीनें आदि उपलब्ध करवा कर करती है।

4. मानव अधिकारों का विकास (Development of Human Rights) संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य यह है कि सभी देशों के लोगों को जाति, धर्म, नस्ल या रंग के आधार के बिना भेदभाव किए मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताएं प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र ने इस उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व आर्थिक और सुरक्षा परिषद् पर डाला है। परिषद् को मानव अधिकारों की रक्षार्थ योजनाएं बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए इस परिषद् ने 1946 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया था।

5. सहयोग और समन्वय (Co-operation and Co-ordination)- चार्टर के अनुच्छेद 63 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि "आर्थिक और सामाजिक परिषद् विशिष्ट अभिकरणों के कार्य-कलापों में विचार-विमर्श और सिफारिशों द्वारा समन्वय स्थापित कर सकती है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद् आर्थिक और सामाजिक सहयोग का एक मुख्य साधन है।

न्यास व्यवस्था और न्यासिता परिषद् (THE TRUSTEESHIP SYSTEM AND THE TRUSTEESHIP COUNCIL)

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की न्यास व्यवस्था की स्थापना न्यासिता क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख के लिए की गई थी, जो पूर्व उपनिवेश या क्षेत्र थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में रखा गया था, जिसका लक्ष्य उनकी स्वशासन और विकास को बढ़ावा देना था।

संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टशिप सिस्टम के तहत न्यास प्रदेश उस क्षेत्र को कहा जाता था जिसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी और प्रशासन के तहत एक "विश्वसनीय" देश के अधीन रखा जाता था, ताकि उस क्षेत्र को आत्म-शासन और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके।

ये क्षेत्र आमतौर पर पूर्व उपनिवेश या युद्ध से पहले और बाद के ऐसे इलाके थे, जो संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टशिप सिस्टम के तहत रखा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां के निवासियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जाए, साथ ही उन्हें आत्म-शासन की दिशा में मार्गदर्शन किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 11 और 12 इस व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। इन अध्यायों में अनुच्छेद 73 से 85 तक सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अध्याय 13 जिसमें अनुच्छेद 86 से 91 तक सम्मिलित है न्यासिता परिषद् से सम्बद्ध है।

अनुच्छेद 73 में गैर-स्वशासित क्षेत्रों के विषय में प्रशासन सदस्यों अर्थात् न्याय ग्रहण करने वाले सदस्यों के दायित्व अंकित किए गए हैं। इस अनुच्छेद में प्रशासक सदस्यों के विषय में अंकित हैं कि वे अपने अधीन क्षेत्रों का प्रशासन, उन क्षेत्रों के निवासियों के हितों के अनुसार चलाएंगे और उन लोगों के कल्याणार्थ कार्य करेंगे। इन मन्तव्यों की प्राप्ति हेतु उन क्षेत्रों के प्रशासक निम्नलिखित कार्य करेंगे-

(a) उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति, उनसे अच्छा व्यवहार और कुप्रयोग के विरुद्ध उनकी सुरक्षा को विश्वसनीय बनाना।

(b) उन क्षेत्रों में स्वशासन को विकसित करना, उन क्षेत्रों के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखना और उनके स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाओं के सहज विकास में उनकी सहायता करना।

(c) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

(d) विकास के विषय में सृजानात्मक कार्यवाहियों को विकसित करना, परस्पर सहयोग करना, इस अनुच्छेद में अंकित सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के विषय में व्यावहारिक प्राप्ति हेतु विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना।

(e) गैर-स्वशासित क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अवस्थाओं के विषय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को निरन्तर सूचनाएं प्रदान करना।

चार्टर के अनुच्छेद 75 के अन्तर्गत न्यास प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि

"संयुक्त राष्ट्र अपनी सत्ता के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यासिता प्रणाली स्थापित करेगा। यह प्रणाली उन क्षेत्रों के प्रशासन और निगरानी के लिए स्थापित की जाएगी जो क्षेत्र व्यक्तिगत समझौतों द्वारा इस प्रणाली के अधीन रखे जाएंगे। न्यासिता प्रणाली के अधीन रखे गए क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र कहा जाएगा।"1

न्यास प्रणाली के मौलिक उद्देश्य (The Basic Objectives of Trusteeship System)- न्याय प्रणाली के मौलिक उद्देश्यों का वर्णन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इस अनुच्छेद में यह अंकित है कि, "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद प्रथम में अंकित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुसार न्यास व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे-"

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को विकसित करना।

(ii) संरक्षित क्षेत्रों के निवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में वृद्धि करना।

(iii) स्वशासन या स्वतन्त्रता के प्रति उनके सहज विकास के लिए प्रयास करना।

(iv) नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना मानव अधिकारों को और सभी के लिए मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना।

(v) इस बात को प्रोत्साहित करना कि विश्व के लोग अन्तर्निर्भर हैं।

(vi) सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विषयों में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों और उनके देशवासियों से समान व्यवहार को विश्वसनीय बनाना।

न्यास व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश-न्यास प्रणाली का क्षेत्र अधिदेश प्रणाली (Mandate System) से पर्याप्त विस्तृत है। अधिदेश प्रणाली में केवल वही क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे जो क्षेत्र जर्मनी और टर्की से छीने गए थे, परन्तु न्यास प्रणाली समस्त परतन्त्र देशों से सम्बद्ध है। न्यास प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले प्रदेशों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-

(i) गैर-स्वशासित प्रदेश (Non-Self Governing Territories)

(ii) न्यासिता प्रदेश (Trust Territories)

गैर-स्वशासित प्रदेशों में वे समस्त परतन्त्र देश और उपनिवेश सम्मिलित हैं जिन्हें संरक्षित प्रदेश नहीं बनाया गया है। ये प्रदेश ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन हैं। इन प्रदेशों के विषय में चार्टर में कोई विशेष नियम अंकित नहीं हैं। चार्टर में केवल इतना ही अंकित है इन प्रदेशों के विषय में समय-समय पर महासचिन को सूचना दी जाए।

न्यास प्रवेश के विषय में अनुच्छेद 77 में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यास प्रदेश वे हैं जिन्हें न्यास समझौतों के माध्यम से न्यास प्रदेश बना दिया गया है। न्यास समझौते सम्बद्ध देशों के बीच होते हैं और उन्हें महासभा द्वारा स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। अनुच्छेद 77 के अनुसार न्यास क्षेत्र अग्रलिखित तीन प्रकार के हैं-

(a) जो क्षेत्र अधिदेश प्रणाली (Mandate System) के अन्तर्गत राज्यों के पास हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसी प्रणाली राष्ट्र संघ की प्रसंविदा (Covenent of League of Nations) के अन्तर्गत लागू थी।

(b) द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप शत्रु देशों से छीने गए प्रदेश।

(c) ऐसे क्षेत्र जो राज्यों द्वारा स्वेच्छा से न्यासिता प्रणाली को सौंपे जाएंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज तक किसी भी राष्ट्र ने स्वेच्छा से कोई प्रदेश न्यास प्रणाली को नहीं सौंपा है।

दिसम्बर, 1949 तक निम्नलिखित 11 क्षेत्र न्यास समझौतों द्वारा न्यास क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से अधिकतर प्रदेश स्वतन्त्र हो चुके हैं।

1. पश्चिमी समोआ- इसका प्रशासन न्यूजीलैंड को सौंपा गया था। प्रथम जनवरी, 1962 को यह प्रदेश स्वतन्त्र हो गया था और एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के रूप में विश्व मानचित्र में अंकित हो गया था।

2. फ्रेंच टोगोलैण्ड-इस देश का प्रशासक फ्रांस के हाथों में था। 17 अप्रैल, 1960 को यह प्रदेश स्वतन्त्र राज्य बन गया था।

3. फ्रेन्च कैमरून्स-इस देश का प्रशासन भी फ्रांस को सौंपा गया था। प्रथम जनवरी, 1960 को यह स्वतन्त्र देश बन गया था।

4. रूआण्डा और उरुण्डी-इन दोनों न्यास क्षेत्रों का प्रशासक बेल्जियम को बनाया गया था। प्रथम जुलाई, 1962 को इन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी और दोनों अलग-अलग स्वतन्त्र देश बने थे।

5. न्यूगिनी-इस प्रदेश का प्रशासक ऑस्ट्रेलिया है। यह अभी तक स्वतन्त्र नहीं हो सका है।

6. सोमाली लैण्ड-इसका प्रशासन इटली को सौंपा गया था। यह प्रदेश प्रथम जुलाई, 1960 को स्वतन्त्र हो गया था।

7. ब्रिटिश टोगोलैण्ड- इस क्षेत्र का प्रशासक इंग्लैंड था। यह प्रदेश 6 मार्च, 1957 को स्वतन्त्र देश बन गया या।

8. प्रशान्त महासागर के दीप इन द्वीपों का प्रशासक अमेरिका है। इन्हें अभी तक स्वायत्तता नहीं मिली है।

9. नौरू द्वीप इस का प्रशासन ऑस्ट्रेलिया को सौंपा गया था। 31 जनवरी, 1968 को इसे स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी।

10. ब्रिटिश कैमरून्स-इसका प्रशासन ब्रिटेन के पास था। प्रथम जुलाई, 1961 को यह स्वतन्त्र देश बन गया था।

11. टांगानीका – इसका प्रशासन भी ब्रिटेन के पास था। नौ दिसम्बर, 1961 को यह स्वतन्त्र हो गया था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यूगिनी और प्रशान्त महासागर द्वीपों के अतिरिक्त शेष सभी प्रदेश स्वतन्त्र देश बन चुके हैं।

न्यास प्रदेशों का वर्गीकरण (Classification of Trust Territories) न्यास प्रदेशों का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है:-

(i) सामान्य न्यास प्रदेश और

(ii) सामरिक महत्त्व के न्यास प्रदेश।

अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि "सामरिक महत्त्व वाले प्रदेश या प्रदेशों को न्यास समझौतों में विशेष परिपेक्ष्य में वर्णित किया जाएगा।"

अनुच्छेद 83 में यह व्यवस्था है कि "सामरिक महत्त्व वाले क्षेत्रों के विषय में संयुक्त राष्ट्र के समस्त कार्य सुरक्षा परिषद् द्वारा किए जाएंगे। इन कार्यों में न्यास समझौतों को स्वीकार करना भी सम्मिलित है।" इस प्रकार सामरिक महत्त्व वाले न्यास प्रदेशों को सुरक्षा परिषद् के अधीन रखा गया है।

सामान्य न्यास क्षेत्रों के विषय में संयुक्त राष्ट्र के कार्य महासभा द्वारा किए जाते है।

मौके पर निरीक्षण की व्यवस्था (Provision for on the Spot-Supervision)- न्यास व्यवस्था के अन्तर्गत मौके पर जाकर निरीक्षण करने की व्यवस्था है। न्यास परिषद् के प्रतिनिधि तीन वर्ष में कम-से-कम एक बार न्यास प्रदेशों का भ्रमण करके मौके पर निरीक्षण अवश्य करते हैं। इस निरीक्षण का पर्याप्त गहन प्रभाव पड़ता है।

न्यासिता परिषद् (TRUSTEESHIP COUNCIL)

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 13 में न्यासिता परिषद् की व्यवस्था की गई है। इस अध्याय में अनुच्छेद 86 से 91 तक सम्मिलित है। न्यासिता परिषद् की रचना, कार्यविधि, शक्तियों और कार्यों का वर्णन इस प्रकार है-

न्यासिता परिषद् की रचना (Composition of Trusteeship Council) यासिता परिषद् की रचना का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 86 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यासिता परिषद् में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे-

(a) जो सदस्य न्यास प्रदेशों का प्रशासन चला रहे हैं।

(b) संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रासं, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और रूस। अन्य शब्दों में सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य, वद्यपि वे न्यास क्षेत्रों का प्रशासन नहीं कर रहे, वे न्यासिता परिषद् में सम्मिलित होंगे।

(c) न्यास क्षेत्रों का प्रशासन करने वाले सदस्यों और सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों में से जो देश न्यास प्रदेशों का प्रशासन नहीं चलाते, इन दोनों प्रकार के देशों की संख्या के समान और सदस्य महासभा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 86 में यह व्यवस्था भी की गई है न्यासिता परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपने एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करेगा जो उस सदस्य का परिषद् में प्रतिनिधित्व करेगा।

मतदान विधि (Voting Procedure) – संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 89 में न्यासिता परिषद् में मतदान की विधि अंकित है। इन

अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि न्यासिता परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और न्यासिता परिषद् की बैठकों में निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे।

न्यासिता परिषद् की कार्य-विधि (Procedure of Trusteeship Council)- चार्टर के अनुच्छेद 90 के अन्तर्गत न्यासिता परिषद् की कार्यविधि का वर्णन है। इन अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि न्यासिता परिषद् अपने विधि नियम स्वयं निश्चित करेगी। इन विधि नियमों में परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि भी सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त न्यासिता परिषद् की बैठकें उस द्वारा निश्चित विधि नियमों भी सम्मिलित होंगी।

न्यासिता परिषद् का संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों और विशेष अभिकरणों के साथ सम्बन्ध (The relation of Trusteeship Council with other organs and specialized Agencies of United Nations) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 91 में न्यासिता परिषद् के संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों तथा विशिष्ट अभिकरणों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, "न्यासिता परिषद् अपने कार्यों के विषय में आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सहायता ले सकती है और सम्बद्ध विशिष्ट अभिकरण की सहायता से भी लाभ उठा सकती है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यास परिषद् अपने सामाजिक और आर्थिक विषयों के समाधान के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा विशेष कार्य करने वाले संस्थाओं से सहायता ले सकती है।

न्यासिता परिषद् के कार्य और शक्तियां (POWERS AND FUNCTIONS OF TRUSTEESHIP COUNCIL)

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 87 और 88 में इस परिषद् के कार्यों का वर्णन किया गया है। न्यासिता परिषद् के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है :-

1. वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना (To Consider the Annual Reports)- अनुच्छेद 87 में यह व्यवस्था है कि न्यास क्षेत्रों की प्रशासकीय सत्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर न्यासिता परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा। न्यास प्रदेशों का प्रशासन चलाने वाले देश को अपने अधीन न्यास प्रदेश की स्थिति के विषय में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। यह प्रतिवेदन न्यास प्रदेश द्वारा बनाई गई प्रश्नावली के अनुसार होता है।

2. न्यास प्रदेशों के निवासियों के आवेदनों पर विचार करना (To consider the petitions of the inhabitants of the Trust Territories)- न्याय प्रदेशों के निवासी न्यासिता परिषद् को लिखित या मौखिक आवेदन भेज सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर न्यास परिषद् द्वारा विचार किया जाता है। न्यासिता परिषद् को वार्षिक प्रतिवेदनों से सूचनाएं तो उपलब्ध हो जाती हैं, परन्तु उसे न्यास प्रदेशों के निवासियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए न्यासिता परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि वे न्यास प्रदेशों के निवासियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करके उन पर विचार करें।

3. मौके पर निरीक्षण करना (To make spot enquiry)- न्यासिता परिषद् न्यास क्षेत्रों में समय-समय अपना निरीक्षण मण्डल भेजती रहती है। साधारणतः तीन वर्ष के समय में यह एक बार अवश्य भेजा जाता है। इस निरीक्षण मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा न्यास क्षेत्रों के निवासियों से बातचीत की जाती है और प्रशासक देश द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन की सूचनाओं की पुष्टि इस बातचीत के आधार पर की जाती है।

न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)

न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 14 में की गई है। इस अध्याय में अनुच्छेद 92 से 96 तक अंकित है। अनुच्छेद 92 द्वारा इसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग घोषित किया गया है। न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है-

न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना (Composition of International Court of Justice)- वर्तमान समय

इस न्यायालय के कुल 15 न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रत्येक

तीन वर्ष के पश्चात् इसके लिए एक तिहाई अर्थात् 5 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

न्यायाधीशों की योग्यताएं (Qualifications of the Judges) न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश

बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं-

(i) प्रत्याशी चरित्रवान् और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना चाहिए।

(ii) उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो योग्यताएं उनके अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निश्चित की गई हैं।

(iii) उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पूर्ण ज्ञान हो।

(iv) उसका नाम सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित किया गया हो।

कार्यकाल (Tenure) —अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 9 वर्ष के समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार उनका कार्यकाल 9 वर्ष है। परन्तु प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनके स्थान पर नए न्यायाधीश निर्वाचित कर लिए जाते हैं। न्यायाधीशों को पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है।

गणपूर्ति (Quorum)- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति 9 निश्चित की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक इस न्यायालय के 9 न्यायाधीश उपस्थित न हों इसकी बैठक आरम्भ नहीं की जा सकती।

भाषा (Language)- न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

मुख्यालय (Headquarter)- इसका मुख्यालय हेग नगर में स्थित है। परन्तु यह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है।

मतदान (Voting)- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी निर्णय न्यायाधीशों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। यदि किसी निर्णय पर न्यायाधीशों के पक्ष और विरोध में समान मत हो तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होता है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (Chairman and Vice-Chairman)— अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में उसकी बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

कार्य विधि (Procedure) —अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने विधि नियमों का निर्माण स्वयं करता है। न्यायालय में विषय अधिसूचना द्वारा या रजिस्ट्रार के नाम लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा दोनों पक्षों को सूचित किया जाता है। कारवाही के समय दोनों पक्षों के पक्ष सुने जाते हैं।

चार्टर के अनुच्छेद 94 में यह अंकित है कि "संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इस बात का दायित्व अपने पर लेता है कि वे जिस अभियोग या विषय में एक पक्ष के रूप में सम्मिलित होगा, वह उस अभियोग के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन करेगा। यदि इस न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए दायित्वों को अभियोग में सम्मिलित कोई पक्ष पूरा नहीं करता, तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद् में पहुंच कर सकता है। ऐसी अवस्था में सुरक्षा परिषद् जो भी उचित समझेगी, वह कार्यवाही करेगी।"

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधि इस प्रकार है-

(1) न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उसको सौंपे गए विवादों निर्णय करेगा। निर्णय करते समय निम्न स्रोतों को काम में लाया जाएगा।

(i) सामान्य या विशेष अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेख।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज।

(iii) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है और उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने की शक्ति प्राप्त है।

न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार (JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 34 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस न्यायालय में अपना अभियोग नहीं ले जा सकता, अर्थात् अभियोग व्यक्तियों में नहीं हो सकते। इस न्यायालय में केवल राज्य ही अपना अभियोग ले सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में बांटा जा सकता है :-

(i) ऐच्छिक क्षेत्राधिकार

(ii) अनिवार्य क्षेत्राधिकार और

(ii) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।

इन तीनों प्रकार के क्षेत्राधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

(i) ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Optional Jurisdiction)- ऐसा अधिकार क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को तब प्राप्त होता है यदि सम्बन्धित राज्य यह घोषणा करते हैं कि वे अपने विवाद का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा करवाना चाहते है। इस अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जो प्रश्न सम्बन्धित राज्य इसके सम्मुख लाते हैं।

(ii) अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Compulsory Jurisdiction) - राष्ट्र स्वयं घोषणा करके निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर सकता है-

(1) सन्धि की व्याख्या।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित विषय।

(3) किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके प्रमाणित हो जाने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का अतिक्रमण समझा जाए।

(4) किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य के अतिक्रमण की स्थिति में हानिपूर्ति का रूप और परिणाम इत्यादि।

(iii) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 96 में इस न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा या सुरक्षा परिषद् किसी प्रश्न के विषय में परामर्शदायी मत देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनुरोध कर सकता है।

यहां यह वर्णनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श महासभा, सुरक्षा परिषद्, अन्य अंगों और विशिष्ट अभिकरणों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इसे मानना या न मानना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

डॉ० नगेन्द्र सिंह, जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे ने कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शदायी विचार देना न्यायालय का काम है। यद्यपि ये बाध्यकारी निर्णय नहीं है तथापि जनमत का निर्माण करने में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है।"

न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पालन (Compliance with the decisions of the International Court of Justice)- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 94 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पालन से सम्बद्ध है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था

की गई है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य इस बात का दायित्व लेता है कि वे जिस अभियोग या मामले में एक पक्ष के रूप में सम्मिलित होगा, वह उस अभियोग के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन करेगा। यदि इस न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए दायित्वों को अभियोग में सम्मिलित कोई पक्ष पूरा नहीं करता, तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद् में पहुंच कर सकता है। ऐसी अवस्था में सुरक्षा परिषद् जो भी उचित समझेगी, वह कार्यवाही करेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसे निर्णय के पालन के लिए सुरक्षा परिषद् जो कार्यवाही करने का निर्णय लेगी, उस पर पांचों स्थायी सदस्यों का एकमत होना अनिवार्य है।

सदस्य देश इस न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में महत्त्वपूर्ण अभियोग (Important Cases in International Court of Justice) — आज तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अनेक अभियोग लाए गए हैं उस में से कुछ महत्त्वपूर्ण अभियोग इस प्रकार हैं-

(i) हया डी० ला० टारे का अभियोग (Case of Haya de-la Torre)

(ii) आंग्ल नार्वेजियन मछली गाह अभियोग (Anglo-Nor Wegian Fisheries Cases)

(iii) कोफू चैनल अभियोग (Coirfu Channel Case)

(iv) मोरक्को अमेरिकन राष्ट्र जनों के उत्तराधिकार (The Right of Nationals of United States of America in Morocco)

(v) संयुक्त राष्ट्र की सेवा करते हुए होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति (Reparation of the Injuries suffered in the service of United Nations.)

(vi) संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के विषय में महासभा का अधिकार (Competance of the General Assembly for the admission of a state to United Nations)

(vii) दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा (International Status of South West Africa)

(viii) पुर्तगाल का भारतीय प्रदेश से गुज़रने के अधिकार का अभियोग (Case Concerning Right of a Access of Portugal to Certain Territories of India)

(ix) दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका अभियोग (South West African Cases)

सचिवालय और महासचिव (THE SECRETARIAT AND THE SECRETARY GENERAL)

सचिवालय (THE SECRETARIAT)

संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के समान सचिवालय भी इसका एक महत्त्वपूर्ण और मुख्य अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय अंग की संज्ञा भी दी जाती है। इस अंग की व्यवस्था चार्टर के अध्याय 15 में की गई है और इस अध्याय में अनुच्छेद 97 से 101 तक सम्मिलित हैं।

रचना (Composition)- सचिवालय की रचना की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 97 में की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार, "संयुक्त राष्ट्र में एक सचिवालय होगा, जिसमें महासचिव और संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारी वर्ग होगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रशासकीय अधिकारी होगा। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर महासभा द्वारा की जाएगी।"

कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति (Appoinment of Staff)- अनुच्छेद 101 में कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के विषय में व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में, यह व्यवस्था है कि महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाएगी। आर्थिक और सामाजिक परिषद् न्यासिता, परिषद् और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को स्थायी कर्मचारी दिए जाएंगे और यह कर्मचारी वर्ग सचिवालय का भाग होगा।

इस बात का भी आवश्यक ध्यान रखा जाएगा कि कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति अधिकाधिक भौगोलिक क्षेत्रों में से सम्भव हो सके। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव महासभा द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार करेगा। कर्मचारी वर्ग नियुक्ति में और सेवा शर्तों में सर्वाधिक महत्त्व की बात यह है कि कार्य-दक्षता और निष्ठा का सर्वोपरि स्तर प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की भर्ती का आधार तथा सम्भव व्यापक भौगोलिक आधार होगा।

शपथ एवं सेवा शर्तें (Oath and Conditions of Service)- चार्टर के अनुच्छेद 100 में कर्मचारी वर्ग की शपथ एवं सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार महासचिव और संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी वर्ग अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति के विषय में किसी सरकार या संयुक्त राष्ट्र के बाहर किसी अन्य सत्ता से कोई निर्देश नहीं लेंगे। वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो उनके अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी होने की स्थिति पर किसी प्रकार का प्रभाव डालते हों।

विभिन्न विभाग (Different Sections) —संरचना की दृष्टि से सचिवालय के अनेक विभाग और उप विभाग स्थापित किए गए हैं। इसे कुल सात विभागों में विभक्त किया गया है। ये विभाग इस प्रकार हैं-

(i) सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विषयों का विभाग (सुरक्षा विभाग)

(ii) प्रशासकीय और वित्तीय सेवाओं का विभाग (प्रशासकीय विभाग)

(iii) सम्मेलन और सामान्य सेवाओं के विषय में विभाग (समन्वय एवं सामान्य सेवा विभाग)

(iv) आर्थिक विषयों सम्बन्धी विभाग (आर्थिक विभाग)

(v) सार्वजनिक मामलों के विषय में विभाग (वैधानिक विभाग)

(vi) विधि मामलों का विभाग (न्याय विभाग)

(vii) सार्वजनिक सूचना के विषय में विभाग (जन सूचना विभाग)

सचिवालय के कार्य (Functions of the Secretariat) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सचिवालय के कार्यों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। परन्तु साधारणतः सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-

(i) यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशिष्ट अभिकरणों की बैठकों के लिए आवश्यक सामग्री, प्रलेख, निर्णयों की कार्यवाही का विवरण तैयार करने में सहायता देता है।

(ii) यह संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक समस्या के विषय में आंकड़े एकत्रित और सूचनाएं संग्रहित करता है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों के लिए सचिवालय एवं कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय उत्पन्न करने में सर्वाधिकार महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

(v) प्रत्येक सन्धि या अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को सचिवालय में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। यह ऐसी सन्धियों को पंजीकृत करने के साथ-साथ प्रकाशित भी करवाता है।

(vi) सचिवालय के महासचिव और उसके सहयोगी संयुक्त राष्ट्र संघ को तकनीकी, वैधानिक और राजनीतिक विषयों पर आवश्यक तथ्य उपलब्ध करवाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव (SECRETARY GENERAL OF UNITED NATIONS)

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय अधिकारी माना जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 97 ने इसे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी की संज्ञा दी है। उसे विश्व का प्रथम नागरिक होने का गर्व प्राप्त होता है।

महासचिव की नियुक्ति (Appointment of the Secretary General) - महासचिव की नियुक्ति का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 97 में किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर महासभा द्वारा की जाएगी। यहां वर्तमान समय में पुर्तगाल के निवासी श्री एन्टोनियो गुटेरस (Antonio Guterres) इस पद पर आसीन हैं। उनकी इस पद पर नियुक्ति प्रथम जनवरी, 2017 को हुई थी।

कार्यकाल (Tenure)- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किसी भी अनुच्छेद में महासचिव के कार्यकाल के विषय में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महासभा ने 1976 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध महासचिव के कार्यकाल से थी। इस प्रस्ताव द्वारा महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया था। इस प्रकार अब महासचिव पांच वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। उसे पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है।

वेतन (Salaries)— महासचिव को वार्षिक वेतन के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार सुविधाएं और अवकाश प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे पेन्शन भी मिलती है।

महासचिव के कार्य और शक्तियां (POWERS AND FUNCTIONS OF SECRETARY GENERAL)

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अनेक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। उस की मुख्य शक्तियों और कार्यों का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. प्रशासकीय कार्य (Administrative Functions)- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 97 ने महासचिव को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी घोषित किया है। महासचिव अनेक प्रशासकीय कार्य करता है जैसे सचिवालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सूचनाएं संग्रहित करना, प्रलेखों का तथा सामान्य दस्तावेजों का उचित वितरण करना आदि। इनके अतिरिक्त महासचिव निम्नलिखित कार्य भी करता ८-

(i) सभी सदस्य राष्ट्रों से चन्दा एकत्र करना।

(ii) संयुक्त राष्ट्र की विधि का आवंटन करना।

(iii) संयुक्त राष्ट्र की निधियों का संरक्षण।

(iv) संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा किया गया अन्तर्राष्ट्रीय समझौता या सन्धि को पंजीकृत करना और उसे प्रकाशित करवाना।

(v) सचिवालय के विभिन्न विभागों में सामञ्जस्य स्थिर रखना।

(vi) सचिवालय के समस्त कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होना।

2. वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Reprot) - चार्टर के अनुच्छेद 98 में महासचिव के निम्नलिखित कार्य अंकित किए गए हैं-

(i) महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् और न्यासिता परिषद् में मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रूप में कार्य करना।

(ii) वे कार्य करना जो उपर्युक्त अंगों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(iii) संयुक्त राष्ट्र की सम्पूर्ण कार्यशीलता के विषय में अपना वार्षिक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करना।

3. सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकृष्ट करना (To Attract the Attention of Security Council)-चार्टर के अनुच्छेद 99 में यह व्यवस्था है कि यदि महासचिव यह अनुभव करे कि विश्व शान्ति और सुरक्षा को खतरा है तो वह तत्काल सुरक्षा परिषद् का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद महासचिव को पहल कदमी (Initiative) करने की शक्ति प्रदान करता है।

4. सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति (Appointment of the officials of Secretariat)- चार्टर के अनुच्छेद 101 ने महासचिव को सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि महासभा

द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाएगी।

5. राजनीतिक कार्य (Political Functions)- इस कार्य द्वारा वह नीति निर्धारण में अपना प्रभाव डाल सकता है। अनुच्छेद 99 द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह कार्य वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अनुरोध पर करता है। इन बैठकों में वह अपना मत प्रस्तुत कर सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के माध्यम से भी महासचिव अपना कुछ राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा प्रतिवेदन प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें महासचिव अपने विचार भी व्यक्त करता है। अतः उसका वास्तविक प्रभाव होता है।

6. प्रतिनिध्यात्मक कार्य (Representative Functions) - संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संयुक्त राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधि कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के समस्त अंगों की सदस्य संख्या सीमित होती है। इसके साथ ही उनके उत्तरदायित्व का क्षेत्र भी संकुचित होता है। परन्तु महासचिव एक ऐसा अधिकारी है जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण संगठन से होता है। अन्य अभिकरणों एवं शासनों से वार्ताओं के समय महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कई, बार महासभा उसे समझौते करने के लिए अधिकृत भी कर देती है।

महासचिव की स्थिति (Position of the Secretary General) - उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि महासचिव का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण है। उसे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी घोषित किया गया है। परन्तु वह न केवल प्रशासकीय कार्य ही करता है, अपितु अनेक राजनीतिक कार्य भी उस द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। उसकी शक्तियों में समय परिवर्तन के साथ-साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

वास्तव में महासचिव की सफलता और असफलता संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर करती है। यदि इस पद पर आसीन व्यक्ति बुद्धिमान और राजनीतिक दांव पेचों के दक्ष हो तो वह अधिकाधिक सदस्य राष्ट्रों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।

महासचिव के पद पर अब तक आसीन हुए व्यक्ति

1. सर गलैंडवाईन जैब (Sir Glandwyin Jebb) (1945-46) - यह ब्रिटिश नागरिक थे। इन्हें कुछ समय के लिए कार्यवाहक महासचिव नियुक्ति किया गया था।

2. ट्रिगविली (Trygvilee) (1946-1953)- यह नार्वे देश के निवासी थे।

3. डाग हैमरशोल्ड (Dag Hammerskjoeld) (1953-61) - यह स्वीडन देश के निवासी थे।

4. ऊथांट (U-thant) (1961-1971) - यह बर्मा देश के निवासी थे।

5. कुर्त वाल्दहीम (Kurt Waldheim) (1971-1981) - आप आस्ट्रिया के निवासी थे।

6. जेवियर पेरेज़ द कुइयार (Javier Perez de Cuellar) (1981-1991) - आप पीरु देश के निवासी थे।

7. बुटरस-बुटरस घाली (Butros-Butros Ghali) (1992-1997)- आप मित्र देश के निवासी थे।

8. कोफी अन्नान (Kofi Annan) (1997-2007) - आप घाना के निवासी थे।

9. बॉन की मून (Ban ki Moon) (2007 से 2017) - आप दक्षिण कोरिया के निवासी थे।

10. एन्टोनियो गुटेरस (Antonio Guterres) (2017 से वर्तमान)- आप पुर्तगाल के निवासी हैं।

Unit -III

संयुक्त राष्ट्र : शान्ति रचना एवं शान्ति क्रियान्वितता (UNITED NATIONS : PEACE MAKING AND PEACE ENFORCEMENT)

संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दायित्व संपूर्ण विश्व में शान्ति की स्थापना करना है और शांति की रक्षा के लिए उचित कदम भी उठाने हैं। शान्ति व्यवस्था की रचना के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य देशों के बीच उठे विवादों का शान्ति पूर्ण समाधान हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विभिन्न तरह के तरीके अपनाता है, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान (Pacific Settlement of International Disputes)

अथवा

संयुक्त राष्ट्र एवं शांति रचना (United Nations and Peace Making)

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन का भी मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह संगठन परस्पर विवादों का समाधान न्याय संगत और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार शांतिपूर्ण ढंगों से करने का समर्थक है। इसके चार्टर के अनुच्छेद 2 में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भंग न हो। चार्टर के अध्याय 6 में ऐसे शांतिपूर्ण उपायों का वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में करेंगे। इन उपायों में से वार्ता, मध्यस्थता, वाद-विवाद, जांच, पंच निर्णय, न्यायिक समाधान आदि उल्लेखनीय हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

शान्तिपूर्ण हल करने की प्रक्रिया (Peaceful Procedure for Settlement)

प्रायः तीन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विवाद संयुक्त राष्ट्र के सामने लाये जाते रहे हैं-

1. तथ्यमूलक विवाद (Issues of Facts) - तथ्यमूलक विवादों में झगड़ा करने वाले देश आम तौर पर एक-दूसरे पर अनुचित कार्यवाही करने का दोष लगाते हैं। 1960 में सोवियत संघ और अमेरिका के R.B.-47 विमान को मार गिराना तथ्यमूलक विवाद था।

2. विधिक विवाद (Issues of Law)- वैधिक विवादों में कानूनी अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से सम्बन्धित प्रश्न होते हैं। इंग्लैण्ड एवं आइसलैंड का विवाद वैधिक विवाद का ही उदाहरण है।

3. नीति सम्बन्धी विवाद (Issues of Policy)- नीति सम्बन्धी विवाद वे होते हैं, जिनमें झगड़ा करने वालों की नीतियों में टकराव होता है। बर्लिन की स्थिति सम्बन्धी विवाद एक नीति सम्बन्धी विवाद ही था, जिसमें रूस और मिस्र राष्ट्रों की नीतियों से टकराव था।

प्लेनो एवं रिग्स (Plano and Riggs) ने संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाले झगड़ों को क्रमशः पांच भागों में विभाजित किया है-

(1) क्षेत्रीय एवं सीमा विवाद (Territorial and Boundary Questions)

(2) शीत युद्ध विवाद (Cold War Questions)

(3) स्वतन्त्रता विवाद (Independence Questions)

(4) घरेलू झगड़े (Domestic Questions)

(5) हस्तक्षेप सम्बन्धी झगड़े (Intervention Questions)

विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय एवं पद्धतियां (Means and Methods of peaceful Settlement of Disputes)

1. वार्ता (Negotiation)- इससे अभिप्राय है कि दो राष्ट्रों में अपने विवाद का समाधान करने हेतु बातचीत करना। बातचीत राष्ट्रों के मध्य भी हो सकती है और ऐसी बातचीत उनके प्रतिनिधियों के मध्य भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोनों देश पारस्परिक पत्र-व्यवहार भी

कर सकते हैं। इसे भी वार्ता के एक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।

नार्मन हिल (Norman Hill) के अनुसार, "राष्ट्रों के बीच अधिकांश समस्याएं इसी से सफलतापूर्वक निपट जाती हैं। अतः वे विश्व के सामने विवादों के रूप में प्रकट नहीं होतीं।" वार्ता पत्राचार, प्रतिनिधियों को बैठकों, शिखर सम्मेलनों आदि किसी औपचारिक अथवा अनौपचारिक विधि से हो सकती है।

2. सत्सेवा और मध्यस्थता (Good Offices and Mediation) - यदि सम्बन्धित दोनों पक्षों में वार्ता का ढंग अपनाने पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता तो अन्य देशों द्वारा उस विवाद के समाधान के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। सत्सेवा करने वाले देश दोनों विवादग्रस्त देशों का मित्र देश होता है। वह दोनों देशों को एक साथ बैठाता है, परंतु व्यावहारिकता वह समझौता वार्ता में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता। परंतु जब वह दोनों विवादग्रस्त देशों में मध्यस्थता करता है तो वह अपनी ओर से सुझाव देता है और विचार विनिमय में सक्रिय रूप में भाग लेता है। मध्यस्थता के सुझावों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना विवादग्रस्त देशों की अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है।

इस ढंग का कई बार प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप चाको क्षेत्र से लेकर बोलिविया और पैराग्वे में 1932 से 1933 तक निरंतर युद्ध हुआ। इस स्थिति में अर्जेंटीना, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, पेरू आदि देशों ने इस विवाद में सामूहिक मध्यस्थता की और इस विवाद का समाधान किया। सत्सेवा और मध्यस्थता में अन्तर पाया जाता है, जैसे कि सत्सेवाओं में तीसरा पक्ष झगड़े को सुलझाने के लिए अपनी केवल सेवाएं प्रदान करता है, और उसमें स्वयं भाग नहीं लेता, जबकि मध्यस्थता में तीसरा व्यक्ति या राज्य क्रियाशील होता है तथा वार्ता में भाग लेता है और शांतिपूर्ण ढंग से विवाद के समाधान में अपना योगदान देता है। सत्सेवा और मध्यस्थता करने वाला पक्ष एक व्यक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था हो सकती है।

3. संराधन((Conciliation) - इस उपाय में तथ्यों की जांच, मध्यस्थता और विवाद के लिए प्रस्तावों पर बल दिया जाता है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना विवादग्रस्त देशों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इस विधि में तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात् ही समाधान के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विधि विषय में विख्यात विद्वान् ओपनहीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार, "यह विवाद के समाधान की ऐसी विधि है, जिसमें विवाद का समाधान करने का दायित्व आयोग पर डाला जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों के तर्क सुनता है और उनमें समझौता करवाने के प्रयास के दृष्टिगत विवादी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इसमें विवाद के समाधान हेतु कुछ प्रस्ताव होते हैं किंतु ये पंचाट या न्यायालय निर्णय की भांति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होता।"

4. वाद-विवाद (Discussion)- यह विधि महासभा या सुरक्षा परिषद् द्वारा ग्रहण की जाती है। महासभा या सुरक्षा परिषद् द्वारा विवादग्रस्त दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने तर्क एवं दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार दोनों विरोधी पक्षों को बिना किसी भय के अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच मिल जाता है और वाद-विवाद के माध्यम से विवाद के समाधान की आशा बढ़ जाती है।

5. जांच (Enquiry)-इस विधि में विवाद के तथ्यों की जांच की जाती है। इस जांच द्वारा उन वास्तविकताओं का पता लगाया जाता है जिनसे विवादी पक्षों के मतभेदों को समाप्त किया जा सके। इसके पश्चात् ही विश्व में स्थायी शांति व सुरक्षा की ओर आगे बढ़ा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 36 द्वारा सुरक्षा परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे विवाद और स्थिति की जांच कर सकती है जिससे विश्व शांति को संकट पड़ने की संभावना अनुभव होती हो।

6. पंच निर्णय (Arbitration) - इस विधि का प्रचलन पाश्चात्य जगत् में यूनानियों के समय से चला आ रहा है। मध्य युग में भी इसका प्रचलन था। इस विधि के विषय में ओपनहीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार, "इस विधि (पंच निर्णय) का अभिप्राय देशों के बीच मतभेद का समाधान वैधानिक निर्णय द्वारा किया जाना है, यह निर्णय विवादी पक्षों द्वारा निर्वाचित किए हुए एक या कई पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग होता है।"

7. न्यायिक समाधान (Judicial Settlement) -इस विधि में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अथवा किसी ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है जिसे विधिवत् रूप में गठित किया गया हो। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र की स्थापना (1945) की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई तथा इसे संयुक्त राष्ट्र के एक मुख्य अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने विवादों के न्यायिक समाधान का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर डाला है। यदि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो भी वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की

संविदा का सदस्य बन सकता है। परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह देश सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर महासभा द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करे।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आज तक अनेकों ही विवादों का न्यायिक समाधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो विवाद लाए गए हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विवाद इस प्रकार हैं-

(a) कोर्फ चैनल विवाद, 1949 (Corfu Channel Disputes, 1949)

(b) विक्टर रोल हया-डी-ला टोरे विवाद, 1951 (Victor Raul Haya-De-La Torre Dispute, 1951)

(c) ऐंग्लो-नार्वे मत्स्यगाह विवाद, 1951 (Anglo-Norvegian Fisheries Dispute, 1951)

(d) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बनाम फ्रांस अणु परीक्षण विवाद, 1973 (Australia Newzealand Vs. France Nuclear Test case -1973)

(e) उत्तरी सागर में महाद्वीपीय तट का विवाद, 1967 (The North Sea continental Shelf Disputes between Holland Vs. Denmark and F.O.R., 1967)

8. अवरोधक कूटनीति (Preventive Diplomacy) - इस विधि का प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हेमरशोल्ड द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य विवाद में तनाव को कम करना है। प्लानो और रिग्ज़ ने इस विधि के चार ढंग बताए हैं-

(a) निरीक्षण दल द्वारा युद्ध विराम क्षेत्रों का निरीक्षण करना।

(b) संयुक्त राष्ट्र की सेना को युद्धरत पक्षों के मध्य स्थिर रखना।

(c) घरेलू व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का सहयोग प्रदान करना।

(d) सांप्रदायिक गुटों पर नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का प्रयोग करना।

9. क्षेत्रीय संगठन (Regional Organisation)- निम्नलिखित क्षेत्रीय संगठन भी विश्व शांति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं-

(i) अरब लीग (Arab League)- अरब लीग की स्थापना 22 मार्च, 1945 को की गई थी। इसने कई महत्त्वपूर्ण विवादों को शांति पूर्ण ढंग से हल करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसमें लेबनान, सउदी अरब, यू०ए०ई० तथा मिस्र जैसे देश शामिल हैं।

(ii) अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organisation of American States)- इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना सन् 1948 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी गोलार्द्ध में सैनिक आक्रमण या शांति भंग होने पर सामूहिक कार्यवाई करना तथा सदस्य देशों के आपसी विवादों को हल करना है। इसमें अमेरिका, अर्जेनटीना, ब्राजील, क्यूबा, कनाडा तथा मैक्सिको आदि देश शामिल हैं।

(iii) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community)- इसकी स्थापना यूरोपीय देशों ने की थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास करना है।

(iv) आसियान (ASEAN) - आसियान-दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की संस्था (ASEAN-Association of South-East Asian Nations) है। इसकी स्थापना वियतनामी संकट, कम्बोडिया संकट व इस क्षेत्र के देशों के पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण-पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। अगस्त, 1967 में इण्डोनेशिया, फिलीपाइन्स, मलेशिया, थाइलैण्ड तथा सिंगापुर ने इसकी स्थापना की। 1984 में बुनई भी इसका सदस्य बन गया। 1995 में वियतनाम तथा 1997 में लाओस तथा म्यांमार भी इस संगठन के सदस्य बन गए। आगे चलकर कम्बोडिया भी इसका सदस्य बन गया।

(v) सार्क (SAARC)- सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक सहयोग संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में की गई। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

(vi) एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग संघ (APEC) - इस संगठन की स्थापना 1989 में की गई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है।

(vii) हिमतक्षेस - इस संगठन की स्थापना सन् 1997 में हिन्द महासागर के तटीय देशों को मिलाकर की गई।

संयुक्त राष्ट्र एवं शांति क्रियान्वितता (United Nations and Peace Enforcement)

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर अब तक कई विवाद एवं विषय उसके सामने आए हैं, जिन्हें उसने हल करने का प्रयास किया है तथा उसमें सफल भी रहा है। इसमें हमें शांति क्रियान्वितता के उदाहरण भी स्पष्ट नज़र आते हैं, जैसे रूस-ईरान विवाद, यूनान विवाद, सीरिया और लेबनान की समस्या, इण्डोनेशिया की समस्या, कोर्फू चैनल विवाद, बर्लिन समस्या इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र (UN) और शांति प्रवर्तन(क्रियान्वितता) :

1. संयुक्त राष्ट्र (UN):

संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। UN का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना और आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना है।

शांति प्रवर्तन (Peace Enforcement):

शांति प्रवर्तन एक सैन्य ऑपरेशन है, जिसमें संघर्ष के दौरान शांति बनाए रखने या बहाल करने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक शांति स्थापना (Peacekeeping) से यह अलग है क्योंकि शांति प्रवर्तन में बल का प्रयोग किया जाता है, और यह संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है।

शांति प्रवर्तन की प्रमुख विशेषताएँ:

(i) सैन्य हस्तक्षेप : शांति प्रवर्तन में सैन्य बलों का उपयोग किया जाता है ताकि हिंसा को रोका जा सके और शांति की स्थिति को स्थापित किया जा सके। इसमें शांति रक्षक बलों के अलावा अतिरिक्त सैन्य संसाधनों की भी आवश्यकता हो सकती है।

(ii) **प्राधिकरण** : शांति प्रवर्तन अभियानों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा परिषद युद्धविराम बनाए रखने के लिए बल प्रयोग को मंजूरी दे सकता है।

(iii) लक्ष्य :शांति प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष को रोकना, नागरिकों की सुरक्षा करना, शांति प्रक्रिया को समर्थन देना और शांति स्थापना के लिए माहौल तैयार करना होता है, खासकर जब कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं।

(iv) बल का उपयोग : शांति प्रवर्तन पारंपरिक शांति स्थापना से इस प्रकार अलग है कि इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। जबकि पारंपरिक शांति रक्षक बल केवल आत्म-रक्षा में ही बल का प्रयोग करते हैं, शांति प्रवर्तन में हिंसा को रोकने या शांति समझौते को लागू करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है।

शांति प्रवर्तन(क्रियान्वितता) (Peace Enforcement) कब किया जाता है?

शांति प्रवर्तन तब किया जाता है जब:

- कूटनीतिक वार्ता या शांति स्थापना प्रयास विफल हो जाते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होता है।

- नागरिकों को खतरा होता है या मानवीय संकट पैदा हो जाता है।

- संघर्ष इतना बढ़ चुका होता है कि शांति बहाल करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

शांति स्थापना और शांति प्रवर्तन के बीच अंतर:

शांति स्थापना (Peacekeeping) : इसमें शांति रक्षकों को तैनात किया जाता है, जो संघर्ष के बाद संघर्षरत पक्षों के बीच शांति बनाए रखते हैं। यह आमतौर पर संघर्ष विराम के बाद होता है और सभी पक्षों की सहमति से किया जाता है।

शांति प्रवर्तन (Peace Enforcement) : इसमें बल प्रयोग किया जाता है ताकि संघर्ष को रोका जा सके और शांति को लागू किया जा सके। इसे संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है और यह अधिक आक्रामक होता है।

शांति प्रवर्तन अभियानों के उदाहरण/ संयुक राष्ट्र की शांति प्रवर्तन अथवा शांति क्रियान्वयन में भूमिका :

1. कोरियाई युद्ध (1950-1953) : संयुक्त राष्ट्र ने "शांति प्रवर्तन" के तहत सैन्य हस्तक्षेप को अधिकृत किया, जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र कमांड (UNC) को इस सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था।

2. गुल्फ युद्ध (1990-1991) : इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराकी बलों को कुवैत से बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी। यह एक शांति प्रवर्तन का उदाहरण था, जहां सैन्य बलों का इस्तेमाल कुवैत की संप्रभुता बहाल करने के लिए किया गया था।

3. सोमालिया (1992-1995) : सोमालिया में गृहयुद्ध और मानवीय संकट के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने शांति प्रवर्तन अभियानों को अधिकृत किया। शुरुआत में मानवीय सहायता की सुरक्षा का उद्देश्य था, लेकिन इसके बाद हिंसा के कारण सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

4. बोस्निया और हर्जेगोविना (1992-1995) : बोस्नियाई युद्ध के दौरान, UN और NATO ने शांति प्रवर्तन अभियानों को लागू किया ताकि जातीय सफाई और अत्याचारों को रोका जा सके। UN प्रोटेक्शन फोर्स (UNPROFOR) ने इसमें भाग लिया, और बाद में NATO ने शांति प्रवर्तन की जिम्मेदारी ली।

5. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (1999- वर्तमान) : संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (MONUSCO) कांगो में एक शांति प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करना है।

(6) यमन विवाद - 1962 में यमन में सैनिक क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति के बाद पड़ौसी राज्यों में यमन ने हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। यमन में युद्ध आरम्भ हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में शान्ति स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए और यमन में बाहरी देशों के हस्तक्षेप को समाप्त करके यमन में शान्ति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की।

(7) क्यूबा समस्या - क्यूबा में जून, 1959 में साम्यवादी क्रान्ति के फलस्वरूप फिडेल कास्त्रो की सरकार स्थापित हुई। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने आरम्भ कर दिए जिससे अमेरिका को चिन्ता होने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यूबा में सैनिक अड्डों की स्थापना के मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाया। 24 अक्तूबर, 1962 को अमेरिका ने क्यूबा की घेराबन्दी प्रारम्भ कर दी। इसमें दोनों महाशक्तियों में युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना उत्पन्न हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ऊथाण्ट के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों में युद्ध टल गया। सोवियत संघ ने क्यूबा से परमाणु शस्त्रों को हटा लिया। इस प्रकार क्यूबा की समस्या को हल करने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र हो जाता है।

शांति प्रवर्तन के चुनौतियाँ:

I. **प्रतिक्रिया का खतरा** : शांति प्रवर्तन में बल का प्रयोग संघर्ष को और बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ पक्ष प्रतिरोध कर सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है।

II. संसाधनों की आवश्यकता : शांति प्रवर्तन अभियानों के लिए सैन्य, वित्तीय और रसद संसाधनों की बड़ी आवश्यकता होती है।

III. राजनीतिक जटिलताएँ : कई बार शांति प्रवर्तन में राजनीतिक जटिलताएँ होती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हितों को संतुलित करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

शांति प्रवर्तन संयुक्त राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में मदद करता है। पारंपरिक शांति स्थापना से यह अलग है क्योंकि इसमें सैन्य बलों का प्रयोग किया जाता है और यह संघर्षरत पक्षों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। हालांकि यह प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम और चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर इसे लागू किया जाता है। शांति प्रवर्तन अभियानों के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वैश्विक शांति और स्थिरता स्थापित करना है।

संयुक्त राष्ट्र एवं सामूहिक सुरक्षा (United Nations and Collective Security)

अथवा

संयुक्त राष्ट्र एवं शान्ति निर्माण (United Nations and Peace Building)

- सामूहिक सुरक्षा का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Collective Security)

सामूहिक सुरक्षा से हमारा अभिप्राय देश की सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक सुरक्षा प्रयासों से लिया जाता है। समस्त देश अपने सुरक्षा प्रयासों के प्रति जागरूक रहते हैं। यदि किसी देश पर आक्रमण हो जाए तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन समस्त देश मिलकर उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं।

मॉर्गेन्थो के अनुसार, "सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है," एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए।"

श्लीचर के शब्दों में, "सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में एक आक्रमणकारी देश के विरुद्ध अन्य समस्त देश मिलकर शान्ति स्थापना के लिए अपना योगदान देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देशों को युद्धों से बचाना है और इसके असफल होने पर आक्रमणकारी का सामूहिक विरोध करना है। सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए सदस्य देशों में पारस्परिक विश्वास उनमें शक्ति का ठीक आबंटन होना आवश्यक है। "

प्लैनो और रिग्ज़ के अनुसार, "सामूहिक सुरक्षा राज्यों के किसी समुदाय के आपसी सम्बन्धों का समन्वय है जिसमें सभी सदस्य राज्य किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध आपसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।"

संक्षेप में सामूहिक सुरक्षा को हम निम्नलिखित अर्थों में अधिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं-

1. किसी एक राज्य पर किया गया हमला, सभी राज्यों पर किया गया हमला माना जाएगा।

2. यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा है तो खतरा ग्रस्त राष्ट्र की ओर से शेष सभी राष्ट्र कार्यवाही करेंगे।

3. किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, अकेले उस राष्ट्र की चिन्ता का विषय नहीं है, यद्यपि यह सभी अन्तर्राष्ट्रीय समाज की चिन्ता का विषय है।

4. आक्रमणकर्त्ता राष्ट्र के अतिरिक्त सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार है।

5. सामान्य तौर पर 'सामूहिक कार्यवाही के भय से' ही कई बार आक्रमणकर्त्ता राष्ट्र अपना कदम पीछे खींच हमले का विचार ही त्याग दे।

सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) के लक्षण:

संगठित सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, जिसमें राज्य एक-दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं, खासकर जब उनमें से किसी एक को खतरा या हमला होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी एक सदस्य पर हमला, सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, और उस खतरे का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यहां संगठित सुरक्षा के मुख्य लक्षण दिए गए हैं:

1. सामूहिक जिम्मेदारी :

- संगठित सुरक्षा प्रणाली में सभी सदस्य देशों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से होती है। यदि किसी एक सदस्य को खतरा होता है, तो बाकी सभी सदस्य उसकी सहायता करने के लिए बाध्य होते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं।

2. आपसी रक्षा (Mutual Defense) :

- संगठित सुरक्षा का मूल तत्व आपसी रक्षा है। यदि किसी एक सदस्य पर हमला होता है, तो उसे सभी अन्य सदस्य देशों द्वारा सहायता दी जाती है, जिसमें सैन्य, आर्थिक या कूटनीतिक समर्थन शामिल हो सकता है। यह सिद्धांत नाटो जैसे गठबंधनों से संबंधित है, लेकिन यह विचार विशिष्ट संधियों के बजाय सार्वभौमिक भागीदारी पर आधारित होता है।

3. आक्रामण की रोकथाम:

- संगठित सुरक्षा का उद्देश्य आक्रामण को रोकना है, ताकि संभावित आक्रामक देशों को किसी भी सदस्य पर हमला करने से रोका जा सके। इस सिद्धांत के तहत, यह मान लिया जाता है कि सामूहिक रूप से खड़ा होना आक्रामण के जोखिम को कम करता है और शांति बनाए रखने में मदद करता है।

4. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान:

- जबकि संगठित सुरक्षा में आक्रामण के मामलों में सैन्य प्रतिक्रिया शामिल हो सकती है, यह कूटनीति, वार्ता या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने पर भी बल देती है। इसका मुख्य उद्देश्य संघर्षों को बढ़ने से रोकना और हिंसा के बिना विवादों का समाधान करना है।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- संगठित सुरक्षा प्रणाली का प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सभी सदस्य देशों का सहयोग आवश्यक होता है। सदस्य राज्य मिलकर साझा सुरक्षा चिंताओं को हल करने, खुफिया जानकारी साझा करने और, जब आवश्यक हो, सैन्य या आर्थिक समर्थन देने के लिए एकजुट होते हैं।

6. वैधता और अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- संगठित सुरक्षा व्यवस्थाएँ आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN), के चारों ओर बनाई जाती हैं, जो किए गए कार्यों को वैधता प्रदान करते हैं। संगठित सुरक्षा प्रणाली के तहत किए गए कार्य सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे में होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिक्रियाएँ वैश्विक मानकों और नियमों के अनुरूप हों।

7. कार्यान्वयन तंत्र (Enforcement Mechanism):

- एक सफल संगठित सुरक्षा प्रणाली में कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इसमें प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव, या आक्रामकता के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकता है, ताकि आक्रामक देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों का पालन करें। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है।

8. सार्वभौमिक आवेदन (Universal Application):

- संगठित सुरक्षा का सिद्धांत आदर्श रूप से सार्वभौमिक होता है, अर्थात यह सभी सदस्य देशों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार या शक्ति कुछ भी हो। गठबंधन की तुलना में, जो विशिष्ट हितों के लिए बनाए जाते हैं, संगठित सुरक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी देशों को शामिल करना है, ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

9. सदस्य देशों के बीच एकजुटता:

- संगठित सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण एकजुटता है। इस प्रणाली में सदस्य देश न केवल बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट होते हैं, बल्कि वे शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में भी एकजुट होते हैं।

10. युद्ध की रोकथाम के लिए डराना (Deterrence):

- संगठित सुरक्षा का उद्देश्य आक्रामकता को रोकने के लिए एक मजबूत एकजुट मोर्चा बनाना है। यह ज्ञान कि किसी पर हमले का

मतलब सभी सदस्य देशों का जवाबी हमला होगा, संभावित आक्रामकों के लिए एक शक्तिशाली डर है और युद्ध के खतरे को कम करता है।

11. वैश्विक ध्यान (Global Focus):

- संगठित सुरक्षा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर बनाए रखना है, न कि केवल क्षेत्रीय सीमा में। यह प्रणाली पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का प्रयास करती है, ताकि स्थानीय या क्षेत्रीय संघर्षों को वैश्विक स्तर पर फैलने से रोका जा सके।

निष्कर्ष:

संगठित सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से आक्रामकता का सामना करने की जिम्मेदारी साझा की जाती है। इस प्रणाली के तहत, सदस्य देशों का आपसी सहयोग, एकजुटता और दीर्घकालिक शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना अनिवार्य है। संगठित सुरक्षा के सिद्धांत का उद्देश्य दुनिया भर में शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सामुहिक सुरक्षा के प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर में संगठित सुरक्षा से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अध्याय VII में दिए गए हैं। यह धारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक कार्रवाई करने का कानूनी ढांचा प्रदान करती है, जब शांति, शांति का उल्लंघन, या आक्रामकता का खतरा उत्पन्न होता है। यहां संगठित सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विवरण दिया गया है:

1. **अध्याय VII:** शांति के खतरे, शांति का उल्लंघन, और आक्रामकता के मामलों में कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा VII संगठित सुरक्षा के लिए आधार स्थापित करती है। इसमें कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं:

अनुच्छेद 39: शांति के खतरे का निर्धारण

- अनुच्छेद 39 कहता है कि सुरक्षा परिषद के पास शांति के खतरे, शांति का उल्लंघन या आक्रामकता की घटना का निर्धारण करने का अधिकार है। ऐसे मामलों का निर्धारण करना किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

- "सुरक्षा परिषद शांति के खतरे, शांति का उल्लंघन, या आक्रामकता की घटना का निर्धारण करेगी..."

- जब सुरक्षा परिषद इस प्रकार के खतरे का निर्धारण करती है, तो वह धारा VII के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

अनुच्छेद 40: अस्थायी उपाय

- अनुच्छेद 40 सुरक्षा परिषद को किसी ऐसी स्थिति के बढ़ने को रोकने के लिए अस्थायी उपाय अपनाने की अनुमति देता है जो शांति के खतरे का कारण बन सकती है। इसमें संघर्ष बढ़ने से पहले संघर्ष विराम की अपील, मध्यस्थता या अन्य कदम शामिल हो सकते हैं।

- "सुरक्षा परिषद संबंधित पक्षों से यह अनुरोध कर सकती है कि वे स्थिति के बढ़ने को रोकने के लिए जो भी अस्थायी उपाय आवश्यक या वांछनीय समझे, उनका पालन करें।"

अनुच्छेद 41: गैर-सैन्य उपाय

- अनुच्छेद 41 सुरक्षा परिषद को गैर-सैन्य उपायों को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि आंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, या अन्य उपाय जो बल प्रयोग के बिना किए जा सकते हैं।

- "सुरक्षा परिषद यह तय कर सकती है कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो बल के उपयोग के बिना उसके निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए

अपनाए जाएं..."

अनुच्छेद 42: सैन्य कार्रवाई

- अनुच्छेद 42 सुरक्षा परिषद को सैन्य बल के उपयोग की अनुमति देता है यदि गैर-सैन्य उपायों (अनुच्छेद 41) को अपर्याप्त समझा जाए। इसमें शांति बहाल करने या आक्रामकता से निपटने के लिए सैन्य बलों की तैनाती शामिल हो सकती है।

  - "यदि सुरक्षा परिषद यह मानती है कि अनुच्छेद 41 में वर्णित उपाय अपर्याप्त हैं या वे अप्रभावी साबित हुए हैं, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो आवश्यक हो, चाहे वह वायु, समुद्र, या स्थल बलों द्वारा हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल या बनाए रखा जा सके..."

- सैन्य कार्रवाई में शांति प्रवर्तन संचालन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन या सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत हस्तक्षेप।

अनुच्छेद 43: सशस्त्र बलों के लिए समझौतों की आवश्यकता

- अनुच्छेद 43 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद के लिए अपने सशस्त्र बल उपलब्ध कराने का आदेश देता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रख सकें। हालांकि, इन समझौतों के विवरण को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

  - "संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य यह समझौता करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को अपने सशस्त्र बल उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि विशेष समझौतों के अनुसार होगा..."

- यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्र को एक स्थायी सैन्य बल स्थापित करने की अनुमति देता था, जिसे तात्कालिक प्रतिक्रिया देने के लिए जल्दी तैनात किया जा सकता था, लेकिन इस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है, और सुरक्षा परिषद अक्सर सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर रहती है।

अनुच्छेद 44: विशेष मामलों में सशस्त्र बलों का उपयोग

- अनुच्छेद 44 सैन्य बलों में योगदान करने वाले देशों को उन बलों के उपयोग पर निर्णय लेने में शामिल होने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 45: सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराने में सहायता

- अनुच्छेद 45 सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद को अपने सैन्य बल उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने का आदेश देता है।

अनुच्छेद 46: सैन्य कार्रवाई की योजना बनाना

- अनुच्छेद 46 सुरक्षा परिषद के अधिकार में सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने के लिए प्रावधान देता है।

अनुच्छेद 47: सैन्य स्टाफ समिति

- अनुच्छेद 47 सैन्य स्टाफ समिति की स्थापना करता है, जो शांति बनाए रखने और शांति प्रवर्तन से संबंधित सैन्य मामलों पर सुरक्षा परिषद को सलाह देती है और सैन्य कार्रवाई के समन्वय में मदद करती है।

  - "एक सैन्य स्टाफ समिति का गठन किया जाएगा, जो सुरक्षा परिषद को उन सभी प्रश्नों पर सलाह देगी जो सुरक्षा परिषद के आर्टिकल 42 के तहत कार्रवाई करने के अधिकार से संबंधित हैं।"

2. अध्याय VI: विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

अध्याय VII के अलावा, अध्याय VI भी संगठित सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हालांकि यह अधिकतर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित है:

- **अनुच्छेद 33 अध्याय VI** के तहत पक्षों को विवादों को कूटनीति, मध्यस्थता, सुलह, पंचायती निवारण, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय

एजेंसियों या अन्य शांतिपूर्ण उपायों से हल करने का आह्वान करता है।

- "जो भी पक्ष किसी ऐसे विवाद में शामिल हैं, जिसका जारी रहना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है, वे पहले विवाद का समाधान बातचीत, जांच, मध्यस्थता, सुलह, पंचायती निवारण, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय एजेंसियों या अन्य शांतिपूर्ण उपायों से करने का प्रयास करेंगे।"

यह अनुच्छेद यह प्रेरित करता है कि सैन्य उपायों की बजाय शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए पहला प्रयास किया जाए।

3. सामूहिक सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संगठित सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य अंग है। इसके पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

- खतरे का निर्धारण (अनुच्छेद 39)।
- सजा या अन्य गैर-सैन्य उपायों को लागू करना (अनुच्छेद 41)।
- सैन्य कार्रवाई की स्वीकृति देना (अनुच्छेद 42)।
- सैन्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना सैन्य स्टाफ समिति के माध्यम से (अनुच्छेद 47)।

सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के तहत कार्रवाई करने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य कर सकती है, और यह निर्णय ले सकती है कि किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है। हालांकि, संगठित सुरक्षा की प्रभावशीलता अक्सर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों, विशेष रूप से स्थायी पाँच सदस्य (P5) देशों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका) की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है, जिनके पास वीटो शक्ति है।

निष्कर्ष : संयुक्त राष्ट्र चार्टर संगठित सुरक्षा के लिए धारा VII के तहत एक विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। सुरक्षा परिषद को खतरे का निर्धारण करने, गैर-सैन्य या सैन्य प्रतिक्रियाओं का निर्णय लेने और सैन्य स्टाफ समिति के माध्यम से कार्रवाई समन्वयित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र कभी-कभी पूरी तरह से संगठित सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने में संघर्ष करता है, फिर भी यह ढांचा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों के लिए केंद्रीय है।

Unit-IV

संयुक्त राष्ट्र और निरस्त्रीकरण:

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) : जिसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, और वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्षों का समाधान करना है। इसके कई उद्देश्यों में निरस्त्रीकरण (Disarmament) एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र और निरस्त्रीकरण:

निरस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों, विशेष रूप से परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों, और पारंपरिक शस्त्रों की कमी, सीमा, या समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र ने निरस्त्रीकरण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य युद्ध के खतरे को कम करना है, हथियारों के माध्यम से युद्ध की संभावना को समाप्त करना, और अंततः एक ऐसा विश्व बनाना है जहां विनाशकारी युद्धों का खतरा न हो।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका निरस्त्रीकरण में:

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से निरस्त्रीकरण पर काम करने में इसका एक केंद्रीय भूमिका रही है। यह देशों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहाँ वे निरस्त्रीकरण संधियों और प्रस्तावों पर चर्चा, वार्ता, और सहमति बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मुख्य रूप से कूटनीतिक है, लेकिन यह विशेष एजेंसियों और समितियों के माध्यम से अपने निरस्त्रीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी काम करता है।

निरस्त्रीकरण में शामिल प्रमुख UN संस्थाएँ और एजेंसियाँ:

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA):

- यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सामान्य रूप से प्रतिनिधिक अंग है, जिसमें सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- हर वर्ष इस मंच पर निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और बहस होती है, और यह अंग देशों को निरस्त्रीकरण के लिए संकल्पों और प्रस्तावों पर मतदान करने का अवसर प्रदान करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- UNSC मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह विशेष रूप से निरस्त्रीकरण पर केंद्रित नहीं है, लेकिन यह परमाणु और रासायनिक हथियारों के खतरे के समाधान के लिए विशेष कार्य करता है।

- UNSC संकलन, सैनctions, और सैन्य हस्तक्षेप को अनुमोदित कर सकता है, और यह खासकर WMDs (Weapons of Mass Destruction) जैसे मुद्दों पर काम करता है।

3. संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण कार्यालय (UNODA):

- 1998 में स्थापित UNODA, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है जो निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। यह निरस्त्रीकरण पहलों का प्रचार करता है, विशेषज्ञता प्रदान करता है, और निरस्त्रीकरण संधियों की बातचीत में मदद करता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विभिन्न देशों के बीच सहयोग को समन्वित करता है और निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों पर मंच प्रदान करता है।

4. निरस्त्रीकरण आयोग (DC):

- यह एक सहायक अंग है जो महासभा के तहत काम करता है और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य वैश्विक निरस्त्रीकरण समस्याओं पर चर्चा करना और नीतियों और प्रस्तावों पर सलाह देना है।

5. निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD):

- यह निरस्त्रीकरण संधियों के लिए प्राथमिक मंच है और जिनेवा में स्थित है। यह 65 सदस्य देशों को एकत्र करता है जो परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों, और पारंपरिक शस्त्रों जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं।

- इसने कुछ महत्वपूर्ण संधियों की बातचीत की है, जैसे कि Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), लेकिन राजनीतिक असहमति के कारण इसे कई बार समझौता करने में कठिनाई हुई है।

6. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA):

- IAEA, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी परमाणु निरस्त्रीकरण और नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। यह परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि परमाणु कार्यक्रमों का उपयोग परमाणु हथियारों के उत्पादन के लिए न हो।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रमुख निरस्त्रीकरण संधियाँ और समझौतें:

संयुक्त राष्ट्र ने कई महत्वपूर्ण निरस्त्रीकरण संधियों को वार्ता और सुविधा प्रदान की है। इनमें से कुछ प्रमुख संधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. परमाणु अप्रसार संधि (NPT):

- 1968 में हस्ताक्षरित और 1970 में लागू हुई NPT परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रमुख वैश्विक संधि है। इसकी तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

  1. परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना।

  2. परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देना।

  3. परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।

- हालांकि यह संधि व्यापक रूप से अनुमोदित है, कुछ प्रमुख देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, और उत्तर कोरिया ने इसे हस्ताक्षर नहीं किया है।

2. सम्पूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):

- 1996 में अपनाई गई CTBT परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्य से हों या शांतिपूर्ण उद्देश्य से। इस संधि पर 180 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यह अभी तक प्रभावी नहीं हो पाई क्योंकि कुछ प्रमुख देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ने इसे अनुमोदित नहीं किया है।

3. रासायनिक हथियारों की संधि (CWC):

- 1992 में अपनाई गई CWC रासायनिक हथियारों को समाप्त करने और उनके उपयोग को रोकने के लिए है। इस संधि के तहत, अधिकांश देशों ने अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की है।

4. जैविक हथियारों की संधि (BWC):

- BWC, जो 1975 में लागू हुई, जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि इस संधि ने सफलता हासिल की है, लेकिन इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ हैं क्योंकि इसमें निगरानी तंत्र कमजोर है।

5. हथियार व्यापार संधि (ATT):

- 2013 में अपनाई गई ATT अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करती है, जिसमें छोटे हथियार, हल्के हथियार, टैंक और युद्धपोत शामिल हैं। इसका उद्देश्य संघर्ष और मानवाधिकार उल्लंघनों में योगदान देने वाले अवैध हथियारों के व्यापार को रोकना है।

निरस्त्रीकरण में चुनौतियाँ:

1. राजनीतिक और रणनीतिक हित:

- कई देशों का मानना है कि उनके हथियार, विशेष रूप से परमाणु हथियार, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और रोधात्मक रणनीतियों के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण उपायों पर सहमति बनाने में मुश्किल होती है।

- प्रमुख शक्तियाँ जैसे अमेरिका, रूस और चीन अपने परमाणु हथियारों के विशाल भंडार को कम करने में धीमी गति से काम कर रही हैं, अक्सर सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए।

2. विश्वसनीयता और निगरानी तंत्र की कमी:

- प्रभावी निरस्त्रीकरण के लिए पारदर्शिता और विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रमुख शक्तियों के बीच अविश्वास और परमाणु हथियारों के लिए सुरक्षा के मुद्दे निरस्त्रीकरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र के पास निरस्त्रीकरण संधियों को लागू करने की क्षमता सीमित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू कानूनों की तरह सख्त नहीं होता।

3. गैर-हस्ताक्षरित देशों और उभरते खतरे:

- भारत, पाकिस्तान और इज़राइल जैसे देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और उनके पास परमाणु हथियार हैं, जो वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों को जटिल बनाते हैं।

- नए खतरों जैसे साइबर युद्ध, अंतरिक्ष आधारित हथियारों, और जैव प्रौद्योगिकी में विकास ने निरस्त्रीकरण के मुद्दों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ अभी तक इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं।

निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण है। हालांकि NPT और CWC जैसी महत्वपूर्ण संधियाँ हासिल की गई हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों, राजनीतिक विवादों और नई तकनीकों के विकास के कारण निरस्त्रीकरण एजेंडे में कठिनाइयाँ आती हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक प्रयास, विभिन्न निरस्त्रीकरण संस्थाओं के माध्यम से इसके कामकाज और बहुपक्षीय संधियों की वार्ता से यह उम्मीद बनी रहती है कि भविष्य में विश्व शांति और सुरक्षा को हथियारों की कमी के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र (UN) का लोकतंत्रीकरण

संयुक्त राष्ट्र (UN) का लोकतंत्रीकरण का सिद्धांत संगठन की संरचना, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं, और प्रतिनिधित्व प्रणालियों में सुधार करने के प्रयासों और प्रस्तावों को संदर्भित करता है, ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। समय-समय पर, यह विचार और बहस होती रही है कि UN को किस प्रकार बदलना चाहिए ताकि यह वैश्विक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, देशों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और समावेशी निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को अधिक बेहतर तरीके से दर्शा सके।

संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण के प्रमुख पहलू

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का सुधार:

संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख सुधार का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) है। UNSC की आलोचना अक्सर इसके पुराने और गैर-प्रतिनिधित्वपूर्ण रूप के लिए की जाती है, क्योंकि इसमें पांच स्थायी सदस्य (P5)—संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस—हैं, जो वीटो अधिकार रखते हैं। इन देशों का वैश्विक सुरक्षा मामलों पर अत्यधिक प्रभाव है, जो आधुनिक भू-राजनीतिक स्थिति को हमेशा सही तरीके से नहीं दर्शाता। आजकल, देशों के बीच शक्ति संतुलन बदल चुका है और उभरते हुए देशों जैसे भारत, ब्राजील आदि का वैश्विक भूमिका में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

सुधार के लिए तर्क:

- स्थायी सदस्यता का विस्तार: कई सुधारक UNSC के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करते हैं ताकि उन देशों को शामिल किया जा सके जो वर्तमान में इसका हिस्सा नहीं हैं, जैसे भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान या कोई अफ्रीकी देश। इन देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव है, लेकिन ये स्थायी सदस्य नहीं हैं।

- वीटो अधिकार का उन्मूलन: P5 देशों का वीटो अधिकार UNSC के प्रभावी कार्य में एक बड़ा अवरोध माना जाता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रोक सकता है, भले ही व्यापक सहमति हो। लोकतंत्रीकरण के प्रयासों में वीटो अधिकार को समाप्त करने या सीमित करने की मांग की जाती है।

- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: एक अन्य प्रस्ताव UNSC में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का परिचय देना है, ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों को सुरक्षा मामलों में अधिक प्रभावी रूप से भागीदारी मिल सके।

2. सामान्य सभा (General Assembly) का सुधार:

सामान्य सभा (GA), जो कि UN का मुख्य विचार-विमर्श निकाय है, UNSC से अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। हालांकि, कुछ लोग मानते हैं कि GA के निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता सीमित है, क्योंकि इसके पास बंधनकारी शक्तियां नहीं होती हैं।

सुधार के प्रस्ताव:

- GA (महासभा) की भूमिका को बढ़ाना: कई लोग GA को वैश्विक निर्णय-निर्माण में और प्रभावी बनाने की मांग करते हैं। वर्तमान में GA मुख्य रूप से एक मंच के रूप में कार्य करती है, जहाँ विचार-विमर्श और गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। एक प्रस्ताव यह है कि GA को वैश्विक निर्णय-निर्माण में अधिक अधिकार मिले, विशेष रूप से शांति और सुरक्षा के क्षेत्रों में।

- वोटिंग प्रक्रिया में सुधार: GA में वोटिंग प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आलोचनाएँ की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ निर्णयों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कभी-कभी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में बाधा डाल सकती है।

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC-United Nations Security Council) के सदस्यता का विस्तार:

UNSC का सदस्यता विस्तार लोकतंत्रीकरण के सबसे प्रमुख प्रस्तावों में से एक है। वर्तमान में UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं (5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य), जो 1945 में डिजाइन किए गए थे, और उस समय की भू-राजनीतिक स्थिति को दर्शाते थे। आजकल, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है, और बहुत से लोग मानते हैं कि UNSC की संरचना अब दुनिया के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को सही रूप से नहीं दर्शाती है।

विस्तार के प्रस्ताव:

- स्थायी सदस्य बढ़ाना: कुछ लोग UNSC में स्थायी सदस्यता बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद अफ्रीकी देशों को शामिल किया जा सके। ये देश वैश्विक शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान में UNSC में स्थायी सदस्य नहीं हैं।

- अस्थायी सदस्य बढ़ाना: एक अन्य प्रस्ताव यह है कि UNSC के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे परिषद विश्व के देशों का अधिक प्रतिनिधित्व कर सके। इससे अधिक क्षेत्रों को UNSC के निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार:

UN को अक्सर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के उपाय:

- निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को सुधारना: UN की निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। इसमें बेहतर रिपोर्टिंग, निर्णयों की सार्वजनिक समीक्षा और UN की आंतरिक प्रक्रियाओं को सार्वजनिक और मीडिया के लिए अधिक दृश्य बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

- सिविल सोसाइटी की भूमिका को मजबूत करना: एक सुझाव यह है कि सिविल सोसाइटी संगठनों (NGOs) और अन्य हितधारकों की UN के निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। यह मानवाधिकार और विकास जैसे मामलों पर विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है।

- बजट प्रक्रिया में सुधार: UN के बजट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए, ताकि सदस्य देशों की योगदानों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप खर्च किया जा सके।

5. वैश्विक शासन में असमानताओं को संबोधित करना:

कई आलोचकों का कहना है कि वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली, जो UN द्वारा प्रदर्शित होती है, विकासशील देशों की अपेक्षाओं और

हितों को उपेक्षित करती है और इसे विशेष रूप से उत्तरी देशों (Global North) के पक्ष में रखा जाता है।

वैश्विक असमानताओं को संबोधित करने के प्रस्ताव:

- वैश्विक दक्षिण (Global South) का प्रतिनिधित्व: कई सुधारों का लक्ष्य निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की अधिक प्रतिनिधित्व और आवाज सुनिश्चित करना है। वैश्विक दक्षिण (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया) को लंबे समय से वैश्विक शासन में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव रहा है, विशेष रूप से UNSC और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में।

- वैश्विक आर्थिक शासन को संतुलित करना: कुछ लोग UN की विशेष एजेंसियों जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सुधार करने का प्रस्ताव करते हैं, जो अक्सर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता देती हैं। सुधारों में इन संस्थाओं को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का अधिक प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

6. मानवाधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करना:

लोकतंत्रीकरण में UN को मानवाधिकारों के मुद्दों पर अधिक प्रतिक्रिया देने और दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रस्ताव:

- मानवाधिकार परिषद का सुधार: UN की मानवाधिकार परिषद (UNHRC) को प्रभावी और राजनीतिक रूप से पक्षपाती न बनाने की आवश्यकता है। सुधारों में परिषद की शक्तियों को बढ़ाकर मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है।

- लोकतंत्र और अच्छे शासन को बढ़ावा देना: UN को लोकतांत्रिक संस्थाओं, विधि का शासन, और अच्छे शासन का समर्थन करने पर अधिक जोर देना चाहिए। यह उन देशों के लिए अधिक सक्रिय उपायों में शामिल हो सकता है, जो लोकतांत्रिक परिवर्तन या शासन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

7. संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG- Secretary General) के कार्यालय का सुधार:

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) का कार्यालय UN में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है, जो संगठन का प्रतिनिधित्व करता है और इसके कार्यों का नेतृत्व करता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि महासचिव के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिकता की कमी है।

सुधार के प्रस्ताव:

- चयन प्रक्रिया में अधिक समावेशिता: महासचिव के चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है, ताकि उम्मीदवारों को उनके गुणों के आधार पर चुना जा सके और सभी सदस्य देशों का समावेश हो, न कि केवल P5 देशों का।

- सशक्त करना: कुछ लोग प्रस्ताव करते हैं कि महासचिव की भूमिका को और सशक्त किया जाए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें, विशेष रूप से संघर्ष निवारण और शांति निर्माण के क्षेत्रों में।

लोकतंत्रीकरण के रास्ते में चुनौतियाँ

जहां लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता स्पष्ट है, वहीं इसे प्राप्त करने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:

- **P5 देशों से प्रतिरोध:** P5 देशों (Permanent(स्थायी) 5 member), जिनके पास UN प्रणाली में महत्वपूर्ण शक्ति है, वे अपनी विशेषताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार को।

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** सुधार प्रक्रिया को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भी कठिनाई होती है, क्योंकि प्रमुख शक्तियाँ अक्सर सुधारों की दिशा पर सहमत नहीं होती हैं।

- **UN सुधारों की जटिलता:** UN एक अत्यधिक जटिल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और किसी भी सुधार प्रस्ताव को इस तरह से डिज़ाइन किया

जाना चाहिए कि सभी 193 सदस्य देशों के हितों को संतुलित किया जा सके।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण वैश्विक शासन के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। UNSC, सामान्य सभा और अन्य प्रमुख UN अंगों में सुधार आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि UN 21वीं सदी की चुनौतियों का सही तरीके से समाधान कर सके। ये सुधार UN को और अधिक प्रतिनिधि, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हैं, ताकि सभी सदस्य देशों और वैश्विक जनता के हितों को ध्यान में रखा जा सके। हालांकि, शक्तिशाली देशों से प्रतिरोध और सुधारों की जटिलताओं को पार करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर कूटनीति, समझौते और वैश्विक गतिशीलताओं के प्रति लचीलेपन की आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दावा

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सुधार के लिए सबसे मुखर समर्थकों में से एक रहा है, विशेष रूप से स्थायी सदस्यता के संदर्भ में। भारत का स्थायी सदस्यता के लिए दावा कई प्रमुख तर्कों पर आधारित है, जो इसके वैश्विक प्रभाव, ऐतिहासिक संदर्भ और भू-राजनीतिक परिदृश्य के विकास से जुड़े हैं। नीचे भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का विस्तृत विवरण दिया गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती थी। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य—संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस (पूर्व सोवियत संघ), चीन और फ्रांस—को वीटो अधिकार दिया गया था, जिससे ये देश वैश्विक सुरक्षा निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते थे। इन देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के रूप में देखा गया था और उन्होंने नए अंतरराष्ट्रीय आदेश की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हालांकि, इसके बाद के दशकों में वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारत, जो मूल रूप से स्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं था, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और एक प्रमुख उभरती हुई शक्ति बन चुका है। इसलिए, भारत का यह तर्क है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना अब समकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन को सही तरीके से नहीं दर्शाती, और अब समय आ गया है कि परिषद का सुधार किया जाए ताकि देशों जैसे भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिल सके।

भारत के दावे के प्रमुख कारण /भारत के दावे के पक्ष में तर्क

1. भारत का बढ़ता भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव:

- आर्थिक शक्ति: भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले दो दशकों में यह तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को और बढ़ने की उम्मीद है, और यह निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस प्रकार, भारत वैश्विक व्यापार, अर्थशास्त्र और वित्त में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का हकदार बनाता है।

- राजनीतिक प्रभाव: भारत का राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत वैश्विक लोकतंत्र, मानवाधिकार और सतत विकास के लिए एक प्रमुख प्रवक्ता बन चुका है। साथ ही, यह G20, BRICS और गैर-आधिकारिक आंदोलन (NAM) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है।

2. लोकतांत्रिक मान्यताएँ:

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। तथ्य यह है कि भारत एक स्थिर, कार्यशील लोकतंत्र है, जिसमें विविध राजनीतिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और नियमित चुनाव होते हैं, यह भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के दावे को मजबूत बनाता है। भारत का यह तर्क है कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा है, उसे वैश्विक

सुरक्षा और शांति निर्णयों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान:

- भारत ने 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने कई संघर्ष क्षेत्रों में सैनिक भेजे हैं, जिनमें कोरिया, कांगो, साइप्रस और लेबनान जैसे देश शामिल हैं। आज, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता इसके स्थायी सदस्यता के दावे को और मजबूत बनाती है।

4. वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का प्रतिनिधित्व:

- भारत ग्लोबल साउथ, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना, जिसमें केवल P5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं, कई लोगों के लिए अनुचित और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव को सही तरीके से दर्शाती नहीं है। भारत का तर्क है कि एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में, उसे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

- सुरक्षा परिषद में भारत का समावेश विकासशील देशों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, जो अक्सर P5 देशों द्वारा प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में हाशिए पर होते हैं।

5. वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:

- भारत ने हमेशा बहुपक्षीयता और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश का समर्थन किया है। यह हमेशा वैश्विक सुरक्षा में समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता रहा है, जिसमें आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाता है। भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा इस उद्देश्य से जुड़ा है कि वह वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में बड़ा भूमिका निभा सके और उभरते खतरों जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध और महामारी को हल कर सके।

6. एशिया में क्षेत्रीय नेतृत्व:

- भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश और एक क्षेत्रीय शक्ति है, और यह क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में क्षेत्रीय मुद्दों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एशिया में भारत का बढ़ता प्रभाव और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में इसका शांतिपूर्ण उदय भारत के स्थायी UNSC सदस्य बनने के दावे का समर्थन करता है।

7. अन्य देशों से समर्थन:

- भारत को अपनी स्थायी सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। कई देशों, जिनमें प्रमुख शक्तियाँ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल हैं, भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। भारत को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विशेष रूप से विकासशील देशों से भी समर्थन प्राप्त है। G4 देशों—भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी—ने सुरक्षा परिषद के सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से वकालत की है।

भारत के दावे के खिलाफ तर्क

भारत के स्थायी सदस्यता के दावे के समर्थन में मजबूत तर्क हैं, लेकिन इसके खिलाफ कुछ चुनौतियाँ और आपत्तियाँ भी हैं:

1. चीन का विरोध:

- भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का सबसे बड़ा विरोध चीन से आता है। UNSC का स्थायी सदस्य होने के नाते, चीन ने हमेशा भारत के दावे का विरोध किया है, खासकर एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को लेकर। चीन का विरोध एक महत्वपूर्ण रुकावट है, विशेष

रूप से इस कारण कि उसके पास वीटो अधिकार है।

2. क्षेत्रीय तनाव:

- भारत के पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ सदस्य यह सवाल उठाते हैं कि क्या भारत की स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संघर्षों को और बढ़ा सकती है। भारत के रणनीतिक हित और क्षेत्रीय विवादों के प्रति इसकी दृष्टि इसके दावे को जटिल बना सकती है।

3. वीटो अधिकार पर बहस:

- सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य देशों को वीटो अधिकार दिए जाने का सवाल उठता है। P5 देशों को वीटो अधिकार प्राप्त है, और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या नए स्थायी सदस्यों जैसे भारत को भी ऐसा अधिकार मिलेगा। वीटो अधिकार के विस्तार पर महत्वपूर्ण बहस हो रही है, और कई लोग इसे उचित नहीं मानते।

4. संविधानिक सुधार की आवश्यकता:

- कई आलोचक यह तर्क करते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विस्तार केवल एक कदम होगा। असल में, UNSC को और व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें न केवल स्थायी सदस्यता का विस्तार, बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया में समानता, जवाबदेही और प्रभावशीलता में भी सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव, वैश्विक शांति में योगदान और एशिया में क्षेत्रीय नेतृत्व के कारण मजबूत है। हालांकि, सुरक्षा परिषद के सुधार की प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई राजनीतिक और क्षेत्रीय बाधाएँ हैं। भारत के लिए, UNSC में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना न केवल इसके वर्तमान वैश्विक प्रभाव को पहचानने का मामला होगा, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा नीतियों को प्रभावी ढंग से आकार देने का एक अवसर भी होगा।

हालाँकि, UNSC के सुधार का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से P5 देशों से विरोध और शक्ति के वितरण पर चिंताओं के कारण, फिर भी भारत का यह दावेश्के सुधारों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा और यह संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर बहस का एक केंद्रीय हिस्सा होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सरकारों के प्रयास

1. श्री० पी० वी० नरसिम्हा राव के प्रयास (Efforts of Sh. P.V. Narsimha Rao) - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की न्यूयार्क शिखर बैठक जनवरी, 1992 में बुलाई गई थी। इस बैठक को सम्बोधित करते हुए भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने सुरक्षा परिषद् के विस्तार और उसे अधिक लोकतान्त्रिक बनाए जाने के भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। उनका मत था कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ जाने के कारण इसकी सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए। संगठन के विस्तार की दृष्टि से यह संख्या 25 से 30 होनी चाहिए क्योंकि विश्व में अनेकों क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी हुआ है जो कि क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं या फिर आर्थिक और संसाधनों की दृष्टि से महाशक्तियों के रूप में ऊभर कर सामने आए हैं। भारत ने अपने इस सुझाव को लिखित तौर पर 1 जुलाई, 1993 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डॉ० बुतरस घाली को उपलब्ध करवाए थे।

2. संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रयत्न (Efforts of United Front Govt.) - जून, 1996 में भारत में 13 क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के बाहरी सहयोग से संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतन्त्रीय बनाने और सुरक्षा परिषद् में भारत सहित विश्व की अन्य प्रमुख क्षेत्रीय व आर्थिक शक्तियों को स्थायी सदस्यता देने की मांग उठाई थी। संयुक्त राष्ट्र के 50वें अधिवेशन के दौरान इसमें सुधार और उसकी पुनर्संरचना के व्यापक विषय पर एक उच्चस्तरीय दल का गठन किया गया था। भारत और न्यूजीलैंड इसके सह अध्यक्ष थे। इस खुले कार्य दल को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना कार्य जारी रखते तथा इस दल ने सितम्बर, 1996 में महासभा के समक्ष अपनी सिफ़ारिशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को लोकतांत्रिक बनाने और इसे जवाबदेही बनाने सम्बन्धी विचार

प्रस्तुत किए थे।

3. वाजपेयी सरकार के प्रयत्न (Efforts of Vajpayee Govt.) - मार्च, 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई दलों की एक साझा सरकार का गठन हुआ था। अपनी सरकार के गठन के दो माह के भीतर भारत ने मई, 1998 में पांच परमाणु परीक्षण करके स्वयं को छठी परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के 53वें सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने यह कहा था कि परमाणु परीक्षणों का उद्देश्य किसी राष्ट्र को डराना या धमकाना न होकर भारत पर सम्भावित परमाणु आक्रमण से सुरक्षा का प्रयत्न है तथा स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। श्री वाजपेयी का मत था कि विश्व का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होने के कारण, विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका काफ़ी कम है।

संयुक्त राष्ट्र को सहस्त्राब्दि सम्मेलन में एक घोषणा-पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा-पत्र पर 150 देशों के अध्यक्षों ने अपनी सहमति प्रदान की थी। घोषणा-पत्र में पारित प्रस्ताव में सदस्य देशों ने विश्व में शान्ति की स्थापना, सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण और ग़रीबी उन्मूलन की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्य के अनुरूप एकजुट प्रयास करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार पर आम राय दी थी। संयुक्त राष्ट्र के इस सहस्त्राब्दि सम्मेलन के घोषणा-पत्र के मसौदे को तैयार करने में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

4. संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार के प्रयास (Efforts of U.P.A. Govt.) - मई, 2004 एवं मई 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता दिलवाने और इस दिशा में प्रयास जारी रखने की घोषणा की थी। इस दिशा में इस गठबन्धन सरकार ने सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के तीन अन्य दावेदारों जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर समूह-4 (Group-4) का निर्माण किया था। यह समूह मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सदस्यता के प्रयत्न करेगा। इसके लिए इस समूह ने विश्व जनमत को प्रभावित करने का विचार प्रस्तुत किया। दिसम्बर, 2004 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौफी अन्नान द्वारा गठित दल सुरक्षा परिषद् के विस्तार की सिफ़ारिश तो की थी परन्तु इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित कर दी थीं। समिति ने दो विकल्प प्रस्तुत किए थे-या तो छः स्थाई सदस्य बना दिए जाएं, जिन्हें वीटो पावर न मिले अथवा आठ स्थाई सदस्य बनाए जाएं और हर साल में उनकी सदस्यता का नवीनीकरण हो। भारत सहित अन्य तीनों देशों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। भारत बिना वीटों के स्थाई सदस्यता का इच्छुक नहीं था। इसके लिए भारत ने विश्व के सभी देशों के सहयोग की अपील की है। 8 नवम्बर, 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने भारतीय संसद् को सम्बोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने की घोषणा करके भारत की मांग को उचित बताया था। उनकी इस घोषणा से भारतीय पक्ष को सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

5. राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार के प्रयास (Efforts of N.D.A. Govt.) - मई 2014 में भारत में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन का निर्माण हुआ। श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के अभियान को जारी रखा। उन्होंने समय-समय पर सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रश्न को उठाया। सितम्बर 2015 में अपनी अमेरिका की यात्रा में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बोलते हुए इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया, तथा इस सम्बन्ध में जापान, जर्मनी तथा ब्राजील के मुख्याध्यक्षों से मुलाकात की। यही कारण है कि अब अधिकांश देश भारत के दावे का समर्थन करने लगे हैं।

संयुक राष्ट्र का मूल्यांकन (Assessment of UN)

संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 1945 में अपनी स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। जबकि इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके योगदान वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहे हैं। यहां संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ दी गई हैं:

1. शांति रक्षा और संघर्ष समाधान

संयुक्त राष्ट्र ने शांति बनाए रखने और संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शांति रक्षा मिशनों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से। प्रमुख उपलब्धियाँ शामिल हैं:

- साइप्रस (1964-प्रस्तुत): संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल (UNFICYP) ने पिछले कई दशकों से साइप्रस में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।

- रवांडा (1994): हालांकि रवांडा नरसंहार को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता की आलोचना की जाती है, लेकिन इसके बाद से इसने क्षेत्र में पुनर्वास और सुलह के प्रयास किए हैं।

- पूर्व युगोस्लाविया (1990s): युगोस्लाविया के विघटन के बाद संघर्षों का प्रबंधन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों को तैनात किया गया था, और पूर्व युगोस्लाविया के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICTY) युद्ध अपराधों के मामलों को निपटाने में सहायक था।

2. मानवाधिकारों का प्रचार — संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवाधिकारों के प्रचार में रहा है। प्रमुख उपलब्धियाँ हैं:

- विश्व मानवाधिकार घोषणा (1948): इस घोषणा को अपनाकर वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के लिए एक मानक स्थापित किया गया, जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों को प्रेरित किया।

- मानवाधिकार संधियाँ और तंत्र: संयुक्त राष्ट्र ने कई संधियाँ बनाई हैं, जैसे कि बाल अधिकार संधि (1989) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (1966), जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।

- मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR): यह निकाय मानवाधिकार उल्लंघन पर नजर रखता है और वैश्विक मानवाधिकार चुनौतियों को हल करने में मदद करता है।

3. मानवीय सहायता और शरणार्थी संरक्षण - संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और गरीबी से प्रभावित करोड़ों लोगों को मानवीय सहायता और शरण प्रदान की है। प्रमुख उपलब्धियाँ शामिल हैं:

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP): WFP वैश्विक स्तर पर भूख के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी मानवतावादी संगठन रहा है, जो संघर्ष क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करता है।

- UNHCR: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों को संरक्षण और सहायता प्रदान करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें कानूनी सहायता, आश्रय और समर्थन प्रदान करता है।

4. सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाया, जो 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक सेट है, जिसे 2030 तक गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शांति और न्याय से निपटने के लिए तैयार किया गया था। SDGs एक व्यापक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।

5. स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण - संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियाँ, विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। कुछ प्रमुख सफलताएँ हैं:

- चेचक का उन्मूलन (1980): WHO ने वैश्विक प्रयासों के माध्यम से चेचक के उन्मूलन में सफलता प्राप्त की, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है।

- पोलियो उन्मूलन अभियान: WHO और इसके साझेदारों ने दुनिया भर में पोलियो मामलों को काफी हद तक घटा दिया है, और इसके उन्मूलन के लिए प्रयास जारी हैं।

- वैश्विक स्वास्थ्य पहलों: WHO ने एचआईवी/एड्स संकट, पश्चिमी अफ्रीका में इबोला महामारी, और COVID-19 महामारी जैसी महामारियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. शिक्षा और सशक्तिकरण : संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं:

- यूनेस्को की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने सभी के लिए शिक्षा, साक्षरता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर विकासशील देशों में।

- लिंग समानता पहल: UN Women के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता प्राप्त करने, लिंग आधारित हिंसा से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है।

7. पर्यावरणीय संरक्षण : संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

- पेरिस समझौता (2015): संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) ने पेरिस समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें देशों ने वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया।

- पर्यावरणीय कार्यक्रम और जागरूकता: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण में कमी और सतत संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर काम करता है।

8. आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन

संयुक्त राष्ट्र ने कई विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की है:

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP): UNDP देशों को गरीबी कम करने, लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।

- सूक्ष्मवित्त और गरीबी उन्मूलन: संयुक्त राष्ट्र की सूक्ष्मवित्त और आर्थिक सशक्तिकरण पहलों, जैसे ग्लोबल फंड ने कई देशों में गरीबी उन्मूलन में मदद की है।

9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति : संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है:

- वैश्विक संधियाँ और समझौते: संयुक्त राष्ट्र ने निरस्त्रीकरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर संधियाँ और समझौते कराए हैं, जो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं।

- संघर्षों की रोकथाम: संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक प्रयासों ने कई संघर्षों को बढ़ने से रोका है और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया है, जैसे मध्य पूर्व और अफ्रीका में मध्यस्थता प्रयास।

10. न्याय और कानून का शासन

संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना की है और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कदम उठाए हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): संयुक्त राष्ट्र ने ICC की स्थापना में मदद की, जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों को अभियुक्त करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय: संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से रवांडा (ICTR) और पूर्व युगोस्लाविया (ICTY) के लिए न्यायालय स्थापित किए गए थे, जो युद्ध अपराधों के आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने में सहायक थे।

निष्कर्ष : संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के बाद से कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से वैश्विक शांति, विकास, मानवाधिकार और स्थिरता के प्रचार में। जबकि कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे सुरक्षा परिषद में सुधार और संघर्ष समाधान, संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों ने दुनियाभर में अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में गहरा प्रभाव डाला है। इसका काम लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि यह वैश्विक समुदाय की बदलती जरूरतों का समाधान करने की कोशिश कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की असफलताएं /विफलताएं

संयुक्त राष्ट्र (UN), जिसे 1945 में स्थापित किया गया था, का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना,

सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। हालांकि, इसके कई सफलताएँ रही हैं, संयुक्त राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विफलताओं और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। अपनी व्यापक जिम्मेदारियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र कई जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में प्रभावी साबित नहीं हुआ है, जो इसके प्रभावशीलता और प्रासंगिकता के बारे में सवाल उठाते हैं।

नीचे उन प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, जहाँ संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण विफलताओं का सामना किया है:

1. संघर्षों को रोकने या समाप्त करने में असमर्थता

संयुक्त राष्ट्र की सबसे गंभीर आलोचना यह है कि उसने कई संघर्षों को रोकने या प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता पाई। शांति सेना और मध्यस्थता की भूमिका के बावजूद, संगठन कुछ सबसे विनाशकारी युद्धों में प्रभावी साबित नहीं हुआ है।

प्रमुख उदाहरण:

- रवांडा जनसंहार (1994): रवांडा जनसंहार में लगभग 8,00,000 लोग मारे गए थे, जो मुख्य रूप से तुत्सी जाति से थे और हुतू जाति के लोगों द्वारा मारे गए थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा में शांति रक्षक भेजे थे (संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन रवांडा या UNAMIR), वे हिंसा को रोकने के लिए सक्षम नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, जल्दी प्रतिक्रिया करने में विफल रहा, जिससे नरसंहार हो गया।

- सरेब्रेनिका हत्याकांड (1995): बोस्निया और हर्जेगोविना में बोस्नियाई युद्ध के दौरान सरेब्रेनिका में 8,000 से अधिक बोस्नियाई मुस्लिम पुरुषों और बच्चों को बोस्नियाई सर्ब बलों ने मार डाला। जबकि डच संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक क्षेत्र में तैनात थे, वे नागरिकों की रक्षा करने में असफल रहे। इस हत्याकांड को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता को एक गंभीर असफलता के रूप में देखा गया।

- सीरिया गृहयुद्ध (2011-वर्तमान): सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संकट में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अप्रभावी रही है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने शांति वार्ता का आह्वान किया, सुरक्षा परिषद कभी भी निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हुई, क्योंकि मुख्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक गतिरोध और रूस और चीन जैसे देशों के समर्थन के कारण कार्यवाही रुक गई।

विफलता के कारण:

- सुरक्षा परिषद में गतिरोध: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और अमेरिका) को वीटो पावर देने के कारण कभी-कभी कार्रवाई में रुकावट आती है, खासकर जब ये देश एक दूसरे के विरोधी होते हैं।

- प्रवर्तन शक्ति की कमी: संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना के पास अक्सर मजबूत सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार या अधिकार नहीं होता। शांति रक्षक मिशनों का प्रभावशीलता इस पर निर्भर करता है कि मेज़बान देश या संघर्षरत पक्ष सहयोग करते हैं या नहीं। बिना सैन्य प्रवर्तन शक्ति के, शांति सैनिक अक्सर जारी हिंसा को रोकने में असमर्थ रहते हैं।

2. मानवाधिकारों का उल्लंघन और जवाबदेही की कमी

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनका बचाव करना है, लेकिन यह अक्सर जिम्मेदार देशों या सरकारों पर जवाबदेही लागू करने में विफल रहा है।

प्रमुख उदाहरण:

- दाफुर जनसंहार (2003-वर्तमान): सूडान में सरकार और सहयोगी मिलिशियाओं ने दाफुर क्षेत्र में गैर-अरब आबादी के खिलाफ जातीय सफाई अभियान चलाया। इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही। संयुक्त राष्ट्र का दखल इस क्षेत्र में राजनीतिक चुनौतियों और संसाधनों की कमी के कारण विफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने सूडान के राष्ट्रपति ओमार अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, मुख्य रूप से चीन जैसे देशों के समर्थन के कारण।

- म्यांमार और रोहिंग्या संकट (2017-वर्तमान): म्यांमार में सैन्य-प्रेरित रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले के दौरान संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आलोचनाओं के घेरे में रही। जब तक यह संकट गहरा नहीं गया, तब तक संयुक्त राष्ट्र केवल निंदा करने तक ही सीमित रहा, लेकिन प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहा।

- उत्तर कोरिया के मानवाधिकार उल्लंघन: उत्तर कोरिया ने न सिर्फ़ अपने नागरिकों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं, जैसे कि जबरन श्रमिक शिविर, सार्वजनिक फांसी और नागरिकों पर अत्याचार, बल्कि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय इससे निपटने में असमर्थ रहे हैं, मुख्य रूप से चीन के उत्तर कोरिया के समर्थन के कारण।

विफलता के कारण:

- प्रवर्तन तंत्र की कमी: संयुक्त राष्ट्र के पास कोई प्रभावी प्रवर्तन तंत्र नहीं है जिससे देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसके पास केवल प्रस्ताव पारित करने की शक्ति होती है, जो अक्सर बाध्यकारी नहीं होती, खासकर जब शक्तिशाली देश इसे रोकते हैं।

- राजनीतिक सीमाएँ: सदस्य देशों के बीच भू-राजनीतिक हित अक्सर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। शक्तिशाली देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ या प्रभाव के कारण दोषी देशों को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से बचाया जा सकता है।

3. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में असफलता

संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया है, लेकिन जलवायु संकट का प्रभावी समाधान प्राप्त करने में यह संघर्ष करता रहा है।

प्रमुख उदाहरण:

- बाध्यकारी समझौतों की विफलता: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के तहत किए गए प्रयासों में से पेरिस समझौता 2015 में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें देशों ने वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प लिया। हालांकि, यह समझौता बाध्यकारी नहीं था, और देशों ने अक्सर अपने उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता पाई। COP बैठकें (पार्टियों के सम्मेलन) भी देरी, असहमतियों और अपर्याप्त प्रतिबद्धताओं के कारण प्रभावित हुई हैं।

- जलवायु कार्रवाई में असमानता: विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र और इसके ढांचों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता या प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान नहीं की। वहीं, विकसित देशों ने अक्सर अपने वादों को पूरा करने में असफलता पाई है, जैसे विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर का वादा।

विफलता के कारण:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:   कई शक्तिशाली देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जरूरी कदम उठाने के लिए आर्थिक चिंताओं के कारण हिचकिचाहट होती है। इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त प्रतिबद्धताएँ और असंगत नीतियाँ होती हैं।

- प्रवर्तन की कमी: जलवायु समझौतों जैसे पेरिस समझौता स्वैच्छिक होते हैं और इसमें बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र की कमी होती है। इसके कारण कई देशों ने वचनबद्ध उत्सर्जन में कटौती को पूरा नहीं किया।

4. ब्यूरोक्रेसी और अक्षमता

संयुक्त राष्ट्र की जटिल संरचना और ब्यूरोक्रेसी अक्सर इसकी प्रभावशीलता में एक बड़ी बाधा बन जाती है। संगठन को इसके धीमे निर्णय लेने, असमर्थता, और जटिलताओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

प्रमुख मुद्दे:

- अतिरिक्त कर्मचारी और प्रशासनिक देरी: संयुक्त राष्ट्र पर आरोप है कि इसकी प्रशासनिक संरचना अत्यधिक ब्यूरोक्रेटिक है, जिसमें कई प्रशासनिक स्तर होते हैं, जिससे निर्णय लेने में देर होती है। यह अक्सर संगठन की क्षमता को वैश्विक संकटों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में

बाधित करता है।

- वित्तीय कुप्रबंधन: संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों और मानवीय सहायता कार्यक्रमों के भीतर वित्तीय कुप्रबंधन और अक्षमता की कई घटनाएँ सामने आई हैं।

विफलता के कारण:

- संवेदनशील संगठनात्मक संरचना: संयुक्त राष्ट्र में कई एजेंसियाँ, फंड्स और निकाय शामिल हैं, जिनके पास अपना-अपना उद्देश्य, बजट और नेतृत्व है। यह विभाजन अक्सर प्रयासों में द्वंद्व, अक्षमता और संयुक्त प्रतिक्रिया को समन्वित करने में कठिनाई पैदा करता है।

- सदस्य देशों पर निर्भरता: संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से अत्यधिक योगदान पर निर्भर करता है, जो कभी-कभी देरी से आते हैं या अपर्याप्त होते हैं। स्थिर वित्तीय समर्थन की कमी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने में बाधक बनती है।

5. वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र और इसके एजेंसियाँ, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन कई स्वास्थ्य संकटों पर इसकी प्रतिक्रिया को आलोचना का सामना करना पड़ा है।

प्रमुख उदाहरण:

- COVID-19 महामारी: COVID-19 महामारी के प्रारंभिक चरणों में WHO सहित संयुक्त राष्ट्र को आलोचना का सामना करना पड़ा। महामारी की गंभीरता को पहचानने में देरी, दिशानिर्देशों पर भ्रम, और वैश्विक समन्वय की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की गई।

- एबोला प्रकोप (2014-2016): WHO की प्रतिक्रिया को पश्चिमी अफ्रीका में एबोला प्रकोप के दौरान भी आलोचना मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में देरी, संसाधनों की कमी, और समन्वय की कमी के कारण महामारी पर नियंत्रण पाने में विफलता रही।

विफलता के कारण:

- समन्वय की समस्याएँ: संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में अक्सर एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और महामारी के लिए तैयारी की कमी देखी जाती है।

- सीमित अधिकार और संसाधन: WHO और अन्य एजेंसियाँ वैश्विक स्वास्थ्य नियमों को लागू करने और संसाधनों को तेजी से जुटाने में कठिनाई महसूस करती हैं, खासकर जब देशों को सहयोग करने में संकोच होता है या उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान नहीं किया जाता।

निष्कर्ष : संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, लेकिन इसकी विफलताएँ भी उतनी ही स्पष्ट हैं। संघर्षों को रोकने, मानवाधिकारों को लागू करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, और ब्यूरोक्रेटिक अक्षमताओं जैसे क्षेत्रों में इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना, भू-राजनीतिक विचार, प्रवर्तन शक्ति की कमी, और सीमित वित्तीय संसाधन अक्सर इसकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

21वीं सदी में अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है ताकि यह संघर्ष समाधान, मानवाधिकार संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सके। चुनौतियाँ विशाल हैं, लेकिन वैश्विक शांति और सहयोग के लिए खतरे भी उतने ही बड़े हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ

संयुक्त राष्ट्र (UN) को 1945 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा बनाए

रखना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, और मानवीय संकटों से निपटना था। हालांकि इसके कई सफलताएँ रही हैं, संयुक्त राष्ट्र को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में कई चुनौतियाँ आ रही हैं। ये चुनौतियाँ आंतरिक संरचनात्मक समस्याओं और बाहरी भू-राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होती हैं, जो इसकी क्षमता को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान करने में बाधित करती हैं। नीचे संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. सुरक्षा परिषद का सुधार और वीटो अधिकार : संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सुरक्षा परिषद की संरचना है, विशेष रूप से पांच स्थायी सदस्य देशों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा दिया गया वीटो अधिकार। यह वीटो अधिकार किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति प्रदान करता है, भले ही बाकी देशों का समर्थन हो। इससे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गतिरोध और कार्रवाई में कमी होती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के लिए शांति और सुरक्षा संकटों को प्रभावी रूप से हल करना मुश्किल हो जाता है।

प्रमुख मुद्दे:

- **वीटो अधिकार से गतिरोध:** सुरक्षा परिषद का वीटो अधिकार संघर्षों और मानवीय संकटों को हल करने में महत्वपूर्ण बाधा है। उदाहरण के लिए, रूस ने सीरिया के संघर्ष पर निर्णयों को अवरुद्ध करने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल और फलस्तीन से संबंधित प्रस्तावों को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है।

- **पुरानी संरचना:** सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के भू-राजनीतिक यथार्थ को दर्शाती है, लेकिन यह वर्तमान वैश्विक शक्ति संतुलन का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उभरती शक्तियाँ जैसे भारत, ब्राज़ील, और जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में अपने प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए सुधार की मांग की है। हालांकि, सुरक्षा परिषद के सुधार के प्रयासों को पांच स्थायी सदस्य देशों से विरोध का सामना करना पड़ा है, जो अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

- **संघर्षों के समाधान में अप्रभाविता:** सुरक्षा परिषद कई बार महत्वपूर्ण संकटों के प्रति प्रतिक्रियाशील होने में असफल रही है। जैसे रवांडा जनसंहार (1994) और सरेब्रेनिका नरसंहार (1995) में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की उपस्थिति के बावजूद उन घटनाओं को रोका नहीं जा सका।

2. कार्यपालिका और संगठनात्मक अक्षमता : संयुक्त राष्ट्र को इसकी कार्यपालिका संरचना और संगठनात्मक अक्षमताओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो निर्णय लेने में विलंब और वैश्विक संकटों पर समय पर प्रतिक्रिया देने में कठिनाई का कारण बनती हैं।

प्रमुख मुद्दे:

- जटिल और धीमा निर्णय-निर्माण: संयुक्त राष्ट्र विभिन्न विशेष एजेंसियों, समितियों और विभागों के माध्यम से कार्य करता है, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रियाएँ जटिल और धीमी हो सकती हैं। सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, और अन्य निकायों के बीच समन्वय की कमी होती है, जिसके कारण आपातकालीन स्थितियों में कार्रवाई में देर हो जाती है।

- लालफीताशाही और समान कार्यक्षेत्र: कई एजेंसियों के एक जैसे कार्यक्षेत्र होने के कारण भ्रम और अक्षमता पैदा होती है। उदाहरण के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त), और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण मानवीय सहायता प्रयासों में देरी हो सकती है।

- प्रशासनिक खर्चे: संयुक्त राष्ट्र में उच्च प्रशासनिक खर्च और कार्यों और संसाधनों के प्रबंधन में अक्षमताएँ भी हैं, जो इसके जनादेश को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में समस्या पैदा करती हैं। बजट का उपयोग और संसाधनों का वितरण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता था, इस पर निरंतर सवाल उठते रहते हैं।

3. शांति-रक्षा और संघर्ष समाधान : संयुक्त राष्ट्र की शांति-रक्षा (पीसकीपिंग) गतिविधियाँ इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मानी जाती हैं। हालांकि, इन मिशनों को संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और हिंसा को रोकने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि शांति-रक्षा बलों ने अतीत में कई क्षेत्रों को स्थिर करने में मदद की है, इन संचालन की प्रभावशीलता कई बार सीमित रही है।

प्रमुख मुद्दे:

- कार्यक्रमों और संसाधनों की कमी: संयुक्त राष्ट्र के शांति-रक्षा बलों को अक्सर सीमित कार्यक्षेत्र के तहत तैनात किया जाता है, जो उनके लिए वृद्धि होती हुई हिंसा का मुकाबला करने की क्षमता को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, शांति-रक्षा मिशन अक्सर अपर्याप्त संसाधनों के साथ तैनात किए जाते हैं, जिससे इनकी क्षमता में कमी आती है। उदाहरण के लिए, रवांडा और सरेब्रेनिका में शांति-रक्षक मौजूद होने के बावजूद जनसंहार को रोकने में असफल रहे थे।

- मेजबान देशों का सहयोग: शांति-रक्षा मिशनों की सफलता मेज़बान देशों के सहयोग पर निर्भर करती है। ऐसे मामलों में जहाँ सरकारें शांति-रक्षकों को प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देतीं, मिशन कमजोर हो जाता है। दक्षिण सूडान और केंद्र अफ्रीकी गणराज्य जैसी जगहों पर शांति-रक्षा मिशनों को स्थानीय राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र गुटों का विरोध झेलना पड़ा है।

- राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिबंध: संयुक्त राष्ट्र के शांति-रक्षक अक्सर राजनीतिक बाधाओं का सामना करते हैं, जो उनकी कार्रवाई की क्षमता को सीमित करती हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर शांति-रक्षा निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई बार शांति-रक्षा प्रयासों में रुकावट आती है।

4. मानवीय संकट और शरणार्थी सुरक्षा : संयुक्त राष्ट्र ने UNHCR और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) जैसी एजेंसियों के माध्यम से मानवीय संकटों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, वैश्विक मानवीय संकटों के बढ़ते पैमाने ने संयुक्त राष्ट्र के लिए त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने में कठिनाई पैदा की है।

प्रमुख मुद्दे:

- बढ़ती विस्थापन: संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों का उल्लंघन शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। सीरिया, यमन, और वेनेजुएला जैसे संघर्ष क्षेत्रों में लाखों लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हुए हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र की मानवीय प्रतिक्रिया क्षमता पर भारी दबाव पड़ा है।

- अपर्याप्त वित्त पोषण: मानवीय प्रयासों को अक्सर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ता है। कई देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रयासों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिससे सहायता वितरण में अंतर आता है। वैश्विक मानवीय अपील को अक्सर वित्तीय कमी का सामना करना पड़ता है।

- पहुँच प्रतिबंध और राजनीतिक बाधाएँ: मानवीय सहायता उन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे संघर्ष, नाकाबंदी, और सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। यमन में यह देखा गया है, जहाँ संघर्ष और सरकारों के प्रतिबंधों के कारण सहायता के रास्ते बंद हो गए हैं।

5. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय सुरक्षा : जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति 21वीं सदी की कुछ सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र पैरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क (UNFCCC) जैसी फ्रेमवर्क के माध्यम से इन मुद्दों से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी वैश्विक सहयोग लाने में यह संगठन कई चुनौतियों का सामना करता है।

प्रमुख मुद्दे:

- वैश्विक राजनीतिक असहमति: जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों के बीच आम सहमति की कमी एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें वित्तीय समर्थन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है, जबकि विकसित देश अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहमत होने में reluctant हैं।

- सीमित प्रवर्तन तंत्र: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते जैसे पैरिस समझौता वैकल्पिक हैं, और उनमें बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र की कमी है। परिणामस्वरूप, कई देशों ने अपने उत्सर्जन लक्ष्य पूरे नहीं किए, जो वैश्विक तापन को सीमित करने के प्रयासों को प्रभावित करता है।

- असमान प्रभाव: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है, और सबसे गंभीर प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया को समन्वित करना जो इन देशों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों से

जिम्मेदारी की अपेक्षाएँ करता है, एक बड़ी चुनौती है।

6. मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही : संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) और मानवाधिकार परिषद के माध्यम से। हालांकि, जब शक्तिशाली देशों की बात आती है, तो यह संगठन मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने और उल्लंघनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने में अक्सर असफल रहा है।

प्रमुख मुद्दे:

- राजनीतिक प्रभाव: संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रयासों को शक्तिशाली सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव से अक्सर नुकसान होता है। चीन, रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा अपने सहयोगियों को जवाबदेही से बचाने के लिए प्रस्तावों को अवरुद्ध किया जाता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- प्रवर्तन की कमी: संयुक्त राष्ट्र के पास मानवाधिकार प्रस्तावों को लागू करने या देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करने की क्षमता नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने का प्रयास करता है, उसे अधिकार क्षेत्र, राजनीतिक प्रतिरोध और देशों के सहयोग की कमी से समस्याएँ आती हैं।

- वैश्विक मानवाधिकार संकट: म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों, सीरिया, और उत्तर कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाएँ, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार सुरक्षा क्षमता की सीमाएँ प्रदर्शित करती हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक बाधाएँ इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई करने से रोकती हैं।

7. वित्तीय स्थिरता और सदस्य देशों पर निर्भरता

संयुक्त राष्ट्र अपनी संचालन गतिविधियों के लिए सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करने पर निर्भर करता है। हालांकि, इस पर निर्भरता वित्तीय अस्थिरता और संसाधनों की कमी उत्पन्न करती है, जो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है।

प्रमुख मुद्दे:

- भुगतान में देरी: कई सदस्य देश, विशेष रूप से शक्तिशाली देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने शुल्कों का समय पर भुगतान करने में विफल रहते हैं। इस वजह से संगठन की संचालन गतिविधियों में दबाव आता है।

- सीमित बजटीय लचीलापन: संयुक्त राष्ट्र को अक्सर सीमित बजटीय प्रतिबंधों के भीतर काम करना पड़ता है, विशेष रूप से वैश्विक संकटों के समय। इससे महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शांति-रक्षा मिशनों या मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए धन की कमी होती है।

- असमान वित्तीय बोझ: कुछ देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बजट में अत्यधिक योगदान किया जाता है, जबकि अन्य देशों का योगदान न्यूनतम होता है। इससे वित्तीय असंतुलन और संगठन के भीतर तनाव उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष : संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और वैश्विक मुद्दों से निपटने के अपने प्रयासों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार, संगठनात्मक अक्षमता, संसाधनों की कमी और वैश्विक राजनीति की जटिलताएँ इसके जनादेश को प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मंच है और वैश्विक संकटों से निपटने में इसकी भूमिका अनिवार्य है। हालांकि, सुधार और सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है ताकि संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक दुनिया में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने की क्षमता मिल सके।

★★---------------------★★

Important Questions for Assignment

B.A- Political Science (SEC)

Semester -2

Paper- United Nations: An Introduction

Paper Code- 24POL402SE01

Note— प्रश्न नं. 1 अनिवार्य है।

1. लघु उत्तरीय प्रश्न (अनिवार्य) -

(i) अंतरराष्ट्रीय संगठन	(ii) वियना कांग्रेस
(iii) लीग ऑफ़ नेशंस की स्थापना	(iv) संयुक्त राष्ट्र के दो उद्देश्य
(v) निषेधाधिकार	(vi) सुरक्षा परिषद
(vii) निशस्त्रीकरण	(viii) शांति स्थापना
(ix) शांतिपूर्ण समाधान	(x) संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण
(xi) सचिवालय	(xii) संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य

Unit-I

2. अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्भव (उत्पत्ति) एवं विकास की विवेचना कीजिए।

3. राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की उत्पत्ति तथा संगठन का वर्णन करते हुए लेख लिखें।

4. संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) का तुलनात्मक वर्णन कीजिए।

Unit-II

5. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना , उद्देश्य तथा संगठन का वर्णन कीजिए।

6. संयुक्त राष्ट्र की महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।

7. संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय तथा महासचिव की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

Unit-III

8. संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना (Peace Making) तथा शांति क्रियान्वयन (Peace Enforcement) में भूमिका का वर्णन कीजिए।

9. संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण तथा शांति बनाए रखने की उसकी भूमिका (प्रयासों) का वर्णन कीजिए।

Unit-IV

10. संयुक्त राष्ट्र संघ की निशस्त्रीकरण में भूमिका पर लेख लिखें।

11. संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण तथा सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के लिए भारत के दावे की विवेचना कीजिए।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।